बीज एवं लोक ज्ञान

विजय जड़धारी
अवतार सिहं नेगी
दुर्गा प्रसाद कन्सवाल

Scanned by CamScanner

बीज एवं लोक ज्ञान

विजय जड़धारी
अवतार सिंह नेगी
दुर्गा प्रसाद कन्सवाल

Scanned by CamScanner

बीज एवं लोक ज्ञान

प्रथम संस्करण 2009

लेखक मण्डल :–
विजय जड़धारी
बीज बचाओ आंदोलन
पो0 नागणी, टिहरी गढवाल,
उत्तराखण्ड पिन–249175
अवतार सिहं नेगी एवं
दुर्गा प्रसाद कन्सवाल

प्रकाशकः–
मॉउंट वैली डेवलपमेन्ट एसोसिएशन दोणी
पो0 मैगाधार पट्टी ग्यारह गाँव
जिला टिहरी गढवाल, उत्तराखण्ड, पिन 429155
फोन–01379–214094,214111,214112,258582
ई मेल :– mvda_tehri@yahoo.co.in
वेबसाइट :– www.mvda.com

आर्थिक सहयोग :– एक्सन एड इण्डिया
मुद्रक :– कुमार ग्राफिक्स, देहरादून
ई मेल :– kumargraphics01@yahoo.com

Scanned by CamScanner

विषय सूची | पृष्ठ संख्या

विषय सूची	पृष्ठ संख्या
● प्रस्तावना	1–2
● बीज : हमारी धरोहर	3–10
● बारहनाजा	11–36
● मोटे अनाज नहीं–ताकत के अनाज कहिये	37–40
● धान की उपज बढायें, एस. आर. आई अपनायें	41–46
● ग्यारह गाँव हिन्दाव के कुछ किसानों के अनुभव	47–50
● खेती पर किसकी मार	51–59
● जी.एम नपुंसक है	60–62
● राष्ट्रीय कृषि नीति पर सुझाव	63–74
● बारहनाजा पोषक तत्वों के दर्पण में	75–75

Scanned by CamScanner

समर्पणः—

यह पुस्तक उन किसान बहिनों एवं भाईयों को समर्पित है, जो खेती की अमुल्य विरासत बचा कर रखे हुए हैं, और अनेक संकटों के बावजूद भी उसे अगली पीढ़ी को सौंप रहे हैं।

Scanned by CamScanner

प्रस्तावना :–

बीज सृष्टि का मूल आधार है। बीज के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन बीज के अलावा धरती की ऊपरी परत मिटट्री भी कम महत्वपूर्ण नही है। धरती को तो हम धरती माँ कहते ही हैं किन्तु देश को भी भारत माता कहते हैं। दुनिया के अन्य देश के साथ माता शब्द कहीं नहीं जुड़ा है, मातृ स्वरूप इस अनमोल विरासत के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता।

खेती को सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद कहा जा सकता है, खेती के साथ पशुपालन भी जुड़ा है, एक जमाने खेती पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों पर आधारित थी, घर के बीज, घर के कीटनाशक और घर के गाय–बैल, खेती के औजार अपने जंगलों से मिल जाते थे, सिंचाई के लिये सामूहिक कुलवाली का प्रबंध था, हमारे देश में किसानों के विकास के लिये हरित क्रांति लायी गयी। कुछ साल तक जादुई चमत्कार दिखायी दिये, किंतु रासायनिक खाद, कीटनाशक खरपतवारनाशी जहरों के दुष्प्रभाव मिट्‌टी पर इतने बुरे पड़े कि अनेक नई–नई घातक बीमारियां आ गयी जिनका निदान कठिन है, आज बीज, मिट्‌टी और खेती के सभी संसाधनों पर मंडरा रहे खतरों के बारे में सोचने की जरूरत है।

किसानों के घर की खेती पराई हो गयी। खेती पर लागत बढती गयी, हजारों तरह के विविधता युक्त बीज लुप्त हो गये और बाजार में कम्पनियां नकली बीज बेचने लगी हैं। विविधता युक्त खेती की जगह एकल नकदी फसलें आने से खाद्य संकट तो आया ही है साथ ही खेती की लागत बढने से किसान कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस गये हैं और अब तक लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आत्महत्या की घटनायें देश के उन्ही क्षेत्रो में हुयी हैं जहां लोगों ने विविधता युक्त खेती छोड़ एकल नकदी फसलों को अपनाया है।

उत्तराखण्ड के लोग आने वाले खतरों का अन्दाजा लगाने में अग्रणी रहें हैं। इसलिये यहां पर समय–समय पर

Scanned by CamScanner

जन आंदोलनों का जन्म हुआ, पर्यावरण चेतना का विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन यहीं से शुरू हुआ और पिछले बीस–पच्चीस सालों से बीज बचाओ आंदोलन ने भी खेती पर मंडराते खतरों के विरूद्ध एक नई जन चेतना जागृति की है।

पहले हरित क्रांति और अब दूसरी हरित क्रांति किसानों के हित में नहीं अपितु बड़े उद्योगपतियों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में है, जैव प्रौद्योगिकी के मार्फत जो जीएम (जैव संसोधित) बीज लाने की योजना है वह तो और भी खतरनाक है, उसके संदूषण से बची–खुची जैव विविधता भी नष्ट हो जायेगी, विविधता युक्त पारंपरिक बीजों के जीएम बीजों से निर्बीज होने का खतरा है, दुनिया के अनेक देशों ने जीएम बीजों और जीएम खाद्यों पर प्रतिबंध लगाया है। किन्तु हमारे देश की सरकार को इसकी चिंता नहीं है। कई स्थानों पर जीएम फसलों के खुले प्रयोग हो रहे हैं।

निसन्देह जैव विविधता, पांरपरिक ज्ञान, जल, जगंल एवं जमीन आजीविका की अनमोल निधि हैं, इनके संरक्षण के लिए एक वैज्ञानिक सोच की जरूरत है, साथ ही हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी विरासत को पहचानें और इसे बचाने का प्रयास करें।

मेरे लिये यह खुशी की बात है कि मॉउट वैली डेवलपमेन्ट एसोसिएशन दोणी टिहरी गढवाल पांरपरिक बीज एवं जैविक खेती के बुनियादी पहलुओं पर गहरायी से कार्य कर रही है, इस दृष्टि से इस पुस्तक के लेखन का आग्रह संस्था ने मेरे से किया और इसके प्रकाशन की जिम्मेदारी उठायी।

आशा है कि यह पुस्तिका पांरपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाने में लगे किसानों और कार्यकर्ताओं की मदद कर सकेगी। पुस्तिका में अल्प समय में निसन्देह कुछ त्रुटियां रह गयी होंगी, आशा है आप अपने सुझाव व शिकायतों से हमें अवगत करायेंगे।

विजय जड़धारी

Scanned by CamScanner

बीज : हमारी धरोहर

बीज भविष्य की ऐसी आशा है जो कभी निराश नहीं कर सकते बीज का प्रमुख कार्य है नया जीवन लेकर उगना, खेतों में लहलहाना, जीवधारीयों की भूख शान्त करना और फिर बीज बनना, यह कार्य सदियों से निरंतर चल रहा है।

निसन्देह बीज कुदरत की अनमोल विरासत के रूप में किसान के पास एक मुख्य धरोहर है। मानव, जीव–जन्तुओं, फसलों एवं पेड़–पौधों के इतिहास पर यदि विचार करें तो पता चलता है कि हर एक जीवधारी स्वाभाविक क्रिया के तहत अपनी वंश–वृद्धि करते हैं। यह बात अलग है कि मानव सारी सृष्टि के जीवधारियों में बुद्धि और विवेक वाला प्राणी है। उसकी वंश–वृद्धि की अभिलाषा सीधे नजर आती है। किंतु मानव का धरती पर कहीं नामो–निशान नहीं होता , यदि धरती पर पहले से जैविक विविधता न होती। मानव को जिंदा रहनें के लिये प्राणवायु, जैविक विविधता पेड़–पौधों से ही तो मिली। यह कटु सत्य है कि मानव के बिना जैविक विविधता कहीं खतरे में नहीं है किंतु जैव विविधता के बिना मानव का अस्तित्व खतरे में अवश्य पड़ जायेगा।

अनादि काल में मानव ने जब देखा कि जंगलों में कंदमूल फलों के अलावा और भी कुछ बालियां या फलियां दिख रही है तो उसने विविधता युक्त खाने की बालियां या फलियों को कूटने पीसने एवं खाने–पीने की तकनीक या कला विकसित की तब उसे बहुत आनंद आया होगा। इसमें जब उसे सफलता मिली तो उसने संग्रह एवं भण्डारण आरम्भ किया। पहाड़ों की यह कहावत कि " खाज, खांणु अर बीज धरनु" (खाने वाला अनाज खाओ किंतु बीज जरूर रखो), यहीं से बीज रखने और उसे अगली फसल में बोने के साथ कृषि संस्कृति का जन्म हुआ। बीजों ने फसलें दीं। उससे मानव की भूख शांत हुई और उसने इसके महत्व को समझते हुए पीढ़ी–दर पीढ़ी ने इसे आगे बढ़ाया।

Scanned by CamScanner

जो लोग जिस परिवेश में रहते थे, उन्होंने जंगलों से चुन–चुन कर फसलों के बीज इकट्ठे कर उगाये। एक व्यक्ति ने अकेले नहीं बल्कि हर फसल प्रजाति पर पूरे समुदाय ने चर्चा की होगी। सबने मिल कर सहज रूप से फसलों एवं बीजों का आदान–प्रदान शुरू किया होगा। इस तरह ये बीज एक घर से दूसरे घर, एक खेत से दूसरे खेत व एक गांव से दूसरे गांव और एक देश से दूसरे देश फैलते रहे। बीजों की अदला –बदली होती रही और पीढ़ी दर–पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। ठीक उसी तरह जैसे हमारी वंश परंपरा आगे बढ़ती है। वास्तव में भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बीज का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में बीज के चयन की परंपरा

अगली फसल के लिए खेतों से बीजों का चयन करना एवं इलाका विशेष में फसल प्रजातियों के चयन का अनुभव व ज्ञान पर्वतीय महिलाओं की महत्वपूर्ण धरोहर है। वे बीजों का चयन खेत में ही बाकायदा जन–विज्ञान के तरीके से करती हैं जिसे " रोट्याना" कहा जाता है पहले यह देखा जाता है कि परिपक्व फसल किस खेत में अच्छी हैं। फिर देखा जाता है कि खेत के किस हिस्से में अच्छी बालियाँ हैं। वहां पर किसी तरह के कमजोर और रोगी पौधे नहीं होने चाहिये। यदि कोई कमजोर पौधा और खरपतवार आदि हैं तो उसे हटा दिया जाता है और फिर बीज के लिये अच्छी स्वस्थ बालियों को अलग काट कर अलग मांडा जाता है और अच्छी तरह सुखाया जाता है। यही " रोट्याना" बीज चयन की पांरपरिक विधि है।

बीज बोने और फसल कटाई शुभारंभ करने के भी सामूहिक निर्णय होते हैं। टिहरी गढ़वाल की ओण–पट्टी में ओणेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के बाद 9 गते अषाढ़ लूंग (रोपाई) एवं 9 गते असौज "कौंली" (कटाई) का दिन निश्चित है। उसके बाद ही किसान समुदाय अपने–अपने खेतों में काम करते हैं। इससे यह बात सामने आती है कि कोई भी व्यक्ति

Scanned by CamScanner

अपनी इच्छा से अलग से किसी तरह की व्यापारिक फसलें भी नहीं लगा सकता। किस इलाके के लिए कौन प्रजाति अच्छी है यह भी कसौटी पर खरी हैं। साहबसिंह सजवाण ने मुझे बताया कि ऊंचाई के इलाकों में " झैल्डू" धान को नहीं छेड़ते हैं। " झैल्डू" धान का चयन उनके बुजुर्गों ने इसलिए किया क्योंकि वहां जंगली जानवर सूअर आदि खूब होते हैं और " झैल्डू" धान की बालियों पर लम्बे– लम्बे कांटेनुमा बाल होते

पर्वतीय क्षेत्र में धान की खेती

हैं जिन्हें देखकर सूअर नाक में घुसने के डर से बहुत घबराते हैं और धान को नहीं छेड़ते । दूसरी बात यह है कि फसल पकते समय ऊंचाई वाले इलाकों में ओले पड़ने का डर रहता हैं। लेकिन " झैल्डू" धान या उस जैसी प्रजातियां ओले से भी नहीं झड़ती। यह एक तरह से ओले–प्रूफ प्रजाति है इसी तरह कुछ धान की प्रजातियां ऐसी हैं जो 2200 मीटर ऊंचाई पर भी उगती हैं। कहां बारहनाजा लगाना है और कहां उखड़ी धान लगाना है, लोग अपने अनुभव से तय करते हैं। धान की

Scanned by CamScanner

कफल्या, कलों एवं साठी जैसी अनेक प्रजातियां दवा का काम भी करती हैं, कफल्या और कलों महिलाओं के प्रसूति रोगों में उपयोगी हैं। चावल को ठंडा माना जाता है, लेकिन साठी चावल का उपयोग गठिया रोग को ठीक करने में होता है।

बीजों का भण्डारण और सुरक्षित रखने के तरीके

पुराने समय में पहाड़ों में बीज या खाद्यान्न भण्डारण के बर्तन पूरी तरह स्थानीय संसाधनों पर आधारित थे। कोठार भी बनावट के आधार पर अलग–अलग नामों से थे। डाट्या कोठार, गांज्या कोठार, बल्दया कोठार आदि प्रचलित नाम हैं। ये कोठार देवदार एवं तुन की लकड़ी के बने होते थे। टिहरी, उत्तरकाशी, एवं चमोली के दूरस्थ इलाकों में " डाट्या" कोठार घरों के समीप बने होते हैं और इतने बड़े कि बिल्कुल मकान की तरह लगते हैं। इनके दरवाजों पर एक सांकल लगी होती है जो आवास के बैठक से जुड़ी होती है। चोरी या अन्य संकट के समय यह एक तरह का सिगनल का काम करती है। इसमें अलग–अलग खाने होते हैं। ऐसे कोठार रवांई एवं जौनसार में अब भी अनाज से लबालब भरे रहते हैं।

अनाज को भण्डारों में एवं बीज को बिजुण्डा (बीज रखने का पारम्परिक बर्तन) में सुरक्षित रखने के तौर– तरीके भी स्थानीय संसाधनों पर आधारित थे। लकड़ी, रिंगाल एवं पतों से बने विविध तरह के बर्तनों में अनाज व बीज सुरिक्षत रहता था। यहां तक कि पराल से भी बीज रखने के बर्तन बनाते थे, आज भी यह परंपरा कहीं–कहीं चल रही है।

कुछ स्थानों पर मिट्टी के बर्तनों का भी इस्तेमाल होता है। कम बीज रखने के लिए तोमड़ी (लौकी की एक प्रजाति) को सुखाकर बीज रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले मालू के पत्तों का बर्तन बनाकर बीज रखने के लिये दूरस्थ इलाकों में लोग इस्तेमाल करते थे। ये सभी बर्तन नमी को

सोखते हैं। बीज खराब होने का डर नहीं रहता। किंतु आज उनेक स्थानों पर टिन के कनस्तर, लोहे के ड्रम और प्लास्टिक के बर्तनों आदि का उपयोग भी भण्डारण के लिये होने लगा है। फसलों में नये–नये बीज भी आ गये हैं। इसी के साथ कीट व्याधियों के आक्रमण भी भण्डारण पर बढ़े हैं।

पहाड़ के अनुभवी किसानों ने बीजों को कीटों सें बचाने के अनेक घरेलू तरीके ढूढें हैं। ऐसे तरीके जिनका मानव एवं जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर खतरनाक असर नहीं पड़ता। गांव में मुफ्त के कीटनाशी गौमूत्र, राख, कीरा (धुएं की जमा काली धूल) सरसों का तेल, तम्बाकू लाल मिट्टी एवं विविध तरह के पतों व जड़ी–बूटियों का उपयोग आज भी लोग करते हैं। किंतु आधुनिक विकास के कारण ये तरीके धीरे–धीरे कम होते जा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक इन तरीकों को मान्यता इसलिए नहीं देते कि ये तरीके बाजार या कम्पनी द्वारा प्रायोजित नहीं होते। लेकिन सच्चे मायने में ये तरीके ही फसल, भण्डार एवं बीज सुरक्षा के स्थाई हल हैं। वैज्ञानिकों को इन तरीकों को अपने शोध का विषय बनाना चाहिए।

बीज के बिजुंड़े अशुभ दिन पर रखे जाते हैं और शुभ दिनपर खोले जाते हैं। बीच में यदि किसी ने बीज मांगा तो किसान कभी नहीं देगा। " बिजुंड़े" रखने की तकनीक का महिलाओं को ज्यादा ज्ञान है। महिलाएं पीढ़ी–दर पीढ़ी इस ज्ञान को आगे बढ़ा रही हैं पुरूषों को इस संदर्भ में ज्यादा जानकारी नहीं है। बीज की प्रजातियों की जानकारी भी महिलायें ही जानती हैं, किंतु बाहर से जो नये बीज या नई तकनीक गाँव में आती हैं, उससे गांव की महिलायें ज्यादा सावधान नहीं हैं। बीज बचाओ आंदोलन की अनुभवी नेत्री श्रीमती सुदेशा देवी कहती हैं कि नये बीज, रासायनिक खादें, कीटनाशक एवं खरपतवार–नाशी विकास के नाम पर पुरूषों द्वारा ही लाये गये और आज भी लाये जा रहे है, जिससे उनकी घरेलू जीवन धारा एवं पांरपरिक ज्ञान पर बुरा असर पड़ा है। यदि वे इसे समझ जाये तो एक नई दिशा मिलेगी। टिहरी गढ़वाल में महिला समाख्या व मॉउंट वैली डेवलपमेन्ट

Scanned by CamScanner

एसोसिएशन दोणी इस दिशा में सक्रिय रूप से महिलाओं व किसानों को सावधान करा रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं।

ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्र के लोग अपने को सौभाग्यशाली समझते है कि वहां किसी तरह की कीट–व्याधियां अभी नहीं हैं। वहां दोनों तरह से जैविक खेती सुरक्षित है, पहला कारण तो यहां की ठंडी जलवायु में नुकशानदायक कीड़े–मकोड़े पैदा नहीं होते और दूसरा यह कि यहां किसान शोषक विकास नहीं पहुंचा है।

पहाड़ों में बीजों को सुरक्षित रखने के तरीके अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग हैं। वास्तव में जहां जो वनस्पति कीटनाशक के अनुरूप है, उसी को लोगों ने ढूंढ़ा। बासर टिहरी गढ़वाल के कुछ गांवों में गेहूँ, जौं एवं वाजौ को सुरक्षित रखने के लिए उसके साथ मारसा (रामदाना) मिला देते हैं। मारसा के भण्डारण पर किसी तरह के कीड़ों का असर नहीं होता। बताया जाता है कि मारसा कई दशक तक सुरिक्षत रहता है। मंडुआ, झंगोरा (सांवा), कौणी (काकुन) और चीणा भी वर्षों तक सुरक्षित रह सकतें हैं। अगर उन्नत खेती के प्रचारक यह सुनें कि " मारसा" कीटनाशक का काम भी करता है तो वे हंसने लगेंगे। किंतु उसमें गेहूँ सुरक्षित रहता है और जरूरत पड़ने पर छलनी से छान कर मारसा और गेहूँ को अलग–अलग किया जा सकता है कुछ इलाकों में टिमरू के पत्ते एवं दाने, डेंकन (बकाइन), अखरोट, गंदेला (कढ़ी पत्ते), नीम के पत्ते आदि भी बीजों की सुरक्षा के लिये रखे जातें हैं। सिर्फ खाद्यान्न ही नहीं अपितु साक–भाजी एवं दलहनों, तिलहनों का भण्डारण भी लोग बखूबी जानने थे। आलू, अदरक, हल्दी एवं अन्य कंद वाली फसलों के बीज किसान जमीन में गहरी खत्ती खोदकर रखते थे। प्याज एक ऐसी फसल है जिसके सीधे बीज नहीं होते, अपितु प्याज के दाने बोने से फूल आते हैं और फूलों पर बीज लगते है। बीजों को बोने से प्याज का दाना बनता है।

पहाड़ में पैदा होने वाली लौकी, तोमड़ी ककड़ी

Scanned by CamScanner

(खीरा), चचिंड़ा गोदड़ी (पहाड़ी तोरी), कद्दू, भुजेला (पेठा), बैंगन, टमाटर, मिर्च, करेला, व मीठा करेला आदि अनेक प्रजातियों की सब्जियों के बीज भी घरों में सुरक्षित रखने के तरीके लोग जानते हैं। बारीक बीजों, जिसमें टमाटर, ककड़ी, बैगन आदि को रखने के लिये गोबर में पाथने और सुखाने की परंपरा थी। मीठा करेला जिसे पहाड़ी परवल भी कहा जाता है, हर साल अपने आप उग कर खूब सब्जी देता है। इन बेलदार सब्जियों को सूखी टहनियों की जरूरत पड़ती है जिसे "ओण" कहतें हैं।

जौनपुर रवांई एवं जौनसार इलाकों में मक्का की परंपरागत फसल लोग असिंचित खेतों में खूब उगाते हैं। मक्का को रोटी एवं भात के रूप में भी खाया जाता है। यहां की परंपरागत मक्का की प्रजातियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। मक्का के भुट्टों के गुच्छे बनाकर बाहर छत के नीचे या रसोई घर में लटका कर रखने की परंपरा है। इस तरह लटकाकर रखे गये मक्का के भुट्टे कीटों से पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं।

किसान समुदाय बीजों के रख रखाव का ख्याल खेतों में भी रखते हैं। अगर ऐसा न करें तो बीजों की यह विरासत डगमागा जायेगी। यह माना जाता है कि यदि एक खेत में लगातार वर्षों तक एक ही प्रजाति रहें तो बीज " खजिया" जाता है यानी खराब होने लगता है। इसलिए किसान अगली फसल के लिये दूसरे किसान को यह बीज दे देता है और उसके बदले दूसरी प्रजाति या उसी प्रजाति को ले लेता है। इससे बीजों की अदला-बदली सतत जारी रहती है। किसान की बुद्धिमता यह है कि बीजों का निर्बीज (बीजनाश) न होने पाये। किंतु आज की व्यवसायिक खेती एवं अनुदान वाली योजनाओं के लालच के मार्फत पर्वतीय किसान कथित उन्नत कृषि के जाल में भी फंसने लगे हैं। पहाड़ की खेती का यह हजारों साल पुराना पारंपरिक ज्ञान भी खतरे में है। यह ज्ञान पूर्णतः अलिखित है, किंतु पीढ़ी-दर पीढ़ी अनपढ़ लोग भी इसे वैज्ञानिकों की तरह अपने खेत-खलिहानों में पढ़तें हैं। और पढ़ाने की क्षमता भी रखते हैं। आज किसानों के

Scanned by CamScanner

पारंपरिक ज्ञान को महत्व देने की जरूरत है। पारंपरिक ज्ञान एंव बीज भविष्य में किसान एंव कृषि वैज्ञानिकों की अनमोल सम्पत्ति है।

Scanned by CamScanner

बारहनाजा

बारहनाजा शब्द किसी शब्दकोष में ढूढ़ने से भी नहीं मिलेगा। यह शब्द कृषि विज्ञानियों के मानस में भी प्रवेश नहीं कर पाया है, किंतु पारंपरिक कृषि विज्ञान के पारखी उत्तराखण्ड के किसान पीढ़ियों से इसे जानते हैं और समझते

पर्वतीय क्षेत्रों में खेती का एक दृश्य

हैं। बारहनाजा का शाब्दिक अर्थ है बारह अनाज। किंतु इसमें सिर्फ अनाज नहीं है अपितु दलहन, तिलहन शाक–भाजी, मसाले व रेशा आदि भी शामिल है। विविधता युक्त फसलों को मिश्रित रूप से उगाना ही बारहनाजा है। बारहनाजा में सिर्फ 12 फसलें हों ऐसा भी नहीं है, इसके अंतर्गत अलग–अलग क्षेत्रों में 20 के लगभग प्रजातियां शामिल हैं। लेकिन एक खेत

Scanned by CamScanner

में 20 तरह की फसलें उगायी जाती हों यह भी संभव नहीं हैं। दरअसल अलग–अलग इलाकों में भौगोलिक परिस्थिति व खान–पान की संस्कृति के अनुसार कहीं दस–बारह तो कहीं इससे कम प्रजातियों को उगाना बारहनाजा का प्रतीक हैं। बारहनाजा खरीफ के महत्वपूर्ण फसल चक्र के अंतर्गत उगाया जाता है। बारहनाजा मनुष्य की खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिये उपयोगी है ही साथ ही खेती और पशुपालन के पांरपरिक़ रिश्ते को भी मजबूत बनाता है । इन फसलों का अवशेष चारा–भूसा पशुओं की चारा सुरक्षा का प्रतीक है। धरती मां की गोद में ही तरह–तरह की फसलें लहलहाती है वह सबका पोषण करती है। एकल फसलें धरती का अत्याधिक शोषण करती हैं, कितुं बारहनाजा में शामिल कई प्रजातियां धरती मां को वापस पोषण देती हैं। ये फसलें मिल–जुल कर अपना समाज बनाती हैं, धरती के पारिस्थतिकीय संतुलन को मजबूत बनाने वाली यह पद्धति वैज्ञानिक कृषि से कहीं कम नहीं है। यह समृद्वपरंपरा सदियों से चली आ रही है।

बारहनाजा परिवार एवं फसल चक्र

बारहनाजा की विधिवतायुक्त फसलों को हम बारहनाजा परिवार कह सकते हैं। बारहनाजा परिवार का मुखिया मंडुवा है जो कोदा के नाम से ज्यादा प्रचलित है। दूसरे नंबर पर मारसा (रामदाना) है। बारहनाजा परिवार में मुख्यतः निम्न फसलें हैं– 1. कोदा (मंडुवा) 2. मारसा (रामदाना) 3. ओगल (कुट्टू) 4. जोन्याला (ज्वार) 5. मक्का 6. राजमा 7. गहथ (कुलथ) 8. भट्ट (पारम्परिक सोयाबीन) 9. रैंयास (नौरंगी) 10. उड़द 11. सुंटा (लोबिया) 12. रगड़वांस 13. गुरूंश 14. तोर 15. मूंग 16. भंगजीर 17. तिल 18. जख्या 19. भांग 20. सण (सन) 21. काखड़ी (खीरा)।

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड में ऊंची चोटियों या पनढ़लों में सामान्यतः ठंडी जलवायु है, किन्तु घाटियों में गर्मी भी पड़ती है। ऐसे मौसम में बारहनाजा में अलग–अलग फसलों को मौका मिलता है। मंडुवा, रामदाना व दलहन तो सब जगह होते हैं। सिर्फ तराई–भाबर क्षेत्र में बारहनाजा कम होता है। अधिकांश इलाकों में कम से कम 10–12 प्रजातियों तो होती ही हैं।

बारहनाजा की पूरी पद्धति समझने के लिए यहां के फसल चक्र को समझना जरूरी है। यहां ऊंची चोटियों के पनढलों पर सीढ़ीदार खेत बना कर खेती होती है। तो घाटियों में भूमि को समतल कर हल्के सीढ़ीदार खेत हैं। घाटियों की सिंचित जमीन को सेरा कहते हैं। छोटे–छोटे गाड–गधेरों (छोटी नदियों) द्वारा सेरों की सिंचाई होती है। कुल खेती योग्य जमीन का लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा सिंचित है। 87 प्रतिशत जमीन असिंचित है जिसे उखड़ी जमीन कहते हैं। सिंचित खेती में ज्यादा विविधता नहीं है, वहां धान, गेहूं, जौं एवं सब्जियों की खेती होती है। जब कि असिंचित भूमि में विविधता युक्त बारहनाजा, झंगोरा, उखड़ी धान, दलहन, तिलहन मसाले, साग सब्जियां एवं विविध फल फूल की खेती होती है। रबी की फसल की अपेक्षा खरीफ में ज्यादा विविधता है।

कुल असिंचित जमीन को दो हिस्सों में बांटा गया है जिसे "सार" पद्धति कहते हैं। "सार" एक इलाके या एक पनढ़ाल में फैली खेतों की पट्टियों को कहते हैं। खरीफ में एक सार में बारहनाजा होता है तो दूसरी "सार" में झंगोरा, कौणी व उखड़ी धान होता है। असिंचित जमीन का तीसरे नम्बर पर एक छोटा हिस्सा भी मिल जाता है। जिसे "सग्वाड़ा" यानी "किचन गार्डन" कहते हैं। सार पद्धति व फसल चक्र से भोजन की थाली में भी विविधता बढती है। एक सार की उपज से दाल, सब्जी, रोटी आती है तो दूसरी सार की उपज से चावल मसाले व फल आदि मिल जाते हैं। यह चक्र निरंतर घूमता रहता है। "सार" के अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं। यह किसानों का अनुभव है कि बार–बार एक खेत में एक ही

Scanned by CamScanner

फसल लेने से जमीन खजिया (खराब) हो जाती है। सिर्फ जमीन ही नहीं खजियाती है अपितु बीज भी 'खजिया' जाता है। 'सार' फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की उर्वराशक्ति में सुधार होता है और पैदावार में वृद्धि होती है। खरपतवार के नियंत्रण का यह जोरदार तरीका है। यदि लगातार एक फसल एक ही खेत में उगाते रहे तो अगली फसल में उसी फसल के गिरे बीज उग आते हैं जो खरपतवार के रूप में विकसित हो जाते हैं। उन्हें शुद्ध पौधों के साथ पहचानना मुश्किल होता है। धान, झंगोरा एवं बारहनाजा सभी फसलों पर यह खतरा बना रहता है।

फसल चक्र में मिट्टी को बचाने का चिंतन भी है, धरती माँ की ऊपरी सतह, जिस पर तरह–तरह की फसलें उगती हैं सबसे महत्वपूर्ण है। हर एक जीवधारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी से पोषण लेते हैं। मिट्टी की बहुलता की वजह से उसे लोग फालतू चीज समझ बैठते हैं, तभी तो जब कोई चीज सस्ती बिक रही होती है तो लोग कहते हैं, मिट्टी के मोल बिक रहा है यानि मिट्टी का कुछ मूल्य नहीं है। लेकिन बारहनाजा फसल पद्धति विकसित करने वाले किसानों ने मिट्टी के मोल को समझने का प्रयास किया है, उन किसानों के अनुसार मिट्टी अनमोल है। इसीलिए बारहनाजा के खेतों को फसल कटाई के पश्चात बंजर छोड़ देते हैं। यह फसल व खेतों की छुट्टी के दिन होते हैं। ये छुट्टियां पूरी रबी सीजन की होती हैं। यानी लगभग अक्टूबर से मार्च तक छुट्टी चलती हैं। पुराने समय में जब लोगों के पास पशु ज्यादा थे तो पूरे शरद काल में इन खेतों में पशु छोड़े रहते थे। आज भी अनेक इलाकों में इस परती भूमि में मौसम के अनुसार कई क्षेत्रों मे गोठ–परंपरा से पशुओं को छोड़ कर खूब गोबर दिया जाता है। जमीन को एक तरह से कुदरती स्वरूप में लौटाने के प्रयास होते हैं।

यह फसल चक्र या सार का एक हिस्सा है। जिसके नियम सबको एक साथ मानने पड़ते हैं। वसन्त ऋतु के आगमन पर इन खेतों के बीच या अन्य खेतों में भी धरती की

Scanned by CamScanner

पूजा के साथ खेती के कार्य शुरू होते हैं। एक तरह से छुट्टी के बाद "शुभ प्रभात" होती है। उस दिन उड़द की दाल के पकोड़े सहित अच्छे–अच्छे पकवान बनाये जाते हैं। ढोल वादक भी द्वारे–द्वारे ढोल नगाड़ा बजाकर बधाई देने पहुंचता है। कुछ दिनों बाद इन खेतों की सार का नया फसल चक्र शुरू होता है। सबसे पहले एक हल चला कर पाटा लगा कर छोड़ देते हैं। फिर उन खेतों में गोबर फैला कर दूसरा और तीसरा हल चला कर इसमें झंगोरा कोणी व उखड़ी धान की फसल बोयी जाती है। झंगोरा व धान के बीज एक आध बारिश के पश्चात उग आते हैं और गर्मियों में तेज सूखे को भी आसानी से झेल लेते हैं। गर्मियों में मुरझायी फसल पौधों की निराई गुड़ाई करना उन दिनों आसान रहता है। वर्षा आने के पश्चात मुरझायी फसल पर नये नये कल्ले आ जाते हैं। यह फसल फिर सितम्बर से अक्टूबर तक में काट ली जाती है। यह फसल चक्र यहीं समाप्त होता है।

असौज (अक्टूबर) के आरम्भ में जब खेतों में नमी रहती है तो रबी की फसल में गेहूं बुआयी आरम्भ होती है यह बारहनाजा का चौथा फसल चक्र है। यानी उसी सार में रबी की फसल आती है। रबी की फसल अप्रैल मई में कट जाती है। और खेत खाली हो जाते हैं। कुछ दिन खेत खाली रहने के पश्चात इन खेतों में पांचवें फसल चक्र में बारहनाजा वापस लौट आता है।

बुआई

बारहनाजा मई–जून में उन दिनों बोया जाता है, जब खूब गर्मी पड़ने लगे और खेतों की नमी पूरी सूख जाती है। पुराने समय में लोगों ने 20 गते ज्येष्ठ के पश्चात बारहनाजा या मंडुआ बुआई के लिए उपयुक्त माना था। बुआई के हिसाब से यह सबसे कम मेहनत की खेती है। बुआई की तैयारी से पूर्व खेत के आस–पास की सारी कंटीली झाड़ियां काट कर खेत में इकट्ठा कर लेते हैं। साथ ही जंगल से चीड़ की

Scanned by CamScanner

पत्तियां (पिरूल) लाकर खेत में बिछा देते हैं, और कंटीली झांड़ियों के साथ इसे जला दिया जाता है। कंटीली झाड़ी के ढ़ेर को जलाना 'आड़ा' कहलाता है। किन्तु जब पूरे खेत में आग जलाते हैं इसे 'दंवाड़ना' कहा जाता है। दंवाड़ने से खरपतवार तो नियंत्रित होते ही हैं साथ ही किसानों का अनुभव है कि खेत की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती है। निःसन्देह जलने के बाद राख के अवशेष से पोटाश और फास्फोरस आदि तो मिलता ही है, एक और लाभ यह होता है कि कई महीनों से बंजर खेतों में चूहे बिल बनाकर अपना आवास बना लेते हैं। और चूहों की तलाश में सांप बिलों में घुस आते हैं, जिसके फसलस्वरूप कभी–कभी हल चलाते समय खतरा उत्पन हो जाता है। किंतु आग लगने से सांप भाग जाते हैं। हांलाकि आग से दंवाड़ना प्रदूषण का एक कारक है और जैविक तत्वों के लिये नुकसान देह भी, अन्य जगह पर भी आग का खतरा भी है, कई बार खेतों से जंगल की ओर आग फैल जाती है।

बुआई से पूर्व बीजों की अलग–अलग तैयारी करनी जरूरी समझी जाती है। मंडुआ के बीजों को बिजुंडे से निकाल कर ओखली में मूसल से हल्का–हल्का कूटते हैं। कूटने से पूर्व मूसल के मुंह को गाय के कच्चे गोबर से पोतते हैं गाय का गोबर उपलब्ध न होने पर भैंस का गोबर ही उपयोग में लाते हैं। हल्का सा गोबर बीजों के साथ मिलाते हैं। कहा जाता है कि इससे बीज 'सन्तवाण्या' नहीं होता अर्थात बीज मरते नहीं बल्कि बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है।

बारहनाजा के खेत में सिर्फ एक ही हल लगाया जाता है, हल लगाने से पूर्व बोने वाले बीजों में गहथ, भट्ट, राजमा, नौरंगी, उड़द, मूंग, भांग, मक्का, लोबिया, ओगल, जौन्याला एवं सण आदि हैं। इन बीजों को छिटक कर बोया जाता है। ज्यादातर इलाकों में इन्हें मिश्रित कर बोया जाता है। किंतु बुआई करने वाले किसान को खेत की बनावट का पूरा पता होता है, कि कहां पथरीला है और कहां अच्छी मिट्टी वाला, यह कोशिश होती है कि पथरीली जगह दलहन की मात्रा

Scanned by CamScanner

ज्यादा हो, खेत की मेंढ़ पर हल के पीछे–पीछे लाइन में मक्का और लोबिया बोने की परम्परा भी कुछ इलाकों में है। यदि खेत बहुत चौड़ा या बड़ा है तो बीज बुआई से पूर्व इसे दो–तीन लाइन में हल चलाकर बांट देते हैं। ताकि सुव्यवस्थित ढंग से बारी–बारी से बीज बोया जा सके। इसे आली देना कहते हैं। बीज बुआई के पश्चात सिर्फ एक हल लगाया जाता है, हल के पीछे–पीछे महिलाएं कुदाल से मिट्‌टी

मंडुवा

के छोटे–छोटे ढ़ेलों को तोड़कर या खरपतवार हटा कर मिट्‌टी को समतल करने का कार्य करती हैं जिसे ''धाण'' कहते हैं। हल लग जाने के पश्चात मंडुआ या रामदाना के पहले से तैयार बीजों को छिटक कर बोया जाता है और फिर उपर से हल्का पाटा लगा देते हैं। ताकि बीज मिट्‌टी के साथ मिल जाय। किसी किसी क्षेत्र में तो पाटे की जगह किनगोड़े की कंटीली झाड़ियों को खींचकर बीज मिलाया जाता है। एक कहावत है कि मंडुआ का बीज मुट्‌ठी में भी अंकुरित हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मंडुआ बहुत जल्दी अंकुरित

Scanned by CamScanner

होता है। और निःसन्देह हल्की वर्षा से भी अंकुरित हो जाता है। और यदि अंकुरित होने के बाद यह पौधा नहीं बना तो इसके मरने का पूरा पूरा खतरा है। इसलिए कुछ किसान मंडुआ को दो तला यानी हल लगाने से पूर्व दलहनों के साथ भी थोड़ा–थोड़ा बो देते हैं और उपर भी ताकि यदि उपर के बीज मर भी जाय तो नीचे वाले बीज बारिश के बाद उग आयेंगे। बारहनाजा बुआई के लिए वह सबसे अच्छा मौसम है जब खेत में खूब धूल उड़ने लगे। उगने में मंडुआ सबसे आगे है।

अनेक फसलों में गोबर या कंपोस्ट की खाद बीज बुआई से पूर्व डाली जाती है। किंतु बारहनाजा की फसल में बीज बुआई के पश्चात ऊपर से गोबर की खाद डाली जाती है। अधकच्चा या सड़ा–गला हर तरह का गोबर डाला जा सकता है। कहते हैं कि बारहनाजा खासकर मंडुआ जब उपर बोते हैं, तो उसे खाद भी ऊपर ही चाहिए। वह ऊपर की खाद को नीचे पहुंचा लेता है।

बुआई के कुछ दिन बाद यदि अच्छी बारिश हो जाय तो सोने में सुहागा है। बारिश से पूरी की पूरी फसल उग आती है जैसे कि फसल बारिश की प्रतीक्षा में हो। सूखे धूल उड़ते खेत हरियाली में बदल जाते हैं। जिसे देखकर किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, कुछ किसान यदि पहले बारहनाजा या मंडुआ बोने में पिछड़ गये हों तो वे तुरन्त अपने हल बैलों को लेकर खाली खेतों में बारहनाजा बोने पहुंच जाते हैं। नमी में बोयी गयी फसल को बातरी, बातरा या बतरू कहते हैं। अक्सर बातरी आल नमी को कहा जाता है। नमी को गढ़वाली में आल कहते हैं। बातरी आल में बोयी गयी फसल तुरन्त उग आती है। फसल उगने के पश्चात पूरी तरह मानसून नहीं आता बल्कि कुछ दिन सूखा रहता है। सूखा रहना बारहनाजा के लिए बुरा नहीं है, न सूखे से फसल पर बुरा असर पड़ता है किंतु सूखा दो तीन सप्ताह तक ज्यादा अच्छा है। यदि सूखे से फसल झुलसी भी दिखाई दे तो भी फसल खराब नहीं होती। फसल के साथ खरपतवार भी बड़ी मात्रा में उग आते हैं जो

Scanned by CamScanner

अक्सर वास्तविक फसलों को दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों बाद फिर मानसून की बारिश शुरू हो जाती है। भले ही आज के मौसम बदलाव से समय पर अच्छी बारिश नहीं

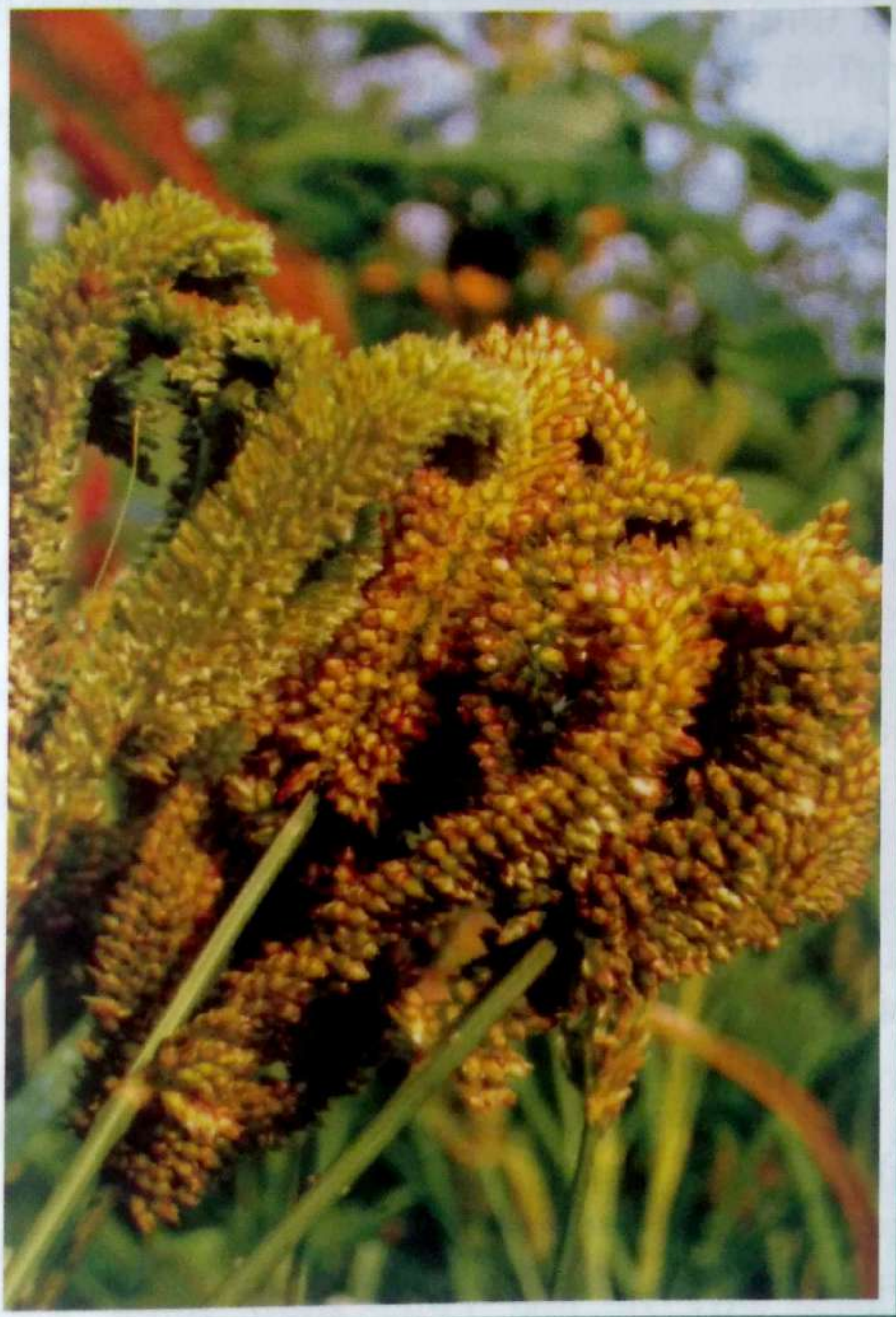

मंडुआ

आ रही है, बारिश से बारहनाजा की फसलों के खेत खूब हरे भरे दिखने लगते हैं।

Scanned by CamScanner

बारहनाजा में जख्या एक ऐसी फसल है जो कभी भी बोयी नहीं जाती और खरीफ में हर सार में जख्या स्वतः उग आता है। यह एक तरह का खरपतवार ही है। कहीं–कहीं खेतों में बड़ी मात्रा में जख्या उग आता है। जब जख्या का ज्यादा उपयोग नहीं था, साथ ही इसकी आर्थिक उपयोगिता भी नहीं थी तब लोग खेतों में जख्या उगना गाली समझते थे। किंतु आज जख्या के उगने की भी प्रतीक्षा रहने लगी है क्योंकि उसकी उपयोगिता बढ़ गयी है। बाजार में भी जख्या की बड़ी मांग है, जख्या का तड़का (छौंका) मजेदार होता है और गुणकारी भी है।

बारहनाजा में तिलहन वाली फसल भंगजीर उगाने का टिहरी गढ़वाल का बासर पट्टी में अनोखा तरीका है। अक्सर अक्टूबर नवम्बर में जब भंगजीर की फसल कटती है तो इसकी मंडाई झड़ाई के पश्चात जो कूड़ा करकट बचता है उसे किसान गेहूं के खेत की मेंढ़ पर या उपर नीचे डाल देते हैं, सर्दियों की बारिश या बसन्त के पश्चात भंगजीर के कूड़े करकट से पौधे उग आते हैं। दरअसल उस कूड़े करकट में भंगजीर के बीज छूट जाते हैं, जो बसन्त में उग आते हैं। गेहूं कटने के पश्चात जब खरीफ में बारहनाजा बुआई होती है तो भंगजीर के पौधे उगे होते हैं। हल लगाते समय उन्हें थोड़ा–थोड़ा बचा दिया जाता है किन्तु बैलों के खुरों से कुचलना निश्चित है, फिर भी जरूरत के लायक पौधे बच जाते हैं और बाद में बारहनाजा की फसल का हिस्सा बन जाते हैं।

बारहनाजा की फसल में खरपतवार एक बड़ी समस्या है, मुख्य खरपतवारों में कुकर्‍या, परदेसी, चीणा खाड़, झंगोरी, मलसू, मंगणा, मोरा, झुर्रा आदि हैं। कुछ नये खरपतवार तो इधर उधर से हरित क्रान्ति के पश्चात आये जिनमें तिपलिया, या कई अनाम हैं। सिर्फ निराई गुड़ाई के मार्फत खरपतवारों पर नियंत्रण करने में भारी श्रम शक्ति लगती है। फिर भी खेत अच्छा नहीं बन पाता। इस समस्या के निदान के लिए दंदाला लगाया जाता है। दंदाला एक जोरदार औजार है जो मजबूत सेमला सादन या कुकाठ की लकड़ी का

Scanned by CamScanner

बना होता है। इस पर कंघीनुमा छः लकड़ी की नुकीली छड़ें लगायी जाती हैं जिन्हें घांगे कहते हैं। घांगे भी बांज या अन्य मजबूत लकड़ी के बने होते हैं एक तरह से यह सिंह हैण्ड हो की तरह होता है। दंदाला को बैलों की सहायता से खींचा जाता है। किंतु उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ में कई दूरस्थ स्थानों पर महिलाएं भी इसे खींचती हैं। दंदाला लगाने के

राजमा

लिए बरसात के मौसम में सबसे तेज धूप वाला और दोपहर का समय चुना जाता है। जब बैल दंदाला खींचते हैं तो दंदाला लगाने वाला व्यक्ति बड़े जतन से ज्यादा खरपतवार वाले हिस्से में जोर से दंदाले का कंघा खेत में दबाता है ताकि खरपतवार ज्यादा उखड़ जाय। जहां पर सिर्फ दलहन, तिलहन है, वहां दंदाला हल्का दबाया जाता ताकि ज्यादा पौधे न उखड़ जायें। दंदाला लगाते समय खरपतवार के ढ़ेर जगह–जगह छूट जाते हैं, खरपतवार ही नहीं अपितु जो फसल ज्यादा उगी है वह भी काफी उखड़ जाती है। उसे

Scanned by CamScanner

महिलायें खेत में ही फैला देती हैं। तेज धूप में दंदाला से उखड़े सब खरपतवार सूख जाते हैं यह सब कार्य साथ–साथ करना होता है। दंदाला लगने के बाद यदि खेत की तरफ नजर दौड़ाये तो बड़ी निराशा लगती है, ऐसा लगता है जैसे सारे खेत की फसलें उखड़ गयी हों और खेत बंजर हो गया हो लेकिन कुछ दिन बाद खेत पुनः हरा भरा हो जाता है, सभी विविधता युक्त प्रजातियां नजर आने लगती हैं। जब कभी खरपतवार या खुद मंडुवा बहुत उगा होता है और समय पर दंदाला नही लगता है तो फसल बर्बादी के कगार पर होती है। दंदाला लगाने से खेतों की उर्वराशक्ति बढ़ जाती है और फसलें नये–नये कल्लों के साथ हरियाली बिखेर देती हैं। किन्तु यदि खेतों में कोई खाद्यान्न या दलहन कम दिखाई दिया तो दंदाला लगाते समय खेतों में बीज बिखेर देते हैं ये बीज कुछ दिनों बाद उग आते हैं।

बारहनाजा की गुडाई निराई एक महत्वपूर्ण कार्य है। खरीफ की अन्य सार झंगोरा धान की गुडाई व रोपाई के काम सम्पन होने के बाद आखिर में बारहनाजा गुडाई होती है, इसे मुख्यतः कोदा गोडवार्त के नाम से जाना जाता है। किन्तु यहां पर बारहनाजा की फसलों का संतुलन रखना पारंपरिक ज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कार्य ज्यादातर महिला किसान बखूबी जानती हैं। खेत की मेंढ के पास लोबिया और मक्की या रामदाना रखा जाता है। रामदाना के पौधे के पास राजमा, नौरंगी व अन्य दलहन फलते फूलते हैं। खेत का इतना संतुलन कायम रहता है कि सभी फसलें एक दूसरे की पूरक बनकर पूरे खेत को भर देती हैं। यदि संतुलन में गड़बड़ी हो गयी तो फसलें एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे को दबा देंगी जो फसल नीचे दब गयी उसका उपर उठना फिर मुश्किल होता है। दुबारा एक दूसरे को दबाने वाली फसलों को उखाड़ना पड़ता है।

पुराने लोग कहते थे कि बरसाती फसलें ''कखड़फाली'' होनी चाहिएं यानि काखड़ 'हिरन' की टाप की दूरी के बराबर हों तो फसलें अच्छी होती हैं। भले ही इन

Scanned by CamScanner

फसलों की अन्य कोई निश्चित माप निर्धारित नहीं है किन्तु यह सब मिट्टी की बनावट ढाल व पथरीलेपन आदि के हिसाब

बारहनाजा की फसल

से निर्धारित होता है। क्योंकि गुड़ाई कार्य यदि ज्यादा देर से हुआ तो खाली स्थान पर पौधा लगाने पर बाद में जड़ तोड़ लग जाता है। गुड़ाई करते समय खरपतवार के छोटे–छोटे

Scanned by CamScanner

किसान जब अकेले इन दलहनों को उगाते हैं तो इसके लिए सबसे बेकार जमीन का चयन होता है, ऐसी भूमि बिल्कुल पथरीली भी हो सकती है। जिसे गथ्वाड़ा भट्वाड़ा ''गहथ व भट्ट का खेत'' नाम से जाना जाता है। दरअसल ये दलहन जड़ों के मार्फत जैविक राइजोवियम व नाईट्रोजन तो देते हैं ही साथ ही कटाई से पूर्व इनकी पत्तियां खेत में बिखर जाती हैं। जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य सुधर जाता है। बारहनाजा की अन्य खुराक लेने वाली फसलों के लिए ये दलहन वरदान हैं।

पारिस्थितिकीय तंत्र की सुरक्षा

हल की फाल निःसन्देह भूक्षरण को न्योता देती है किन्तु मनुष्य की पेट की आग बिना हल लगाये मिटनी संभव नहीं। फिर भी हल ट्रैक्टर से कम ही भूक्षरण करता है। भूक्षरण या भूस्खलन फसलों के स्वभाव पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि किसान एकल सोयाबीन या मटर की खेती करता है तो इसमें मिट्टी की उपजाऊ परत बड़ी मात्रा में आरम्भ से लेकर फसल कटाई तक बहती रहती है। किन्तु बारहनाजा की फसलें मिट्टी की उत्तम संरक्षक हैं। हल व पाटा लगाने के बाद किसान मिट्टी को बहने से बचाने के लिए खेत के बीचों बीच मेंढ पर या खेत के आकार के अनुसार दो तीन लाइनों में हल चलाते हैं। हल की जो लाइन बनती है तो मिट्टी बहती जरूर है किन्तु बहकर दूसरे खेत या बाहर नहीं बहती अपितु लाइन वाली नाली में जमा हो जाती है। यदि एक नाली भर भी जाय तो दूसरी नाली में मिट्टी व पानी अटक जाता है। अंत में मेंढ वाली नाली तक तो पूरी रूकावट हो जाती है। यह समस्या तब तक है जब तक फसलें उगती नहीं। फसल उगने के पश्चात बारहनाजा के मिश्रित पौधे खेत की ऊपरी परत पर छा जाते हैं, धीरे–धीरे उनकी जड़ें मिट्टी में जाल जैसा अवरोध बना लेती हैं सबसे मजबूत मंडुआ की जड़ें मानी जाती हैं। जब वह अपने यौवन पर होता है तो उसे

उखाड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा रामदाना, ओगल, सण व मक्का की जड़ें भी फैलने वाली हैं। इनकी चौड़ी पत्तियां तेज बारिश की बूंदों को भी धीमा कर उन्हें फुहारे में बदल देती हैं। मिट्टी एक तरह से स्पंज का कार्य करती हैं। अन्य निचली फसलें भी फैल कर मिट्टी को बहने से बचाती हैं। मिट्टी के कटाव भूक्षरण व भूस्खलन को रोकने की यह

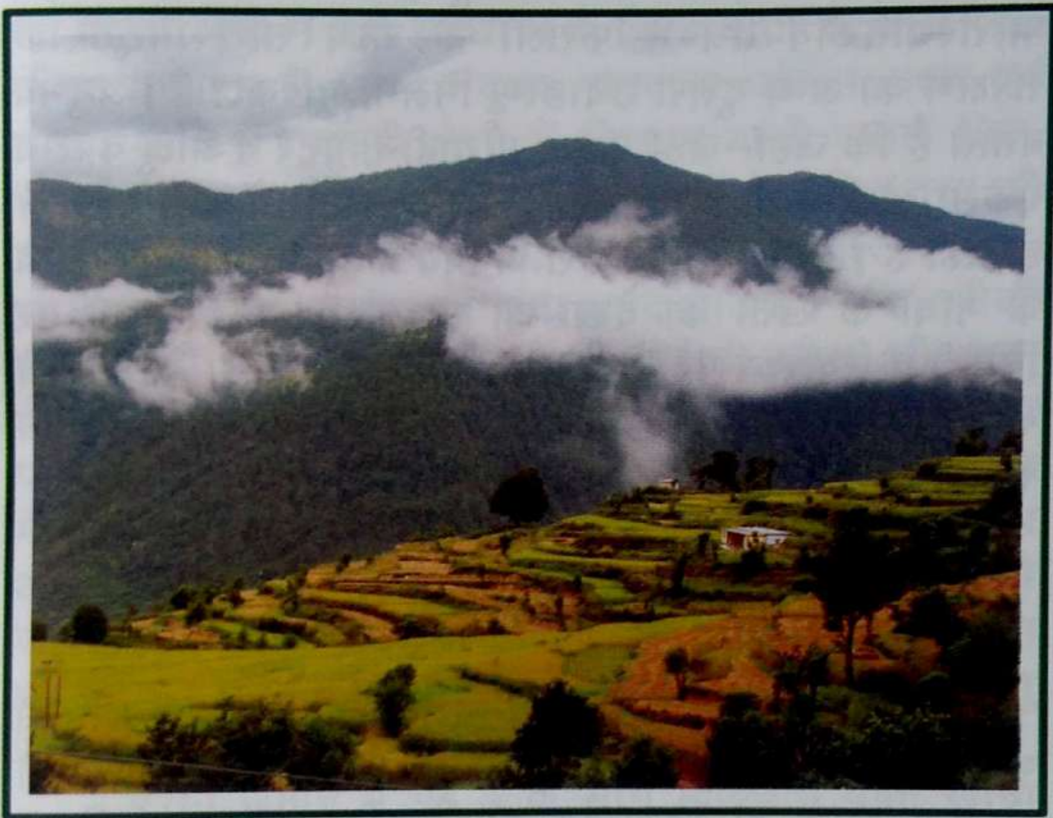

पर्वतीय खेती का एक दृश्य

पद्धति निःसन्देह कारगर है। उन इलाकों में खेतों के आस–पास कभी भूस्खलन जैसी घटनाएं नहीं होती जहां पारंपरिक फसल चक्र के अन्तर्गत खेती होती है। चमोली जिले के ऊखीमठ क्षेत्र के कुछ गांवों में जब खेतों के आस पास भारी भूस्खलन हुआ तो वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन ज्यूलोजिकल सर्वे के वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर पाया कि उस क्षेत्र में एकल फसलें भूस्खलन का मुख्य कारण था। फसलें खेत में खड़ी रहने तक ही संरक्षण नहीं होता है अपितु फसलें

Scanned by CamScanner

कट जाने के बाद भी कुछ महीनों तक मिट्टी का कटाव नहीं होता, पुराने समय में तो मंडुवा की सिर्फ बाली काटते थे और तना खेत में खड़ा छोड़ देते थे। सर्दियों में यहां पशु खुले रहते थे। किन्तु अब बालें काटने के पश्चात चारा भी पूरा काट लेते हैं। और खेत बिल्कुल खाली हो जाता है। इसके बावजूद भी इन फसलों की जड़ें खेत की मिट्टी को अगली फसल आने या हल लगने तक मजबूती से थामें रखती हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र में फसलों के साथ साथ मिट्टी के संरक्षण का अन्य दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। अनुभव बताते हैं कि जहां–जहां एकल सोयाबीन, मटर व आलू व अन्य एकला खेती होती है वहां भूस्खलन की घटनायें बड़ी मात्रा में हो रही हैं। इसके लिए टिहरी जनपद के चम्बा मसूरी के बीच के गांवों के खेतों को देखा जा सकता है। उन स्थानों पर मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मिट्टी की उपजाऊ परत नष्ट होने से वहां रासायनिक खादों का सहारा लेते हैं जो और भी अधिक घातक है।

खाद्य सुरक्षा और पोषण

खेती का पहला उद्देश्य खेती करने वाले की पेट की भूख शांत करना माना गया है। लेकिन एक ही खाद्यान्न को रोजाना खायें तो निःसन्देह हमारी जीभ का स्वाद बिगड़ जायेगा और फिर धीरे–धीरे हमारा मन उसके विमुख हो जायेगा। गढ़वाली में इसे बिकुल पड़ना कहते हैं। इसलिए जीभ विविधता की चीजें ढूंढती हैं। सिर्फ जीभ के स्वाद की दृष्टि से नहीं अपितु शरीर के विभिन्न अंगों के पोषण के लिए भी यह विविधता काम आती है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जां सकता कि विविधता प्रकृति का पहला गुण है। प्रकृति ने कुछ ऐसे बीज दिये हैं जिनकी फसलों को रोटी के रूप में खाया जाता है तो कुछ ऐसी फसलें हैं जिन्हें भात के रूप में खाया जाता है। किन्तु अकेले न तो रोटी खायी जाती है न भात, उसके साथ दाल व सब्जी भी जरूरी चाहिए और एक

Scanned by CamScanner

फसल की एक प्रजाति नहीं है अपितु दर्जनों या सैकड़ों प्रजातियां मिल जायेंगी जिनका स्वाद भी विभिन्न तरह का होगा। उत्तराखण्ड के किसान विविधता के गुण को पूर्व से ही समझते थे इसीलिए उन्होंने बारहनाजा की पद्धति को अपनाया होगा। बारहनाजा संतुलित भोजन, संतुलित खेत और संतुलित समाज का द्योतक है।

बारहनाजा को मुख्यतः तीन श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में ऐसे खाद्यान्न हैं जिन्हें रोटी या अन्य रूपों में खाया जाता है, उसमें मंडुआ, रामदाना, ओगल, ज्वार एवं मक्का आदि हैं। दूसरी श्रेणी में तिलहन वाली फसलें तिल, भंगजीर, सण व भांग आते हैं। तीसरी श्रेणी में विविध तरह की दालें आती हैं जिनमें राजमा, गहथ, भट्ट, नौरंगी, मूंग, रगड़वांस, उड़द, गुरूंश एवं सुंटा आदि आते हैं। यदि बारीकी से देखें तो चौथी श्रेणी में काखड़ी (पहाड़ी खीरा) भी आता है। जिसकी अपनी अलग बनावट और अलग स्वाद है। और पांचवी श्रेणी देखें तो जख्या को मुख्यतः तड़का मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यदि छठी श्रेणी भी कहें तो भांग और सण से तेल तो निकालते ही हैं साथ ही इनके पौधों से जोरदार व मजबूत रेशा भी निकाला जाता है। औषधीय गुण भी अनेक दलहन व तिलहन में हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं अपितु पशुओं के लिए भी बारहनाजा के अनेक उपयोग हैं।

पुराने जमाने में पहाड़ के लोग विविधता युक्त खाना खाते थे तो बड़े स्वस्थ और निरोग रहते थे, खूब हट्टे–कट्टे होते थे, उन्हें भड़ (भारी,बलवान) कहा जाता था, इतने बलिष्ठ होते थे कि आज जितना वजन एक क्रेन उठाती है, उतना एक भड़ उठा लेता था। भड़ों द्धारा निर्मित प्राचीन गढों और राजाओं के भग्नावशेष देखे जा सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर की शिलाओं से भड़ों ने गढों का निर्माण किया था इन्हीं गढ़ों के कारण यह क्षेत्र गढ़वाल कहलाया। इतिहास साक्षी है कि 52 गढ़ों का राज्य भड़ ही चलाते थे। जंगली रास्ते से गुजरते वक्त यदि किसी की टक्कर रीछ या भालू से हो गयी तो समझ लो भालू की मौत आ गयी। भालू भड़ के पीछे भागता था और

Scanned by CamScanner

भड़ पेड़ की ओट में खड़ा हो जाता था। भालू उसे मारने के लिए क्रोध में दोनों भुजायें खड़ी कर हमला करता था तब तक वह फुर्ती से पेड़ की दूसरी तरफ लपक जाता था और हमला करने वाले भालू की दोनों भुजाओं को दोनों हाथों से जकड़ लेता था। पेड़ के एक तरफ भालू और दूसरी तरफ से भड़ भालू की दोनों भुजाओं को इस तरह खींचता था जैसे मठ्ठा करने की रस्सी खींची जाती है और देर तक दोनों भुजाओं के जोर से रगड़े जाने से भालू मर जाता था। भालू की भुजाओं को पकड़कर पहाड़ के सामान्य लोगों ने भी अपने को बचाया और भालू की मौत हुई। कभी अचानक पेड़ से गिरने या ढंगार (ऊंचे पहाड़ से) से गिर जाने के बावजूद भी दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति की हड्डियां नहीं टूटती थीं। अब चारपाई से गिरने पर भी हड्डी टूट जाती है। आज जगह–जगह अस्पताल खुल रहे हैं नई–नई बीमारियां आ रही हैं किन्तु ज्यों–ज्यों दवा का प्रचलन बढ़ रहा है बीमारियां या मर्ज भी बढ़ रहा है। तब न बीमारियां थीं न मरीज, डाक्टर यदि कहीं थे भी तो 200 मील से भी अधिक दूर मैदानी शहरों में। पहाड़ी लोगों का अच्छा स्वास्थ्य यहां के विविधता युक्त खान पान और शुद्ध वातावरण में निहित था। बीमार पड़ने पर जड़ी बूटी से इलाज करते थे।

चिपको आंदोलन के सुप्रसिद्ध लोक कवि घनश्याम सैलानी ने लोकपरंपरा एवं अपने अनुभव के आधार पर वस्तु स्थिति का वर्णन करते हुए यह गढवाली गीत लिखा है–

हरचि कख गढवाल कू ऊ कोदू कंडाली?
गोल गफ्फा बण्यां रंदा थां जैन गढवाली।
मोल थां बमोर पक्यां,
डाला झकाझोर झुक्यां,
कना दिन थां तबारी
कुछभि नि थै दुख बिमारी
काफल किनगोड़ खायी लोण राली राली
हरचि कख गढवाल कू ऊ कोदू कंडाली

गढ़वाल का कोदा, कंडाली (बिच्छू घास), झंगोरा, दही–मट्ठा

जैसा विविधता युक्त खान–पान जंगली फल शाक–भाजियां कहां खो गयी हैं?जिन्हें खाकर यहां के लोग निरोग और बलिष्ठ रहते थे। इसी खान पान के परिणाम स्वरूप यहां के इतिहास पुरूष स्वाभिमानी रहे हैं, यहां तक की पांडवों ने भी यहां आकर कोदा खाया। चन्द्र सिंह गढवाली का स्वाभिमान भी यहां की खान–पान की देन था।

नोटः–गीत काफी लंबा है और गढवाल के गौरव के नाम से जाना जाता है। यहां सिर्फ अग्रिम पंक्तियां दी गयी हैं।

खेती और पशुपालन का व्यवसाय कर यहां के लोग सुख शान्ति से रहते थे। भले ही लोग खाद्यान्न, दलहन और तिलहन में पाये जाने वाले पोषक तत्वों के वैज्ञानिक नाम नहीं जानते थे। किन्तु बारहनाजा में उगाया जाने वाला मंडुआ उनका मुख्य भोजन था और मंडुवा के पोषक तत्वों को यदि ढूंढें तो पता चलता है कि मंडुआ कैल्शियम और फास्फोरस की खान है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और बढ़ते बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। इसका कैलोरी या ऊर्जा मान भी उच्च है। यही कारण है कि पहाड़ के लोग दिन भर कठोर परिश्रम करने में सक्षम थे और निरोग रहते थे। इसी तरह रामदाना, ज्वार व कुट्टू भी उच्च गुणवत्ता वाले खाद्यान्न हैं। रामदाना का हरा साग भी खून बढ़ाने वाला है। इसमें खूब लोहा पाया जाता है। साथ ही इसमें लाइसीन और ल्यूसीन जैसे महत्वपूर्ण प्रोटीन पाये जाते हैं। जो अन्य फसलों में नही हैं। इसी तरह ओगल भी है। रामदाना और ओगल तो खाद्यान्न है ही साथ फलाहार में भी पहले नम्बर पर हैं और यदि हम सब्जी की बात करें तो बुआई के दो सप्ताह से ही ये हरा साग देने लग जाते हैं। लोग बारहनाजा के खेतों में निराई गुड़ाई करते समय से ही ओगल और रामदाना का साग खाने लगते हैं। मंडुआ की रोटी खाने वालों को कुदरती आयोडीन भी मिल जाता है।

पहाड़ी राजमा में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है, मांस और अण्डे के समकक्ष राजमा में प्रोटीन पाया जाता है। अन्य दलहन नौरंगी, गरूंश, गहथ, भट्ट में भी प्रोटीन की

Scanned by CamScanner

भरमार है। सिर्फ प्रोटीन ही नहीं अपितु अन्य खनिज विटामिन भी इनमें भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं। शरीर को ऊर्जा भी खूब देते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर कुलथ गुर्दे की पथरी की रामबाण औषधी है। जो लोग निरंतर गहथ खाते हैं उन्हें कभी पथरी रोग नही हो सकता। तिलहनों में तिल, भंगजीर खूब वसा युक्त है। पानी की कमी दूर करने में काखड़ी उपयोगी है। यह खीरा एक डेढ फुट लम्बा कुदरती बीज होता था और बारहनाजा के खेत की मेंढ पर या आस पास के पेड़ पर इसकी बेल फैल जाती थी। खेतों में फसल कटाई के वक्त काम करने वाले लोग मिलजुल कर काखड़ी खाकर आनन्दित होते थे। किसानों के पास पैसा भले ही कम था किन्तु विविधता युक्त खान–पान की कमी कहीं नजर नहीं आती थी। मोटा अनाज कही जाने वाली फसलें मंडुआ, रामदाना, झंगोरा, कौणी व चीणा गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती थीं। मोटे अनाजों को हमें ताकत के अनाज कहना चाहिये ये फसलें उनके चेहरों पर रौनक लाती थीं। तो खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ उनके संतुलित भोजन की जोरदार व्यवस्था हो जाती थी। कहीं–कहीं यह व्यवस्था आज भी कायम है जिसके प्रमाण दूरस्थ क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं।

आज फसलों के मरने, मिट्‌टी की उर्वरा शक्ति घटने, खेतों के बटवारे एंव जनसंख्या बढ़ने के कारण अनाज की कमी भी हो रही है। पुराने समय में इतना अनाज पैदा होता था कि नई फसल आने के बाद ही पुराने अनाज को खाने के लिए निकाला जाता था और नई फसल को अगले साल के लिए रख देते थे। एक तरह से उनके पास वर्ष भर का बफर स्टाक होता था। यह मान्यता थी कि पुराने अन्न में बरकत होती है, स्वादिष्ट, सुपाच्य और पकाने पर ज्यादा होता है। आज भी अनेक गांवों में इस तरह की व्यवस्था कायम है किन्तु गिने चुने घरों में। टिहरी गढवाल की बासर पट्‌टी और उत्तरकाशी की रामासिंराई में सदियों से चली आ रही यह व्यवस्था आज भी कायम है। रामासिंराई या रंवाई के लोग राजशाही के समय राजदरबार में अनाज की आपूर्ति करते थे।

Scanned by CamScanner

बारहनाजा कटाई

यह सवाल मन में उठना स्वाभाविक है कि जब इतनी सारी किस्में एक साथ एक खेत में उग रही हों तो कटाई कैसे करते होंगे?शायद यह बहुत मुश्किल काम है या जैसे बीज मिश्रित कर बोते हैं तो शायद कटाई भी मिश्रित तो नहीं करते?लेकिन यह पारंपरिक ज्ञान एवं अनुभव की धनी पर्वतीय महिलाओं के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। भादों का महीना लगते ही बारहनाजा के खेत की देखभाल कटाई की दृष्टि से होने लगती है। सबसे पहले जख्या की फसल पकने लगती है। इसकी फलियां बहुत ही संवेदनशील होती हैं, यदि पूरी तरह पक कर सूख गयी तो अपने आप ही फलियां फट कर बिखर जायेंगी, इसलिए इसे थोड़े पीलेपन के बाद तुरन्त पौधों सहित काटा जाता है। कुछ दिनों बाद तरह–तरह के लोबिया की फलियां भी पीली–पीली नजर आती हैं। पकी फलियों को तोड़कर घर ले जाते हैं और फिर जैसे–जैसे पकती हैं, ले जाते रहते हैं। कुछ दिनों बाद मक्का की फसल भी पकने लगती है, यदि भुट्टे के रूप में मक्की खानी है तो उसे कच्चा तोड़ते हैं और यदि दाने के रूप में चाहिए तो जब तक भुट्टा पेड़ पर सूखा न दिखायी दे तब तक नहीं तोड़ते हैं। भादों के महीने की तेज धूप फसल को तेजी से पकाती है।

लोबिया के साथ, मूंग की फलियां भी पकने लगती हैं, उन्हें भी महिलाएं अलग–अलग इकट्ठा कर ले जाती हैं, महिला किसान खेत से खाली नहीं लौटतीं, उनकी "खोंगली" पर कुछ न कुछ रखा रहता है। असौज आते–आते फसल पकने का ग्राफ तेज हो जाता है। तब सबसे पहले मंडुआ की फसल पकती है। जब मंडुआ के खेत या बालियों में पीलापन आ जाता है तो फसल की कटाई की जाती है। मंडुआ की सिर्फ बालियां काट कर टोकरों, या रिंगाल के स्वेटों में रखकर घर लाते हैं। मंडुआ कटाई को मंडुआ लवार्त कहते हैं। पहली कटाई में लगभग 90 प्रतिशत से अधिक पकी हुयी बालियां काट ली जाती हैं। इसके साथ ही अन्य दलहन भी

Scanned by CamScanner

पकने लगते हैं जिनमें राजमा, नौरंगी, उड़द, गहथ, भट्ट, रगड़वांस आदि हैं। इनकी फलियां अलग तोड़ना मुश्किल है, इसलिए इनकी पहचान के आधार पर अलग–अलग ही इनके पूरे पौधों को काट कर रखा जाता है। इन्हें घर की छत या खलिहान में लाकर फैला देते हैं और सूखने पर इन्हें अलग–अलग कूट कर भण्डारित किया जाता है। मंडुआ की कटाई के पश्चात लगभग तीन सप्ताह बाद एक और कटाई की जाती है। तब तक पहली की छूटी हुयी कच्ची बालियां या काटे गयी बालियां वाले पौधे में नई बालियां आकर तैयार हो जाती हैं। यह मंडुआ की एक और कटाई हो जाती है। साथ ही रामदाना व जोन्याला की फसल भी पक जाती है। इनकी बालियां भी काटी जाती हैं। जिन्हें अलग–अलग रख कर सुखा कर बाद में खलिहान में कूटा जाता है। मंडुआ व रामदाना की फसल ज्यादा मात्रा में होती हैं इसलिए इन्हें डंडे से कूटने के बजाय बैलों से दांय निकाल कर दाना भूसा अलग किया जाता है। भंगजीर और तिल के भी पूरे पूरे पौधे काटकर अलग–अलग सुखाकर कूटते हैं। सण और भांग सबसे आखिर में पौधों सहित काटते हैं और इसे सूखने में ज्यादा समय लगता है। काखड़ी (पहाड़ी खीरा) एक ऐसी मजेदार फसल है जो भादों के महीने से शुरू होती है और कार्तिक तक चलती है। जरूरत होने पर लोग तोड़कर खाते रहते हैं। बच्चे एक दूसरे के खेतों से चुपचाप काखड़ी तोड़ते रहतें हैं। काखड़ी की चोरी नहीं मानी जाती है।

खाद्यान्न का पुराना पंचायती प्रबंध

चार पांच दशक पूर्व हर एक गांव में पंचायती अनाज भण्डार हुआ करते थे। आज की भाषा में एक तरह से अनाज बैंक या यूं कहें स्वयं सहायता समूह की परंपरा यहीं से शुरू हुई। गांव के पंच एक व्यक्ति को गांव के अन्न भण्डार के लिए भण्डारी नियुक्त करते थे। उसके पास भण्डार की चाबी होती थी, उसे गांव में काफी प्रतिष्ठा मिलती थी। उसकी सहायता

Scanned by CamScanner

के लिए एक लिखने वाला (लिख्वार) तथा एक मठपति (खजांची) रहता था। लेखा जोखा लिख्वार के पास तथा अनाज की पूरी जिम्मेदारी भण्डारी की होती थी। गांव में एक परि (प्रहरी) रहता था जो बैठकों की जानकारी के लिए आवाज लगा कर सूचना देता था। कहीं–कहीं यह प्रहरी 'डाल हांकने' (तंत्र–मंत्र के द्धारा ओला वृष्टि को रोकने) का कार्य भी करता था। उसे "डाल्या" कहा जाता था। डाल हांक कर जब वह ओला वृष्टि रोकता था तो इसके बदले उसे पंचायती खेत और फसल पर "ड्डवार" खालिहान यानि प्रत्येक परिवार अनाज देता था।

लोगों को भण्डार में अनाज देना पड़ता था। निश्चित मात्रा में पाथा का हिसाब होता था। नई फसल आने पर एक पाथा धान, दो पाथा मंडुआ, दो पाथ झंगोरा, एक सेर दाल, एक माणा मिर्च, एक पाथा गेहूं एवं घी तेल अनाज जमा हो जाता था। जरूरतमंद लोग इस अनाज को उधार ले जाते थे। उधार में डेढ गुना करके वापस देना पड़ता था। कभी–कभी बहुत कम समय के लिए जब अनाज या अन्य सामग्री दी जाती थी तो इसे पैंछा कहते थे। इसमें जितना ले जाते थे उतना ही वापस करते थे। अनाज की जरूरत विशेष उत्सव, शादी या अन्य कार्यों के लिए होती थी। दूसरे गांव के लोग भी इसका लाभ उठाते थे। किसी–किसी गांव में धन भी जमा होता था और उधार दिया जाता था। इस तरह गांव का अनाज कोष व धन बढ़ता जाता था। पंचायती अन्न भंडार हर तरह से दुख–दर्द विवाह उत्सव श्राद्ध में तो काम आता ही था साथ ही दैवी आपदा सूखा या अकाल के आड़े वक्त काम आता था। तब असली ग्राम स्वराज्य था। किन्तु आज यह व्यवस्था इतिहास की वस्तु बन गयी है। अब बाजार नजदीक आ गया है, जगह–जगह खाद्यान्न की दुकानें खुल गयी हैं और स्वयं सहायता समूह नये अंदाज में खूब बन रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की शुरूआत हमारे यहां विरासत से है। भले ही अब सेल्फ–हेल्प ग्रुप का विचार पश्चिम की देन माना जाता हो।

लोक कवि घनश्याम सैलानी ने इस स्वावलम्बी अन्न

Scanned by CamScanner

व्यवस्था का वर्णन करते हुए कितना सटीक वर्णन किया है।

"अन्न कु कोठार थौ,
बीज कु भण्डार थौ,
उजु पैछु उधार थौ,
आपस मा प्यार थौ,
कनु पुराणु बीज थौ धरती व ई माटी को"

(अन्न का अपना कोठार था, बीज का अपना भण्डार था, आपस में वक्त पड़ने पर अनाज का लेन देन होता था, सभी लोग आपस में प्यार से रहते थे, यह सब इस धरती माँ व मिट्‌टी से उत्पन्न पुराने बीजों की देन थी)।

हरित क्रान्ति और आधुनिक विकास ने पहाड़ों की इस स्वावलम्बी जीवन धारा को तोड़ने का कार्य किया है। लोगों का मानस भी बदलने लगा। विविधता युक्त खान पान का स्थान गेहूं चावल तक सीमित हो गया। सरकार ने सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें खोल कर खाद्य सुरक्षा का जिम्मा लिया। किन्तु सरकारी सस्ते गल्ले में भी कहीं भी ताकत के अनाज मंडुआ–झंगोरा आदि अनाजों की आपूर्ति नहीं होती, सिर्फ चावल और गेहूं, किन्तु आज कल तो वह भी नसीब नहीं है। अब वैश्विकरण के दौर में इसे भी खत्म करने की योजना बन रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि हर तरफ सरकारी योजना में विविधता को हटा कर लोगों के हाथ से संतुलित आहार छीना जा रहा है, फिर बाजार भी नजदीक आ गया है। किन्तु खरीद के लिए पैसा चाहिए और पैसा कहां से आयेगा। इसलिए एकल नकदी फसलों की ओर किसानों को आकर्षित किया जा रहा है। किन्तु बारहनाजा या अन्य पारंपरिक फसलें भी व्यवसायिक दृष्टि से उपयोगी हैं।

Scanned by CamScanner

मोटे अनाज नहीं ताकत के अनाज कहिए

ग्रामीण भारत की आजीविका, खाद्य सुरक्षा व खाद्य सम्प्रभुता में बहुमूल्य योगदान देने वाले मुख्य अनाजों को मोटे अनाज का नाम कब और किसने दिया मालूम नहीं। किन्तु इनकी बनावट का यदि अवलोकन करें तो ये अनाज गेहूँ व चावल से कई गुना बारीक और छोटे हैं। मोटे अनाज के पीछे वही दृष्टि नजर आती है, जैसे किसी ग्रामीण को गंवार कह देना। कई लोग गाली के तौर पर भी गंवार शब्द का इस्तेमाल करतें हैं, उनके अनुसार गंवार असभ्य व बेहूदे होते हैं और मोटे अनाज यानि मोटा–झोटा बेकार खाना। लेकिन इन अनाजों में कितनी ताकत, पोषण व खनिज विटामिन छिपे हैं सामान्य आदमी नहीं जान सकता। हां ग्रामीण अनुभवी किसान इनकी महत्ता को पहले भी समझते थे और आज भी समझते हैं वैज्ञानिक इसे भली–भाँति समझते हैं किन्तु सरकारी नीतियाँ प्रतिकूल हैं।

खेती की सभ्यता व संस्कृति की यदि पड़ताल करें तो पता चलता है कि खेती की शुरूआत ही इन अनाजों से हुई। यही कारण है ये अनाज ग्रामीण भारत में खूब रचे बसे हैं। सिर्फ खान–पान में नहीं अपितु पूजन और प्रसाद में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु नगरीय सभ्यता ने इन्हें मोटे अनाज कह कर हाशिये पर डाल दिया। नगरीय संस्कृति और ग्रामीण किसानों की संस्कृति में यह फर्क था कि शहरी खान–पान में गेहूँ–चावल व दली हुई दालों का इस्तेमाल ज्यादा होता था। फिर भारत सैकड़ों सालों तक गोरे लोगों का गुलाम रहा तो खान–पान के नजरिये व खेती बाड़ी के नजरिये का भी वही मानस बना रहा। इसलिये शहरी लोगों की भोजन की थाली में अक्सर मोटे अनाज दिखाई नहीं देते थे। लेकिन गाँवों के लोग मिल–जुल कर इन अनाजों को बड़ी शान व इज्जत से विविध तरीके से खाते थे। लेकिन जब गाँव का आदमी शहर

Scanned by CamScanner

गया तो शहर में उसे गेहूँ, चावल ही दिखाई दिया, उसके मन में भी अपने इन महत्वपूर्ण अनाजों के प्रति हेय दृष्टि उत्पन्न हुई और धीरे–धीरे वे भी अपने इन ताकत के अनाजों को मोटे अनाज समझते लगे और अपने नव आगंतुक या मेहमानों से इन अनाजों को छिप कर खाने लगें गेहूँ, चावल हर एक भोज–उत्सव व समारोहों में मेहमानों का सभ्य खाना बन गया। हरित क्रान्ति ने इन्हें और हाशिये पर डाला तो सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूँ व चावल के चलन के बाद इन अनाजों की और अधिक उपेक्षा हुई।

दरअसल जिन अनाजों को मोटे अनाज कहा जाता है वे सभी अनाज ताकत, ऊर्जा व खनिज विटामिनों से भरपूर हैं। इसलिए यदि किसान इनका नामकरण करते तो इन्हें ताकत के अनाज कहते या अन्य सम्मानजनक नाम देते। इन ताकत के अनाजों को अंग्रेजी में मिलेट कहते हैं। इनमें बाजारा, ज्वार, मंडुवा, झंगोरा (सांवा), कंगनी, चीना आदि मुख्य अनाज हैं। हर एक की अपने आप में दर्जनों विविधतायुक्त प्रजातियां हैं। कुछ केरल के समुद्रीतट में उगती है तो कुछ उच्च हिमालय में लोगों के भोजन का मुख्य हिस्सा है। यदि हम सच्चाई से इन ताकत के अनाजों की पड़ताल करें तों आज जब पूरे देश में खेती नाजुक दौर से गुजर रही है और लाखों किसान अब तक आत्महत्या कर चुके है तो पता चलता है जहां–जहां भी किसान समुदाय ने विविधता की खेती के साथ इन ताकत के अनाजों की खेती छोड़ कर एकल नकदी फसलों को अपनाया उन्ही क्षेत्रों में आत्महत्याओं की घटनायें हुई हैं। निःसन्देह ये ताकत की फसलें खाद्यान ही नहीं देते है अपितु हर तरह के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोज, फास्फोरस, लोहा, रेशा, व ऊर्जा आदि की खान भी है। इसके अलावा हर तरह के खनिज विटामिन भी इनमें मिलते है।

यह बात पक्की है कि जो लोग अपने दैनिक भोजन में इन ताकत के अनाजों का सेवन करते है, रोग उनके पास फटक नहीं सकते और यदि किसी को रोग लग रहे है तो इनमें कई अनाज ऐसे है जो औषधीय गुणों से भरपूर है।

Scanned by CamScanner

मंडुवा और बाजरा तो कैल्शियम की खान है। जो लोग मंडुवा और बाजरे का निरन्तर सेवन करतें है उनकी हड़ियां खूब मजबूत होती हैं। बढ़ते बच्चों के लिए तो यह बहुत उपयोगी है, बच्चों को जब खसरा रोग होता है तो कंगनी का भात रामबाण औषधि का कार्य करता है। निःसन्देह ये अनाज कुदरत की एक अनमोल विरासत हैं जो मेहनतकश किसान मजदूरों को खाद्य सुरक्षा, पोषण तो प्रदान करते ही है साथ ही अनेक रोगों से भी बचाते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं अपितु पालतू पशुओं के लिए भी इनका अनाज व चारा–भूसा बहुत ही उपयोगी हैं। चारे–भूसे को भी किसान औषधीय गुणों से भरपूर मानतें हैं।

इन फसलों को उगाने, भण्डारण करने व खान–पान की विविधता का पारम्परिक ज्ञान किसानों को बखूबी आता हैं। भले ही यह ज्ञान कहीं लिखित नहीं है किन्तु अगली पीढ़ी तक सहज रूप से चला जाता है। सही कारण है कि इन ताकत के अनाजों की खेती बिना किसी सरकारी प्रयास के समुदाय के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि संकर प्रजातियों का चलन इन ताकत के अनाजों में भी वैज्ञानिक करने लगे हैं। फिर भी संकर प्रजाति पारम्परिक प्रजातियों के सामने नहीं टिकती।

हमारे देश में 70 प्रतिशत से अधिक खेती असिंचित है और मजेदार बात यह है कि अधिकांश ताकत की फसलें असिंचित या बरानी भूमि पर ही होती हैं। इन फसलों की खासियत यह है कि एक बार जमीन से बीज अंकुरित होने चाहिए उसके बाद यदि भारी से भारी से भारी सूखा भी पड़ जाये तब भी फसल सूखे से बर्बाद नही होती, उगते समय ही नहीं अपितु पकते समय भी ये ताकत की फसलें सूखा झेल जाती हैं, और पैदावार भी अच्छी होती है। सूखा, तूफान व बाढ़ आदि को झेलने की इन फसलों में पर्याप्त क्षमता होती है।

इन फसलों की मुख्य विशेषता यह है कि ये बिना लागत वाली हैं। बीज किसान अक्सर घर का ही रखते हैं। सिंचाई के लिए न तो बडे ताम–झाम की जरूरत है, न बांध

Scanned by CamScanner

बनाने पड़ते है न नहरों का जाल बिछाना पड़ता है। इनके लिए घर की जैविक खाद ही ज्यादा उपयोगी है और बीमारियां इन फसलों पर अक्सर नहीं लगती और यदि बीमारियां आ भी जाये तो बिना बाहरी खर्चे के या बिना कीटनाशक जहरों के बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इनके लिए बहुत अच्छी जमीन भी नहीं चाहिए। हर तरह की जमीन में ये फसलें पैदावार देती हैं। हर एक प्रतिकूल मौसम में भी किसान को एकदम निराश नहीं होना पड़ता है।

ताकत की इन फसलों का मजेदार स्वभाव यह भी है कि ये मिश्रित रूप से भी उगायी जा सकती है। बल्कि यूँ कहें कि इन्हे दूसरी प्रजातियों का साथ अच्छा लगता है। इनके साथ दलहनी फसलें खासकर नोरंगी, लोबिया, सोयाबीन, मूँग व उड़द के साथ मिलने पर फसल की पैदावार तो बढ़ती ही है साथ ही जमीन भी उपजाऊ होती है। पहाडों में बारहनाजा (मिश्रित खेती) तो विविधता सांवर्धन का जोरदार उदाहरण है। जैव विविधता के मेल जोल में ये ताकत की फसलें एक दूसरे की संगी साथी हैं।

पर्यावरण या पारिस्थितिकीय संरक्षण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। फसलें भूमि के कटाव या मिटटी के क्षरण को आसानी से रोकती हैं। पहाड़ों में जहां–जहां बारहनाजा उगाया जाता है। वहां भूस्खलन या भूक्षरण की समस्या नहीं आती। इस तरह ये ताकत की फसलें किसानों के लिए वरदान हैं।

Scanned by CamScanner

पारम्परिक बीज एवं कम पानी में धान की अधिक पैदावार की नई तकनीक : श्री (सिस्टम ऑफ राइस इन्टेन्सिफिकेशन) पर विकासखण्ड भिलंगना टिहरी के कुछ गाँवों के अनुभव

हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका कृषि पर आधारित है। यही स्थिति उत्तराखण्ड की भी है, जहां वर्षा में काफी असमानता है जबकि ज्यादातर खेती वर्षा पर ही आधारित है। उत्तराखण्ड में खरीफ मौसम में धान की खेती सिंचित क्षेत्रों में प्रमुख रूप से होती है। उत्तराखण्ड में कृषि योग्य भूमि 792 हैक्टेयर है जो कि कुल क्षेत्रफल का 12.05 प्रतिशत है। शेष 59.34 क्षेत्रफल वर्षा पर आधारित है। वर्षा खरीफ मौसम में ज्यादा होती है। धान की परम्परागत खेती के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है। धान के खेत में पानी 2–3 इंच तक भरकर रखते हैं जिसके लिए भरपूर पानी चाहिए। यहां धान का औसत उत्पादन 30 से 40 कुन्तल प्रति हैक्टेयर है जो कि काफी कम है। पानी की बढ़ती मांग तथा भविष्य में पानी की कमी को देखते हुए धान की खेती की एक नयी विधि विकसित की जा रही है जो कि किसानों व देश के लिय काफी उपयोगी है। इस विधि में कम बीज व कम पानी से अधिक उत्पादन होता है। इस विधि को धान सघनीकरण (सिस्टम ऑफ राइस इन्टेन्सिफिकेशन–एस0 आर0 आई0) कहते हैं।

ऐसा माना जाता है कि धान अधिक पानी में पनपने वाला पौधा है और अच्छी फसल के लिए खेती में पानी भरकर रखने की आवश्यकता होती है लेकिन मेडागास्कर में नयी पद्धति से किये गये प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खेत में पानी

Scanned by CamScanner

नहीं रहने पर मिट्टी में वायु का संचार होने से पौधों की जड़ों की बढोत्तरी अधिक अच्छी होती है जिससे सम्पूर्ण पौधे स्वस्थ रहते हैं और उनका अच्छा विकास होता है। इसका धान के उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

नये अनुसंधानों से निष्कर्ष निकला है कि पौधों की जड़ों को उचित मात्रा में हवा नहीं मिलती है। इसलिए अधिकांश जड़े बालियों के निकलने तक कमजोर हो जाती हैं जिसमें कभी–कभी फसल हवा से गिर जाती है और उत्पादन कम हो जाता है। जबकि नयी विधि मे पौधों को उचित मात्रा में हवा मिलने से जड़ो की वृद्धि व पौधे का विकास अच्छा होता है व उत्पादन ज्यादा होता है। इस नयी पद्धति से धान की खेती करने पर रोपे गये पौधे से अधिक कल्ले व बालियां निकलती हैं। इन मुख्य विशेषताओं के कारण इस पद्धति से धान की खेती करने से उपज बढ़ती है जिससे किसानों के लाभ में वृद्धिहोती है।

उत्तराखण्ड में पानी की बढ़ती कमी को देखते हुए यह विधि बहुत उपयुक्त है जिससे किसान कम पानी से भी अधिक खेतों में धान का उत्पादन कर सकते हैं। इस विधि में किसान को कम बीज व कम पानी की जरूरत पड़ती है और रासायनिक खाद व कीटनाशक के स्थान पर जैविक खाद और जैविक तरीके से कीट नियंत्रण उपयुक्त होता है। इस विधि द्धारा उत्पादित धान स्वाद में अच्छा व स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। भूमि में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धिहोने से भूमि की उत्पादकता मे वृद्धि होती है जिससे उत्पादन व किसान की आय में वृद्धि होती है । परम्परागत विधि की अपेक्षा एस. आर. आई. विधि से उत्पादन मे डेढ़ से दो गुना तक बढ़ोतरी होती है।

सामान्यतः एक किलोग्राम चावल की पैदावार में लगभग 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। देश में वर्तमान में 2 करोड़ 40 लाख हैक्टेयर भूमि में धान की खेती होती है। पानी की कमी के कारण कई राज्यों में धान की खेती के क्षेत्रफल में कमी आ रही है। यदि एस. आर. आई. विधि

Scanned by CamScanner

अपनाई जाती है तो हम वर्तमान में धान के लिए इस्तेमाल हो रहे पानी से सिंचित क्षेत्र में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर सकते है। इससे धान की पैदावार में भी 50 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी।

एस. आर. आई. क्या है

एस. आर. आई. परम्परागत तरीके से पैदा की जानेवाली धान का नया विकल्प है। इस तरीके में, पौधों को

श्री विधि से तैयार धान की फसल

जल्दी सावधानी पूर्वक रोपा जाता है। (परम्परागत खेती में 25 दिन के पौधों के मुकाबले 8 से 12 दिन के पौधों को), इन्हें बगैर कीचड़युक्त परिस्थिति में रोपा जाता है, पौधों की रोपाई के बीच पर्याप्त जगह छोड़ी जाती है, यह जगह 20, 25, 30 सेमी तक हो सकती है, जहां खेत को धान में बाली आने तक

Scanned by CamScanner

बार–बार से नम एवं सूखा रखा जाता है एवं पानी से नहीं भरा जाता। जहां (पौधों मे धान के बढ़ने के दौर में खेत में 1 से 3 सेमी पानी) पौधों की कटाई करने से 25 दिन पहले खेत से पानी निकाल दिया जाता है एवं जैविक खाद जितना हो सके

एस. आर. आई. विधि व परम्परागत विधि की तुलनात्मक तालिका

एस. आर. आई. विधि	परम्परागत विधि
• कम बीज की आवश्यकता (प्रति है. 5 किग्रा)	• अधिक बीज की आवश्यकता (प्रति है. 35 से 40 किग्रा)
• कम पानी की आवश्यकता (1–3 सेमी बालियां निकालने समय)	• अधिक पानी का आवश्यकता (अधिकाश समय 3–5 सेमी. पानी भरा रखते है)
• पौध रोपण के लिए नर्सरी में बेड में उगाना आसान व कम समय लगता है।	• पौध रोपण के लिए पौधे व पंक्ति की दूरी कोई निश्चित माप नही है।
• पौधे से पौधे व पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10 इंच रखते है।	• पौधे से पौधे व पंक्ति की दूरी कोई निश्चित माप नहीं हैं।
• खरपतवार नियंत्रण वीडर मशीन के द्वारा करते है।	• खरपतवार नियंत्रण हाथ द्वारा करते हैं। जिससे महिला कार्यबोझ अधिक होता है।
• औसत उत्पादन 55–75 कुन्तल प्रति हैक्टेयर है।	• औसत उत्पादन 25–38 कुन्तल प्रति हैक्टेयर है।
• भूमि में जीवांश की संख्या में वृद्धिहोती है।	• भूमि में जीवांश कम संख्या में बढ़ते है।

Scanned by CamScanner

उतना प्रयोग किया जाता है धान की रोपाई के 10 दिन बाद मशीन से निराई आवश्यक है, अधिक निराई को बेहतर माना जाता है।

मॉउंट वैली डेवलपमेन्ट एसो0 द्वारा जनपद टिहरी गढवाल विकासखण्ड भिलंगना में 143 गाँवो के 1442 किसानों के साथ इस विधि को अपनाया गया जिसमें प्रयोग के आधार पर जो अनुभव रहे है उसके आधार पर पारम्परिक पद्धति और श्री पद्धति का ग्राम बहेड़ा में तुलनात्मक अध्ययन किया गया जो इस प्रकार है :–

धान की फसल परम्परागत और श्री विधि का कटाई के समय तुलनात्मक परिणाम (बहेड़ा घनसाली) दिनांक 24/09/2008

क्र.स0		परम्परागत	श्रीधान
1.	पौधों की संख्या (1x1)	27	21
2.	कल्लों की संख्या	236	231
3.	पौधे की ऊँचाई (से.मी.)	143	170
4.	बालियों की संख्या	205	231
5.	बालियों की लम्बाई (से.मी.)	18	21
6.	दाने की संख्या (औसत)	132	237
7.	कुल दानों का वजन	455 ग्राम	715 ग्राम
8.	पराल का भार (किलों)	3	4
9.	ऊपज कु0 प्रति हैक्टर	45.5	71.5
10.	पुराल (चारे) की ऊपज	300कु0/है0	400कु0/है0

इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि श्री विधि से हम धान को पूर्ण रूप से जैविक तो उगा रहे है लेकिन पांरम्परिक और घरेलू बीजों की प्रजातियों को भी बचा कर अगली पीढ़ी को दें सकते है और हम धान को बचाने में सक्षम हो पायेगें।

Scanned by CamScanner

नहीं तो इस भौतिकवादी युग में नकदी फसलों ओर हाई ब्रिड बीजों के चक्कर में कहीं यहां के किसान धान को ही खत्म न कर दें।

धान हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुयी फसल है। जन्म से लेकर जीवन के अन्तिम दौर तक चावल का महत्वपूर्ण स्थान है। पूजा–पाठ और देवी–देवताओं का प्रसाद भी मुख्य रूप से चावल ही है। हमारे खान–पान में यद्यपि अन्य विविधतापूर्ण खाद्यान्नों का योगदान भी है किन्तु दिन के खाने में यदि चावल न मिला तो लगता है कुछ खाया ही नहीं। धान के संरक्षण–संवर्धन के लिए बीज बचाओ आन्दोलन दक्षिण पूर्व एशिया के पेस्टिसाईड एक्शन नेटवर्क (मलेशिया) के धान वर्ष 2009 में सम्मिलित हो कर धान बचाओ अभियान चला रहा है।

मॉउंट वैली डेवलपमेन्ट एसो0 एवं अन्य कुछ संस्थाएँ भी इसमें सहभाग कर रही हैं।

Scanned by CamScanner

भिलंगना हिन्दाव के कुछ किसानों के अनुभव

बारहनाजा पारम्परिक कृषि

बारहनाजा एक ऐसा शब्द है जिसमें उत्तराखण्ड की धरती पर एक साथ एक मौसम में बारह तरह की फसलें बोई व पैदा की जाती थी जो कि एक पारम्परिक कृषि थी जिसमें 1. मंडुवा 2. झगोंरा 3. साटी (चावल) 4. कौणी 5. चिणा 6. ज्वार 7. मक्का 8. राजमा 9. काले भट्ट 10. उड़द 11. तोर 12. गहथ के अतिरिक्त कई तिलहन जैसे तिल, भंगजीर, भांग, जख्या, आदि पैदा किए जाते थे जो कि स्वास्थ्य वर्धक पौष्टिक सुपाच्य एंव कई बीमारियों से बचाव का काम करते थे जो कि किसी शब्द कोष में मिलना कठिन है। बारहनाजा के अलावा अन्य कई तरह की भांग, भाजी या मसाले व रेशा युक्त कई अन्य प्रजातियां भी शामिल थी जो कि खरीफ की फसल चक्र में बोये जाते थे जिसका चारा भूसा पशुओं को मजबूती देता था। यह समृद्ध परंपरा सदियों से चली आ रही थी लेकिन आधुनिक कृषि विज्ञान आने से वे परम्परायें जैविक बीजों का पतन किया गया है जो कुदरती प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा उर्जा देते थे। निःसन्देह बारहनाजा खुशहाली समृद्धिशाली एंव आशा का प्रतीक है जिसे दुबारा वापस लाने की भरपूर कोशिश की जानी चाहिए।

फतेसिंह राणा
ग्राम पगंरियाणा
टिहरी गढवाल

Scanned by CamScanner

गहथ (कुलथ)

गढ़वाल में गहथ एक ऐसी दाल है जिसकी मिसाल अन्य दालों में मिलनी आसमान छूना जैसी कहावत है। क्योंकि गहथ की फसल उगाने के लिए कोई विशेष मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है यह पथरीली जमीन पर भी आसानी से उग जाती है और खूब फलती भी है, गहथ की दाल के पकोड़े तथा कई अन्य तरह के पकवान बनायें जाते हैं इसमें सबसे खास गुण यह है कि गहथ का सेवन करने से पथरी आसानी से कट जाती है जिस किसी को पथरी की शिकायत होती है तो डाक्टर भी गहथ (कुलथ का सेवन करने की सलाह देते हैं)

श्रीमती चैता देवी
पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत बडियार
पट्टी हिन्दाव, टि०ग०

कोदा (मडुंआ)

हमारे खेतों में पैदा होनी वाली फसलों में एक मात्र कोदा (मडुंआ) एक ऐसी फसल है जिसको बोने में ज्यादा मेहनत नही करनी पड़ती है। हाँ जब कोदा की पौध उगती है तब जरूर गुड़ाई में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कोदा एक ऐसा अनाज है जो निरोग ताकतवर है। हाँ यह देखने मे काला जरूर है लेकिन जो लोग सबेरे नास्ता में दो या तीन कोदा की रोटी खा लेते हैं दिन भर भारी काम करने पर भी यदि दिन को खाने का समय न भी मिले तो खास भूख महसूस नहीं होती है। अब यह भी सुनने में आ रहा है कि हमारे क्षेत्र से कुछ विदेशी लोग काफी ऊंची कीमत पर कोदा खरीद कर रहे है उससे भी लगता है कि कोदा में काफी ताकत है।

श्रीमती कमला देवी राणा
ग्राम पंगरियाणा हिन्दाव
टि०ग०

Scanned by CamScanner

चीणा

हमारे क्षेत्र में चीणा एक ऐसी फसल थी जिसको बोने के बाद अन्य फसलों के मुकाबले सबसे पहले फसल तैयार होती थी जो कि स्वास्थ्य वर्धक निरोग व आसानी से पचने वाली होती थी जिसको उगाने में खास मेहनत भी नही करनी पड़ती थी लेकिन दुख इस बात का है कि हम लोगों ने बाजारी चावल व आटा को महत्व देकर अपने पुराने पारम्परिक बीजों का खातमा कर दिया है जिन्हे दुबारा वापस लाने के प्रयास करने चाहिए।

श्रीमती फुलादेई देवी रावत
ग्राम भौणा हिन्दाव
टि० ग०

कौंणी

वैसे तो गढ़वाल में कई स्थानीय फसलों में मंडुवा, झंगोरा, धान, सोयाबीन, राजमा ,गेहूँ, जौं आदि आज भी विद्ययमान हैं लेकिन कुछ वर्षों पूर्व यहाँ की जो पौराणिक फसलें थी जिनमें चीणा, कौणी, गहथ, काले भट्ट, उड़द की दाल जो कि पौष्टिक स्वास्थ्य वर्धक तथा कई तरह के रोगों से लड़ने वाले अनाज हैं उनका हरित क्रान्ति आने पर हमने पतन कर दिया है और आज हर दुकानों से खरीदे गये चावल, आटा सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं जिसमें कोई पौष्टिक तत्व विद्यमान नहीं है।

पुरानी फसलों में कौणी एक ऐसी फसल थी जो कि स्वास्थ्य वर्धक ताकतवर उर्जा देने वाली थी इसके साथ ही पौराणिक भी है जो अब लुप्त हो चुकी है ऐसे बीजों को वापस लाना बहुत जरूरी हो गया है।

कुंवर सिंह
ग्राम भोलगांव, बडियार
हिन्दाव, टि०ग०

Scanned by CamScanner

काला भट्ट

हमारे पुरखों ने पैतृक फसलों के अनाजो का सेवन करते हुए स्वयं में एक छवि बना रखी थी तत्कालीन फसलों के बारनाजा में मंडुवा, झगोंरा, उखडी साटी, काले भट्ट, गहथ, तोर, चीणा, कौणी, चौलाई आदि कई तरह की तिलहन व दलहन की भरपूर पैदावार थी जिसे खाकर बलवान निरोग लाल चेहरा दिखता था लेकिन आज के समय में छड़िया चौल दलि दाल बिना भरपूर मेहनत किए दुकानों से मिल रहा है जिससे हमने उस पुराने बीजों का विनाश कर बीमारियां मोल ले ली है काला भट्ट एक ऐसा बीज था जिसको उगाने में कोई कड़ी मेहनत नही करनी पड़ती है लेकिन उसके क्या गुण थे क्या स्वाद था निरोग स्वास्थ्य वर्धक था चाहे मन भून कर खाओ चाहे सिलबटे में पीस कर दाल बनाओ परांठे बनाओं लम्बे समय तक भूख नही लगती थी यदि आदमी कही लम्बे सफर में जाया करता था तो एक पाव या इससे कुछ ज्यादा भुने हुए भट्ट साथ में रख लिए तो रास्ता भी कट जाता था और भूख भी मिट जाती थी। यह विचार है कि यदि हम आधुनिक खान–पान के मीठे जहर से बच कर लम्बी उमर जीना चाहते हैं तो उन पुराने स्थानीय बीजों को फिर से बहाल करना होगा।

हुकम सिंह कैन्तुरा
ग्राम सरपोली, हिन्दाव
टि0 ग0

Scanned by CamScanner

खेती पर किसकी मार

खेती पर मार ही मार है, पहले किसान हिम्मत नहीं हारते थे किन्तु अब हिम्मत हारने लगे हैं, मार खाना उनकी नियती बन गयी है। आज की परिस्थितियों में किसान पर पहली मार उनकी चुनी हुई सरकारों की है क्योंकि सरकारें ही ऐसी विकास योजनायें लागू करती है जो कहने को किसान की भलाई के लिये होती है, किन्तु उसका फायदा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, उद्योगपतियों या अन्य व्यवसायियों को होता है मार का यह अप्रत्यक्ष रूप है। सीधी मार का सीधे विरोध होता किंतु यह मार विकास के लुभावने वेश में शुरू हुई थी। यह मार हमें रामायण में सीताहरण की याद दिलाती है। उस जमाने में ऋषि, मुनियों, सन्यासियों का खूब आदर होता था। उनके उपदेश और आर्शीवाद के लिये भी लोग तरसते थे। वे दया, करूणा व ज्ञान के स्रोत थे। वनवास काल में राम लक्ष्मण जब कुटिया में नहीं थे तो अकेली सीता के पास एक सन्यासी आया, सीता ने सन्यासी का आदर करते हुए उसे भिक्षा देनी चाही लेकिन उसने भिक्षा लेने से इसलिये इंकार कर दिया कि वह बंधी हुयी भिक्षा नही लेता, क्योंकि बंधी हुयी भिक्षा का मतलब था कि लक्ष्मण ने एक सीमा रेखा बना रखी थी, जिसके अन्दर यदि कोई आता तो भस्म हो सकता था। सीता संन्यासी के सम्मान में अपनी सीमा–रेखा या पारंपरिक ज्ञान को भूल गयी और संन्यासी पर विश्वास कर बैठी। जैसे ही वह सीमा रेखा से बाहर भिक्षा देने आयी, सन्यासी अपने असली भेष रावण के रूप में प्रकट हुआ और भिक्षा देने वाली सीता का ही अपहरण कर ले गया। सीता को रावण के चगुंल में फंसने के बाद ही षड़यंत्र का पता चला। हरित क्रान्ति भी विकास के वेष में आया रावण है। जिसने हमारे पारंपरिक बीज व खेती के पारंपरिक ज्ञान को हमसे छीन लिया।

विकास के वेश में जो उन्नत बीज आये वे अपने साथ रासायनिक खादें भी लाये, रासायनिक खादों से खेती का

Scanned by CamScanner

कुदरती स्वरूप बिगड़ा तो फसलों पर बीमारियों या कीटों का हमला बढ़ा। इसके नियंन्त्रण के लिये बीज देने वाली कंपनियां कीटनाशक लेकर आ गयी। कीड़े मर गये, किंतु सिर्फ शत्रु कीट नहीं अपितु उसके साथ मित्र कीट भी मरे। बीजों के साथ तरह–तरह के नये खरपतवार भी आये। आरम्भ में सब संसाधन मुफ्त या सब्सिडी में मिले किंतु जब किसान के घर के बीज समाप्त हो गये और सब्सिडी कम हो गयी, तब चाहे कीमत कुछ भी हो ये चीजें खरीदना किसान की मजबूरी बन गयी। नये कथित उन्नत बीजों के साथ पारंपरिक बीज एवं ज्ञान भी लुप्त हो गया।

इस तरह खेती में लागत बढ़ती गयी और लाभ के लिये किसान को सलाह दी जाने लगी कि नगदी फसल उगाओ, नगदी फसलों से ज्यादा पैसा मिलेगा। खेती की लागत ने विविधता वाली मिश्रित खेती एवं अनाजों पर हमला किया। खेती की लागत बढ़ती गयी और यह लालच ही एकल फसलों की ओर मोड़ कर उनकी घरेलु जीवनधारा को तोड़ रहा है। हजारों किस्म की जैव विविधता व कुदरती बीज इसी तरह लुप्त हो गये। किसान कंगाल हो रहे हैं और बीज, रासायानिक खाद एवं कीटनाशक बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कपंनियां मालामाल हैं। सरकार को इतने में ही संतोष नहीं है वे और खतरनाक योजनायें चला रही हैं। क्योंकि सरकारे भी बहुराष्ट्रीय कंमनियों के दबाव में हैं।

दूसरी मार प्राकृतिक आपदाओं की है। पुराने जमाने में वर्षों बाद कभी सूखा या अतिवृष्टि से फसलों को क्षति पहुंचती थी कितुं अब मौसम की मार निरंतर जारी है बल्कि यों कहें कि वर्षो बाद अनुकूल मौसम आता है। पहले साल में चार महीने असाड़, सावन, भादो व असोज को बारिश के महीने कहे जाते थे इन महिनों को चौमासा (चार्तुमास) के नाम से जाना जाता था। इन महिनों में मानसून इतना बरसता था कि जंगलो के मार्फत पहाड़ों में जल भण्डार पूरे भर जाते थे। सावन के महिने में रात दिन बादल छाये रहते थे। इसलिये इसे अधियारा महीना कहते थे। कहावत थी यदि सावन के महीने

में तारे दिखायी दें तो अनाज की पैदावार कम होती है। एक तारे को देखने से एक विस्वा अनाज घट जाता था। शरदकाल में भी खूब बारिश होती थी और अच्छी बर्फ पड़ती थी। अच्छी बारिश के कारण फसलों की खूब पैदावार होती थी। जल भण्डार भर जाते थे और जलस्रोतों व छोटी नदियों में सदाबहार पानी रहता था। हिमनदों से भी सदाबहार सदानीरा पानी बहता था। लेकिन अब कोई भी ऋतु नियत समय पर नहीं आती। इसके लिए पहाड़ के किसान ज्यादा से ज्यादा "द्योरा"(आसमान) को गाली देते हैं, सूखा पड़ जाये तो दोष आसमान पर और बेमौसम ज्यादा बारिश हो जाये तो दोष आसमान पर कभी–कभी देवी देवताओं का दोष समझकर पूजा अर्चना कर देते हैं। आधुनिक विकास के दुष्परिणाम किसानों के निशाने पर नहीं हैं। कुदरती जंगलों को काट कर किस तरह धरती का चीर हरण कर उसे नंगा किया गया, किस तरह खनन के दुष्परिणाम है। रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों जहरों को धरती के गर्भ में और वातावरण में फैलाया गया है। बड़े–बड़े उद्योगों एवं मोटर गाड़ियों का कितना विस्तार हो रहा है, चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण, कंकरीट के नये जंगल खड़े किये जा रहे हैं । समुद्र और अन्तरिक्ष के साथ भी नाजायज छेड़–छाड़ हो रही है इसके दुष्परिणामों के प्रति अभी जागरूकता नहीं है। जो भी हो पर बढ़ते प्रदूषण ने हमारी ऋतुयें हमसे छीन ली हैं। यह प्रचंड मार दिन प्रतिदिन किसानों पर बढ़ रही है ।

तीसरी बड़ी मार जंगली जानवरों की है। इस मार से किसान ज्यादा आहत है क्योंकि प्रतिकूल मौसम के बाबजूद यदि थोड़ा बहुत बचा भी तो जंगली जानवर हाथ से छीनकर ले जाते हैं। रीछ (भालू), हिरन, खरगोश, सेही आदि तो कभी–कभी नुकसान करते है किंतु सूअर और बन्दर तो किसान के प्रबल शत्रु बन गये हैं। मैदानी क्षेत्रो में नीलगाय और हाथी भी फसलों को क्षति पहुंचातें है। सुअर हर मौसम में आते हैं और कच्ची–पक्की फसलों को भारी क्षति पहुंचाते हैं, फसलों को नुकसान सिर्फ खाने के लिये नहीं करते अपितु

Scanned by CamScanner

कीड़े—मकोड़ो की तलाश में पूरी फसल खोद कर नष्ट कर डालते हैं। सुअरों की संख्या दिन—प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खेतों के आस—पास की झाड़ियों में ही इनका आवास है। रात को नुकसान पहुंचाने खेत में आते हैं और दिन को झाड़ियों में छिप जाते हैं।

बन्दर एक और बड़ी समस्या है। इनकी संख्या भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। खेतो में बीज बोने से लेकर कटाई तक बन्दरों का खतरा बरकरार है। हल लगाने और बीज बुआई के पश्चात जैसे ही किसान खेत छोड़ता है, बन्दरों की टोलियाँ खेत में आ धमकती हैं। जैसे वे नुकसान करने के लिये तैयार बैठे हों। जमीन खोद—खोद कर बीज चट कर जातें है, यदि कुछ बीज उनकी नजर से बच कर उगने लगें तो कई प्रजातियों के अकुंर या कल्ले भी खा जाते हैं कुछ फसल यदि उग भी जायें तो कटाई तक खतरे ही खतरे हैं। किसान बन्दरों को भगा—भगाकर थक जाते है कितुं बन्दर नहीं थकते। इतना सुक्र है कि बन्दर रात में खेतों को क्षति नहीं पहुंचाते, रात को बन्दर पेड़ों पर सो जाते है। वैसे बन्दरों ने मनुष्य की अनेक आदतें अपनाने की कोशिश की है और मनुष्य का डर अब इन्हें नही है। वे बड़ी चालाकी से मनुष्य को चकमा दे देते हैं। उत्तराखण्ड और हिमाचल के किसान बन्दरों से इतने परेशान है कि कभी—कभी बीज के लिए भी फसल का बचाना मुश्किल हो जाता है।

बन्दर पहले भी गांवो में आते थे और फसलों को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते थे किन्तु तब उनकी संख्या कम थी। अब कई टोलियां बन गयी हैं। पुराने समय में बन्दरों को भगाने की सामाजिक व्यवस्था ज्यादा मजबूत थी। हालांकि आज भी अनेक गांवों में यह प्रबन्ध हैं। बन्दर भगाने के इस प्रबधंन को बन्दरवाली कहते है। बन्दरवाली के लिये गांवो की आम सभा में पंचायत कुछ व्यक्तियों को बन्दरवाली के लिये नियुक्त करती है। गाँव या खेती बाड़ी के रकबे के हिसाब से किसी गाँव में 2—3 तो बड़े गाँव में 10—12 तक बन्दरवालों की संख्या होती है। ये बन्दरवाले सिचिंत खेतों में पानी का

Scanned by CamScanner

प्रबन्ध भी पानी पंचायत के मार्फत करते हैं। पानी प्रबंधन को कूलवाला कहा जाता है। दोनों काम करने के लिए इन्हें फसल पर जमीन के हिसाब से अनाज के रूप में मेहनताना दिया जाता है। बन्दरवाली का मेहनताना अनाज के रूप में पहले कम था कितुं अब लोगों ने बढ़ा दिया है। कहीं–कहीं मेहनताना पैसे में भी निर्धारित है, फिर भी बन्दर इतने अधिक हो गये हैं कि जब तक एक टोली भगाते हैं तब तक दूसरी आ जाती हैं। एक–एक टोली में दर्जनों से लेकर सैकड़ो तक बन्दर होते है, फिर बन्दर इतने चालाक और निडर हो गये है कि बन्दरवालों को चकमा दे जाते हैं। दूसरे गांव के लोग भी उन्हें भगाते हैं, अब बन्दर जायं तो जायं कहां ?जंगल जाना आज के बन्दरों के लिए मुश्किल है। नजदीक के जंगल कम होने से उनके लिये खान–पान का टोटा हो गया है। बंदर और सूअरों की बढ़ती संख्या कम करने के लिये किसान इनकी नसबन्दी की मांग करने लगे हैं। साथ ही खेतों एवं गाँव की सरहद पर सोलर या बिजली के तारों की फैंसिंग भी कारगर उपाय साबित हो सकता है। ऐसे में नुकसान पहुंचाने वाले जानवर झटका खा कर खेतों में नही आयेंगे। इन्हे पकड़ कर पार्कों या अभ्यारण्यों में छोड़ा जाना चाहिये। बन्दरों को हिन्दू संस्कृति के अंतर्गत मारना पाप है किन्तु कभी–कभी किसान इतने खीझ जाते हैं कि बंदर किसान के हत्थे चढ़ कर मारा जाता है चाहे पाप ही क्यों न लगे। सुअरों के शिकार की मांग भी जोर पकड़ रही है। जिसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

उत्तराखण्ड़ की जनता अब खेती सुरक्षा को लेकर आंदोलित होने लगी है। विगत वर्ष 2007 में टिहरी गढ़वाल की हेंवल घाटी एंव विभिन्न इलाके के किसानों ने जिला मुख्यालय नई टिहरी में एक प्रदर्शन किया, इस प्रदर्शन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भेजकर मांग की गयी कि सरकार खेती सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। इस के लिए सूअर और बंदरो की बढ़ती संख्या पर नियंन्त्रण के लिए

Scanned by CamScanner

उनका विस्थापन किया जाय। जरूरत पड़ने पर उनकी नसबन्दी की जाय और जहां सुअर किसानों का ज्यादा उत्पीड़न कर रहे है वहां सुअरों को मारा जाय। जंगली जानवरों की खान–पान की आदतों के अनुसार जंगल में वनीकरण के नाम पर अब तक करोडों रूपये खर्च हुए सरकार जंगली जानवरों के संरक्षण की योजना भी बनाती है किंतु दुख की बात यह है कि जंगली जानवरों के भोजन की व्यवस्था का प्रबंध अब तक नहीं हो पाया है।

यह भी मांग की गई कि विकास योजनाओं में खासकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना एवं वन विभाग की परियोजनाओं में खेती सुरक्षा के लिए गांव सीमा एवं खेत सीमा के बाहर पत्थर की घेरबाड़ व सोलर फैसिंग कर इन जानवरों से खेती का उजाड़ बचाया जाये। बिगड़ते मौसम के लिए जिम्मेदार वैश्विक सरकारें और उनका विनाशकारी विकास है। किसानों का इसमें दोष नहीं। जब तक कोई योजना नहीं बनती तब तक फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

बीज बचाओ आंदोलन ने उत्तराखण्ड के विभिन्न हिस्सों से आये कार्यकर्ताओं और मित्रों के बीच विगत वर्ष 2008 में एक सम्मेलन भी आयोजित किया। जिसमें पारंपरिक बीज एवं जैविक खेती बचाने के साथ–साथ खेती सुरक्षा के प्रस्ताव पास किये गये। आन्दोलन की मांगों को प्रदेश के मुख्य वन्य जंतु प्रतिचालक श्री कांत चन्दौला ने गम्भीरता से लेते हुए वनाधिकारीयों से प्रभावित क्षेत्रों में सुअरों को मारने के आदेश दिये है। किंतु शर्त यह है कि उत्पीड़क सुअर को वन विभाग की देख रेख में गांव के चुने हुए शिकारी ही मार सकते हैं और सुअर को खेतों की सीमा में ही मरना चाहिए, मारे गये सुअरों का मांस खाना वर्जित है। वन्य जन्तु कानून के अनुसार मारे गये सुअरों को जलाकर नष्ट करने का प्रावधान है। विभिन्न क्षेत्रों ग्राम पंचायतों का यह दायित्व है कि वे उपजिला अधिकारी को सुअर मारने के प्रस्ताव प्रस्तुत करें, तत् पश्चात वन विभाग सुअर मारने की व्यवस्था करेगा,

Scanned by CamScanner

इसे अच्छी शुरूआत कहा जा सकता है किन्तु सुअर के यदि बन्दूंक की गोली लगती है तो वह मरने के लिये निश्चित तौर से खेतों से बहार भागेगा यह सुअर का स्वभाव है इसलिये इस तरह के कानून में संशोधन की आवश्यकता है। बन्दरों को पकड़ने के लिए वन विभाग तैयार है किंतु वन विभाग का कहना है कि उसके पास अभी इस तरह का बजट नहीं है। यदि बजट उपलब्ध हो जाये तो कई बन्दर पकड़ने वाले विशेषज्ञों की टीमें बन्दर पकड़ कर बाहर ले जा सकती हैं। सुअरों द्वारा नष्ट की गयी फसलों के मुआवजे का प्रावधान भी वन विभाग के पास है। कई गांवों में सर्वे के बाद कोदा, झंगोरा, एवं दलहन वाली फसलों का मुआवजा बांटा गया। यह एक शुरूआत मात्र है अभी बहुत कुछ करना होगा।

आज जरूरत व्यापक जन जागरण लाने की है। हाथ पर हाथ धरे चुप–चाप बैठने की नहीं, ग्राम पंचायतों को स्वयं पहल कर वन विभाग एवं प्रशासन पर दबाव बढ़ाना चाहिए।

यदि उपरोक्त तीन समस्याओं का समाधान हो जाये तो वह दिन दूर नहीं जब पहाड़ पुनः खाद्यान्न व्यवस्था में आत्मनिर्भर हो सकते है। मौसम की मार के लिए सिर्फ प्रकृति को दोष देना पूरी तरह गलत है। यह समस्या मानवीकृत ज्यादा है और इसके सबसे बड़े दोषी विकसित देश हैं और सारी दुनिया उनकी नासमझी की नकल कर रही है। यह वैज्ञानिक सच है कि यदि एक कार एक लीटर खनिज तेल जलाती है तो उससे 3 किलो कार्बनडाइआक्साइड गैस वायुमण्डल में जमा होती है कल्पना करें प्रतिदिन कितना खनिज तेल जलता है और कितने करोड़ टन कार्बनडाइआक्साइड गैसें जमा हो रही हैं। फिर भी लोग चेतते नहीं, हमारे देश में तो नैनो जैसी कान को बढ़ावा देने के लिए सरकारें लालायित हैं। एक बस जहाँ 80 लोगों को ले जाती है वही 80 लोगों को 80 कार का सपना दिखाया जा रहा है। यदि दुनिया प्रदूषण कम कर दे और प्रकृति के साथ नाजायज छेड़–छाड़ बंद कर दे, साथ ही इसके सुधार के प्रयास हों तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, प्रकृति

Scanned by CamScanner

को क्षति पहुंचने वालों को दण्डित किया जाना चाहिये। अंतरिक्ष में जाने के बजाय पहले धरती माँ को बचाने के लिये अग्रगामी योजनायें बननी चाहिये। सरकारी मार से बचने के लिये किसानों को पारंपरिक ज्ञान को विज्ञान के रूप में समझना होगा, पारंपरिक बीज, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक और कीट नियंत्रण एवं विविधता युक्त खेती को बहुमूल्य समझना होगा। अपने आस–पास के कुदरती जंगलो का प्रबंध खुद करना होगा और जल व जमीन का सामुदायिक प्रबंध खुद करना होगा। अपने गांव की सरकार खुद बन कर ग्रामस्वराज्य का सूत्र समझना होगा।

इन समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को भी आगे आना चाहिए। विकास के नाम पर जो विनाश किया जा रहा है उसे गहराई से समझने की जरूरत है। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ानें के नाम पर जितना धन हरित क्रान्ति या उन्नत खेती पर खर्च हुआ, अब उससे सौ गुना या हजार गुना धन से उसके दुष्परिणामों से नहीं निपटा जा सकता है। इसलिये आज एक टिकाऊ कृषि नीति की जरूरत है। बीज, जल, जंगल और जमीन हमारे बहुमूल्य संसाधन है, इनका संरक्षण योजना का पहला लक्ष्य होना चाहिए।

परम्परागत फसलो के बीजो पर 50 वर्षीय ट्रैंड एनालैसस(विश्लेषण)

अध्ययन में सहयोगी गॉव :– देवलंग, थाती, त्रिकोट, चडोली, दर्जियाणा, देंवज, जोगीयाडा, पुर्वाल गांव, खाल,

Scanned by CamScanner

परम्परागत फसलों के बीजों पर 50 वर्षीय ट्रैड एनालैसस(विश्लेषण)

क्र.स.	फसल का नाम	फसल प्रजातियों का नाम	50 वर्ष पहले प्रजाति	20 वर्ष पहले प्रजाति	10 वर्ष पहले प्रजाति	वर्तमान समय मे उपलब्धतां
1.	धान	झैल्डु, लोहकाट (जटल्या), कल्लै, चैनाचार, जडख्या सटी, मुगरयासाटी, बसनियाली साटी,	सभी प्रजातियाँ उपलब्ध थी।	सभी प्रजातियाँ उपलब्ध थी।	कल्लैं, चैनाचार, मुगरया साटी,बसनियाली साटी विलुप्त हो गये है और सभी प्रजाति है।	झैल्डू, जटुल्या, जडख्या, सेनदु जो आज है तथा और प्रजाति विलुप्त हो गयी हैं।
2.	गेहूँ	मुण्ड़रया गेहूँ, लाल गेहूँ, श्वेता गेहूँ	सभी प्रजातियाँ उपलब्ध थी।	सभी प्रजातियाँ उपलब्ध थी।	सभी प्रजाति है।	सभी प्रजाति हैं।
3.	मंडुआ(कोदा)	दुंडख्या कोदा, बहेडिया कोदा	सभी प्रजातियाँ उपलब्ध थी।	सभी प्रजातियाँ उपलब्ध थी।	उपलब्ध	उपलब्ध
4.	कौणी	कौणी	सभी प्रजातियाँ उपलब्ध थी।	सभी प्रजातियाँ उपलब्ध थी।	कौणी	विलुप्त हो गया हैं।
5.	झंगोरा	सारी झंगोरा, पसई झंगोरा	सभी प्रजातियाँ उपलब्ध थी।	सभी प्रजातियाँ उपलब्ध थी।	सारी झंगोरा,	विलुप्त हो गया हैं।
6.	छाल	उड़द, राजमा, सून्टा, तोर, सोयबीन, काला सोयबीन, गहथ	सभी प्रजातियाँ उपलब्ध थी।	सभी प्रजातियाँ उपलब्ध थी।	सभी दाल मौजूद थी।	सभी दाल मौजूद हैं।
7.	सब्जी	राई, पालक, आलू, मूली, गाजर, शलजम, तोराई, बैंगन, कद्दू, करेला, चचेडा, भेन्डी, गोभी, टमाटर, प्याज, लहसुन, धनिया	सभी प्रजातियाँ उपलब्ध थी।	सभी प्रजातियाँ उपलब्ध थी।	सभी मौजुद थी।	सभी मौजूद हैं।
8.	फल	अखरोट, आडू, नांरगी, माल्टा, किनगैड, कलेहेसर, दाडिम, ककड़ी	सभी प्रजातियाँ उपलब्ध थी।	सभी प्रजातियाँ उपलब्ध थी।	दाडिम, कलेहेसर, किनगैड, विलुप्त होने के कगार पर है।	दाडिम, गिनगोड विल्प्त हो गया है बाकी सभी प्रजाति हैं।

Scanned by CamScanner

नपुंसक बीजः—नपुसंक बना सकता है

आज हमारे देश के कुछ हिस्सो में खेत खलिहानों पर जी.एम. अनुवांशिक परिवर्धित बीजों का गंभीर संकट आ गया है। भारत में आज लगभग 150 फसलों के बीजों पर 1500 स्थानों पर खुले खेतों में परीक्षण हो रहे हैं।

जी. एम. बीज फसल की उत्पादकता तथा गुणवत्ता को नहीं बढ़ाते। ये मात्र कीटनाशक का काम करते हैं।बायो टेकनॉलोजी से बीज के जीन में जहर का अंश डाला जाता है। अतः यह बीज अपने आप में जहर हो जाता है। बी.टी. कॉटन भी यही है।

जी. एम फसल के पराग हवा, पानी व अन्य कारणों से कई किलोमीटर तक एक वर्ष में फैलते हैं। इस से तमाम फसलों, पेड़ पौधों, घास–पत्ती के अलावा मधुमक्खियों, पक्षियों, कीटपतगों तथा अन्य जीवों व जल जीवों जैसे मछली इत्यादि तक संदूषण का असर फैलता है। कुछ ही वर्षो में संदुषण पूरे देश में फैलेगा और पड़ोसी देशों के खेतों में भी ये हो रहा है।

एक अध्ययन से यह पता चला है कि आंध्रप्रदेश के वारंगल जिले में जहां बी.टी कॉटन की खेती लगी थी, वहां चरने वाली 1500 भेड़ बकरी पिछले वर्ष मर गई। महाराष्ट्र के किसानों का यह कहना है हि जहां बी.टी. कॉटन की खेती लगी है उस क्षेत्र में बरगद, पीपल व नीम इत्यादि के पेड़ मर रहे हैं। विदर्भ–महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले 70 प्रतिशत किसान बी.टी. कॉटन के ही उत्पादक थे।

जी. एम भोजन खाने से मनुष्य को एलर्जी, केन्सर, मधुमेह, नंपुसकता तथा कई बीमारियां हो रही है, जिसका अभी डाक्टरों को भी पता नहीं है। किसान के जीवन को सब से ज्यादा खतरा है क्योंकि वे तो इन पौधों के सीधे सम्पर्क में रहते है।

Scanned by CamScanner

इस से पूरे वातावरण में जैविक प्रदूषण फैल रहा है। पारम्परिक स्थानीय बीज नष्ट हो रहे हैं। किसान की बीजों की स्वतंत्रता व अधिकार समाप्त हो रहे है। पेटेन्ट कानून के बल पर देशी विदेशी कम्पनियां, जैसे माहिको–मोन्सेंटो का बीजों पर एकाधिकार हो रहा है। इससे हमारा कृषि निर्यात बन्द हो सकता है यदि जी. एम. कृषि उत्पादों से बचाया नहीं जाता तो हमारा बीज स्टॉक हमेशा के लिए संदूषित हो जाएगा। इस संदुषण को समाप्त करने या सफाई करने का कोई उपाय–उपचार नहीं है। वैज्ञानिकों के पास भी इस का कोई समाधान या जवाब नहीं है। उक्त सच्चाई के बावजूद भी हमारी सरकारें बीज कम्पनियों के मुनाफे की मदद में लगी है और उपभोक्ताओं तथा किसानों को गुमराह कर रही है।

अतः हम उत्तराखण्ड सरकार से प्रदेश को जी. एम. मुक्त बनाने की मांग करते हैं। यदपि हमारे प्रदेश में अभी जी. एम. बीजों की अनुमति सरकार ने नहीं दी है किंतु देशी बहुराष्ट्रीय जी. एम. बीज लाने के लिए कुछ भी हथकंडे अपना सकती हैं। हम मांग करते है की उत्तराखण्ड जी. एम. मुक्त प्रदेश घोषित किया जाय। यदि यहां जी.एम. फसलों का प्रवेश होता है तो इसे जैविक प्रदेश नही कह सकते।

1. कृषि विश्वविद्यालय, शोध केन्द्र, बीज कम्पनी जो जी.एम. परीक्षण कर रहे हैं, संदुषण की सूरत में जन स्वास्थ्य, वन्यजीव, तथा जैवविविधता पर होने वाले नुकसान का हरजाना भरने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हों।

2. हमारे राज्य में जी. एम विज्ञापन बनाने वाली कंपनियों पर प्रतिबन्ध लगे और जनता को गुमराह करने के लिए उन्हे दन्डित किया जाए। कंपनियां बड़े–बड़े अभिनेताओं को भी बीज और जहरीले दवाओं/कीटनाशक को बेचने में प्रायोजित कर रही हैं। यह बड़ी शर्मनाक बात है।

3. जो शोधकर्ता, विश्वविद्यालय व कम्पनी जी.एम.

Scanned by CamScanner

परीक्षण कर रहे है उनका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। जिम्मेवार व्यक्तियों के नाम पते भी सार्वजनिक हो व सरकार के पास अंकित हों।

4. बायो सेफ्टी कानून बनाया जाए।

5. बीज हमारी खेती की परम्परा सामूहिक सम्पत्ति हैं इसलिए बीजों के संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार के अलावा समुदायों व पंचायतों पर भी तय की जाए तथा इस कार्य के लिए उनको कानूनी अधिकार व धन दिया जाए।

6. टर्मिनेटर या नपुंसक बीज के शोधों व जी.एम. तकनीकी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगना चाहिए। क्योंकि यह पूरी प्रौद्योगिकी प्रकृति के विरूद्ध है। वैज्ञानिकों को प्रकृति के अनुकूल शोध करने चाहिए।

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय कृषि नीति पर बीज बचाओ आंदोलन के सुझाव

पिछले कुछ दशकों में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर कृषि नीतियां वास्तविक तौर पर किसानों के लिए अनीति व कंपनियों, विशेषकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सुनीति साबित हुई हैं। हरित क्रान्ति के रास्ते चलने वाले किसानों ने भले ही कहीं–कहीं देश के अनाज भण्डारों को भरा हो किन्तु उन्होंने अपनी आजादी व स्वाभिमान तो गवांया ही है, साथ ही दूरगामी दृष्टि के स्तर पर अन्य किसानों की व स्वयं कृषि की जड़ें बुरी तरह हिला दी हैं। जैविक विविधता का ह्रास हुआ और विविधता की खेती एकल खेती में बदल गई। आज हरित क्रान्ति बाहुल्य क्षेत्रों में एकल खेती करने वाले किसान अनाज के दाने–दाने के लिए तरस कर आत्महत्या कर रहे हैं। विगत 10–12 सालों में डेढ़ से दो लाख किसान हरित क्रान्ति की बलि वेदी पर आत्महत्या कर चुके है फिर भी हरित क्रान्ति पर लगने वाला प्रश्न चिन्ह राष्ट्रीय मुद्दा नही बन पाया है। उल्टा जैव प्रौद्योगिकी के मार्फत जी. एम. बीजों को देश में फैला कर दूसरी हरित क्रान्ति का डंका बजाया जा रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा कर्ज के बोझ से दबे किसानों के कर्ज माफ किए जाने एवं बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा के बावजूद भी अभी आत्महत्याओं का दौर थमा नही। इससे साफ पता चलता है कि सरकार किसानों का मर्ज पहचान नहीं पाई है। चोट किसानों के दिल व दिमाग पर लगी है और इलाज पांव में पट्टी बांध कर किया जा रहा है। इससे तो मर्ज बढ़ेगा ही। किसानों की भलाई के नाम पर सस्ता कर्ज और कुछ अनुदान की बातें होती हैं। किन्तु यह कर्ज और अनुदान का धन जाता कहां है?यह धन किसानों के मार्फत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, खरपतवार नाशक व ट्रैक्टर, आदि के माध्यम से कंपनियों को ही चला जाता है।

Scanned by CamScanner

थोड़ा–बहुत बचा भी तो बैंक, साहूकार व बिचौलियों के चक्रवृद्धि ब्याज की रकम तो देनी ही पड़ती है। सरकार कभी यह नही कहती कि किसानों की कर्ज की आदत तोड़ी जाए। ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएं कि किसानों को कर्ज की आवश्यकता ही न पड़े, किसानों को उऋण किया जाए। यह कोई नही कहता कि किसान अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए विविधतायुक्त खेती करे। उन पर बार–बार यही दबाव दिया जाता है कि बाजार के लिए, शहरी कम्पनीयों के मुनाफे के लिए खेती करें। कर्ज व अनुदान से सरकार व राजनेताओं को सस्ती लोकप्रियता तो मिल जाती है। लेकिन कर्ज वास्तव में किसानों के संसाधनों पर कब्जा करने का एक जरिया है। किसान को पैसा जरूर चाहिए। किन्तु पैसा विविधतायुक्त जैविक खेती से भी मिल सकता है।

हरित क्रान्ति ने बिना लागत वाली घर की खेती को भारी लागत की खेती में बदल दिया है। पहले बीज, खाद, कीटनाशक घर के थे किन्तु आज ये सारे बाजार से खरीदने पड़ते हैं। इससे किसानों पर दिन–प्रतिदिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बहुराष्ट्रीय या खेती से जुड़ी देसी कंपनिया माला–माल हो रही हैं। हरित क्रान्ति से पहले और हरित क्रान्ति के बाद या किसानों की आत्महत्या के सिलसिले के बाद ही उन कंपनियों की पूंजी के आंकड़े देख लें तो स्थिति साफ हो जाएगी। आज उनके पास करोड़ों नहीं, अरबों–खरबों की पूंजी है। बैंकों और साहूकारों ने भी किसानों से खूब कमाया है। क्या खेती के संसाधनों में लगी खाद, बीज, कीटनाशक, ट्रैक्टर, तेल व औजार बनाने वाली किसी कंपनी का कभी दिवाला निकला – ?

हमें स्वयं अपने भीतर भी झांकने की आवश्यकता है। हम जाने–अनजाने अपनी खेती जीवन पद्धति, किसानी संस्कृति व पारम्परिक ज्ञान से भटक रहे हैं। हमें अपने पारम्परिक ज्ञान व संगठन के आधार पर अपने भीतर नेतृत्व की क्षमता बढ़ानी है। भारतीय कृषि को एक नई दिशा की जरूरत है।

Scanned by CamScanner

इस संदर्भ में, कृषि नीति को लेकर "बीज बचाओं आंदोलन" के सुझाव प्रस्तुत हैं।

1. खेती का प्रमुख उद्‌देश्य खाद्य एवं पोषण होना चाहिए। खेती जीवन पद्वति व संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए हर किसान के लिए आवश्यक है कि वह अपने लिए विविधतायुक्त पारंपरिक फसलों को प्रथम स्थान दे। जमीन के एक हिस्से में स्थानीय परिवेश के नकदी फसलें उगाई जा सकती है। दलहन, तिलहन, साक–सब्जियों व फलों को जरूरी स्थान मिलना चाहिए।

2. खेती का मूल आधार मिट्‌टी है। धरती को दीर्घायु बनाने के लिए मिट्‌टी का संरक्षण जरूरी है। उपज बढ़ाने के नाम पर इस्तेमाल होने वाली रासायनिक खाद, कीटनाशक व खरपतवार नाशी रसायनों से मिट्‌टी व धरती में जहर घोला जा रहा है। साथ ही, ये रसायन मानव, पशु–पक्षी व मिट्‌टी में विद्यमान जीवाणुओं को मारते है। इन पर रोक लगनी चाहिए।

3. किसानों की हजारों वर्षों की धरोहर उनके पारंपरिक बीज है। हरित क्रांति के बाद, हजारों सालों से चले आ रहे पारंपरिक बीजों की विविधता लुप्त हुई है। बीजों की विरासत को विकास के नाम पर बेमौत मारा गया है। अब हरित क्रांति के इलाके मे संकर प्रजातियों की कुछ इनी–गिनी प्रजातियां ही नजर आती हैं। जैव–विविधता के नुकसान की भरपाई करना तो मुश्किल है फिर भी, पांरपरिक बीजों की खोज कर उन्हे वापस लौटाना जरूरी है। बीजों का संकलन, संवधर्न व वितरण किसानों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों व अन्य जन संगठनों के माध्यम से होना चाहिए। बहुराष्ट्रीय या अन्य व्यापारिक कंपनियों की दखल बीज व्यवसाय से समाप्त होनी चाहिए।

4. क्या कोई वैज्ञानिक सिर्फ विज्ञान के बल पर प्रयोगशाला में बीज बना सकता है?नही। केन्द्रीकृत जीन

Scanned by CamScanner

बैंकों के बजाए किसानों के खेतों को जिंदा जीन बैंक माना जाना चाहिए। वहां से बीजों की अदला–बदली हो सके। किसानों की बीज अदला–बदली की परंपरा को मजबूत किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जीन बैंक में जमा बीजों में से किसानों को जरूरत पड़ने पर बीज वापसी का हक मिलना चाहिए। इससे उन इलाकों के किसानों को मदद मिलेगी जहां विविधता या पारंपरिक बीज बिल्कुल लुप्त हो गए हैं।

5. तथाकथित उन्नत खेती के चमत्कारी बीजों में बीज सचमुच चमत्कारी नही थे, अपितु रासायनिक खाद व कीटनाशक जहर ज्यादा चमत्कारी थे। वैज्ञानिकों ने अधिक पैदावर तो दिखायी किन्तु यह नही दिखाया कि रासायनिकों के दुष्प्रभाव भी होते है। हरित क्रांति की असफलता अब जग–जाहिर है और स्वयं वैज्ञानिक भी इस बात स्वीकारते हैं। फिर भी द्वितीय हरित क्रांति की बातें आज जोर–शोर से की जा रही है। इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए।

6. जी. एम. व टर्मिनेटर बीज पद्धति पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए। इनके बचे–खुचे प्राकृतिक बीजों व जैव–विविधता को ही नष्ट करने की बड़ी साजिश है। इनका दुष्प्रभाव मानव व अन्य जीवधारियों पर भी एक जहर की तरह पड़ता है। अनेक विकासशील देशों में जी. एम. बीजों व उत्पादों पर प्रतिबंध है पर हमारे देश में नई हरित क्रांति के नाम से महिमा–मण्डित किया जा रहा है।

7. ठेका खेती छोटे किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करने की योजना है। अनेक कंपनियों व उद्योग घराने किसानों को लालच देकर उनकी जमीन पर कब्जा कर नए किसान बनना चाहते है। इससे अन्नदाता व अपनी जमीन का मालिक किसान पहले मजदूर बनेगा और जब खेती को कारखाना बनाने वाले उद्योगपतियों की मशीनें काम करने लग जाएंगी तब किसान की मजदूरी भी छिन जाएगीं।

Scanned by CamScanner

बेरोजगारी, भुखमरी व आत्महत्याएं ज्यादा बढ़ेगी। इस खतरनाक ठेका पद्धति पर रोक लगनी चाहिए।

8. हरित क्रांति एवं व्यवसायिक खेती वाले इलाकों की व्यापक पड़ताल की जानी चाहिए कि वहां नई लागत आधारित व्यवसायिक खेती आने के बाद जैव–विविधता एवं उपजाऊ मिट्टी को कितना नुकसान हुआ है?कितने किसानों ने आत्महत्या की है?पहले किसानों पर कितना कर्जा था और हरित क्रांति के बाद कितना कर्ज बढ़ा ? साहूकारों, बैंको एवं खेती के व्यवसाय से जुड़ी देसी–विदेशी कंपनियों ने कितना धन कमाया?इसके लिए एक स्वंतत्र आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।

9. प्राकृतिक या जैविक (सजीव) खेती को वास्तविक तौर पर वापस लाने की जरूरत है। जैविक खेती सबसे सरल और सस्ती है। जैविक खेती में कम जमीन पर अधिक पैदावार ली जा सकती है, यहां तक कि इससे रासायनिक खेती से भी अधिक उपज हो सकती है। इतना ही नहीं, जैविक खेती से पूरे देश की खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन जैविक खेती के मायने सिर्फ जैविक खाद ही नही है। उसके लिए बीज का भी प्राकृतिक या स्थानीय अथवा पारम्परिक होना जरूरी है और पूरी तकनीक किसानों के हाथ में होनी चाहिए।

10. जैविक खेती को वो समस्त सुविधाएं मिलनी चाहिए जो रासायनिक खेती या कथित उन्नत खेती को मिलती हैं। रासायनिक खेती के संसाधन–खाद एवं कीटनाशकों की कीमत पर सरकार भारी सब्सिडी दे रही जो वास्तव में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जेबों में जाती है। रासायनिक खेती को आज हर क्षेत्र में हतोत्साहित करने की जरूरत है। रासायनिक उपकरणों की सब्सिडी बंद की जाए तथा जैविक कृषि के लिए सब्सिडी बढ़ाई जाए। इससे किसानों को ही नही

Scanned by CamScanner

बल्कि निःसंदेह संपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र एवं पूरे देश को लाभ होगा।

11. किसानों के पारंपरिक ज्ञान को बचाने और चिन्हित करने की व्यापक जरूरत है। क्या पांरपरिक ज्ञान विज्ञान था या है? पारंपरिक ज्ञान की वैज्ञानिकता आज विश्व भर में स्वीकारी जा रही है। अतः उसे विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने की जरूरत है। पारंपरिक ज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिया जाना चाहिए।

12. भारत में मानव शक्ति एवं पशु शक्ति प्रचुर है। पर नई कृषि के तहत इसे अनदेखा किया जा रहा है जिससे बेरोजगारी व भुखमरी बढ़ रही है। खाली हाथों को काम न मिलना और छोटे सीमांत किसानों के हाथों से खेती छीनना मानव अधिकारों का हनन है। इसलिए यांत्रिक कृषि के बजाय मानव श्रम आश्रित संसाधनों को महत्व दिया जाना चाहिए।

13. खेती का सहायक धंधा पशुपालन है। बैल ऊर्जा के निशुल्क स्त्रोत है। पशुधन के बिना खेती संभव नहीं है। पर पशुधन कमजोर होता जा रहा है। पशुधन को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। पशुधन जितना सुदृढ़ होगा, खेती उतनी ही खुशहाल होगी। पशुधन को जैविक खाद का मुख्य स्त्रोत माना जाना चाहिए। साथ ही, गाय को सिर्फ धर्म से जोड़ कर माता नहीं कहा जाता है अपितु उसके पीछे वैज्ञानिक पहलू भी है। गाय का गोबर व मूत्र उत्तम जैविक खाद का स्त्रोत तो हैं ही, साथ ही जैविक कीटनाशक भी है। पर गौवंश की स्थिति तो अति कमजोर है उसका संवर्धन करना जरूरी है। देसी नस्लों का संरक्षण किया जाना चाहिए। इन पर व्यापक शोध कर उनका संवर्धन कर उन्हे बचाया जाए। पशुओं से सस्ती ऊर्जा हेतु गोबर गैस व बैलों द्वारा हल जुताई को राष्ट्रीय अभियान के तौर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

Scanned by CamScanner

14. पशुओं के लिए चारे के दो ही स्त्रोत है। जंगलों से मिलने वाली घास–चारा पत्ती व फसलों के अवशेष से प्राप्त चारा–भूसा। पारंपरिक फसलों से अधिक चारा मिलता है जबकि उन्नत प्रजाति की बौनी किस्मों से आधा चारा भी नही मिलता। सोयाबीन से तो बिल्कुल भी चारा नहीं मिलता है, जबकि विविधतायुक्त दलहनों से खूब पौष्टिक चारा मिलता है। गांव के चारागाह दिन–प्रतिदिन विनाश के कगार पर है। जहां पहले अच्छी घास उगती थी वहां अब विदेशी खरपतवार, गाजर घास लैन्टाना, आदि का विस्तार हो रहा है। इन खरपतवारों ने चारागाहों को दबा दिया है और विविधतायुक्त चारागाह खत्म हो गए हैं। इन खरवतवारों को नष्ट कर वहां पुनः चारागाह विकास के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। यह कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भी किया जा सकता है।

15. वन और पेड़–पौधों के बिना खेती व पशुपालन अधूरा है। वनों से किसानों को पशुपालन के लिए विविधितायुक्त घास–चारा–पत्ती, जैविक खाद के लिए सूखी पत्तियां एवं खेती के विभिन्न औजार की लकड़ी मिलती है। वन पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में किसानों के अद्वितीय सेवक हैं। वनों के कारण खेती योग्य जमीन में अच्छी नमी लंबे समय तक बनी रहती है। जहां अच्छे जंगल है वहाँ उपज भी उतनी ही अच्छी होती है। इसलिए हर गांव–समाज का अपना वन होना जरूरी है। इसके लिए गाँव समाज को वन संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किंतु वनों की अपनी भी विशेषताएं है। गांव व किसानों की खुशहाली के लिए चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। न कि चीड़ व यूकेलिप्टिस जैसी प्रजातियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

16. किसानों को कर्जदार बनाने वाली एकल खेती पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कर्ज चाहे महंगी ब्याजदर वाला हो या

Scanned by CamScanner

सस्ती, कर्ज तो आखिर कर्ज ही है। पहले पारंपरिक खेती श्रम और स्थानीय संसाधनों पर आधारित थी। हरित क्रान्ति ने उसे पूँजी आधारित या लागत आधारित बना दिया । लागत लगा कर मुनाफा कमाने की पढ़ाई न तो किसानों के बाप–दादा ने उन्हे पढ़ाई थी, न नई खेती के संचालकों ने उन्हे ठीक से समझाया। सिर्फ किसानों को लालच दिया गया, लक्ष्य अपने हाथ में रखा। इसलिए आज की व्यावसायिक खेती ने "आमदानी अठन्नी, खर्चा रूपया" वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है।

17. कृषि उत्पाद खरीद मूल्य सरकार किस आधार पर तय करती है?किसानों की हर एक वस्तु का विक्रय मूल्य कौन निर्धारित करता है?इसे सरकार व इस व्यवसाय में लगे व्यापारी ही तय करते हैं। किसान केवल अपना खून–पसीना बहाता है। मूल्य निर्धारण में उसकी कोई भूमिका नही रहती। किसानों के साथ यह बड़ा अन्याय है। विक्रय मूल्य किसान की लागत एवं श्रम के संपूर्ण हिसाब के बाद तय होना चाहिए और इसे निर्धारण करने वाले भी किसान समूह होने चाहिए। एक छोटे व सीमांत किसान की आय ज्यादा नही तो कम से कम एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के समकक्ष तो होनी ही चाहिए। यदि खेती से इतनी आय संभव नही है तो शेष हर्जाना सरकार को देना चाहिए।

18. संपूर्ण कृषि उत्पादन व उससे निर्मित, प्रशोधित पदार्थो का व्यवसाय स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियो, मंडी समितियों एवं सरकारी निगमों के मार्फत किया जाना चाहिए। बहुराष्ट्रीय या राष्ट्रीय कंपनियों व बड़े उद्योग घरानों की दखल इनमें नहीं होनी चाहिए। बड़ी कम्पनीयों की दखल खेती में कतई नही होनी चाहिए।

19. देश में पैदा होनी वाली समस्त जैव संपदा एवं उससे बनने वाले समस्त उत्पाद व उनके गुण–धर्म का पेटेंट

Scanned by CamScanner

कोई भी व्यक्ति, वैज्ञानिक व कंपनी न कर सके, इसके बचाव के लिए संसद को एक नया कानून बनाना चाहिए, जिसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल सके। जैव–संपदा संपूर्ण किसान समुदाय की अमूल्य निधि है, इसका लेखा–जोखा किसानों की इच्छा, उनके पारंपरिक ज्ञान को ध्यान में रख कर व उनके सुझाव के आधार पर होना चाहिए। जैव–संपदा का ज्ञान किसान समुदाय के साझे नियंत्रण में रहना चाहिए।

20. कृषि विश्वविद्यालयों के स्वरूप को भी बदलने की जरूरत है। चिपको आंदोलन से पूर्व भारतीय वन सेवा की पढ़ाई में वनों के वैज्ञानिक कटान व राजस्व पर जोर दिया जाता था किंतु आज संरक्षण की ओर दिया जाता है। उसी तरह, जरूरत है कि कृषि विश्वद्यिालयों में वैज्ञानिकों की पढ़ाई रासायनिक खेती व बाजारू खेती पर नहीं बल्कि, जैविक पारंपरिक विविधता कि कृषि पर आधारित होनी चाहिए।

21. वैज्ञानिक शोध व प्रशिक्षण में पारंपरिक ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। वैज्ञानिकों को कृषि विज्ञान का प्रशिक्षण सिर्फ पुस्तकों के आधार पर नहीं अपितु खेती का व्यवहारिक ज्ञान किसानों से भी लेना चाहिए। विश्वविद्यालयों की कृषि डिग्री लेने से पूर्व कृषि वैज्ञानिकों को कुछ समय किसानों के साथ किसान बन कर गांव में रहना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

22. कृषि शोध में सजीव कृषि के लिए जैविक खाद, पारम्परिक बीजों एवं जैविक कीट नियंत्रण पर व्यापक कार्य करने की जरूरत है। सम्मान व पुरूस्कारों में ऐसे वैज्ञानिकों व किसानों को शामिल किया जाना चाहिए जो इस दिशा में बुनियादी कार्य कर रहे हैं।

23. खेती सुरक्षा में आपदा प्रबंधन होना चाहिए। सूखे

Scanned by CamScanner

की मार झेलने के लिए जल संरक्षण किया जा सकता है। फसलों की बीमारी, बाढ़, सूखा, भूमि कटाव, भूस्खलन व अन्य दैवी आपदा से पीड़ित किसानों को प्रभावित जमीन की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता व प्रतिकर मिलना चाहिए। फसल बीमा जरूरी है। किंतु यह बीमा कंपनियों के द्वारा नही अपितु सरकारी धन से सिर्फ पंजीकरण के आधार पर दिया जाना चाहिए। जहां तक मौसम की बात है, अब कोई भी मौसम समय पर नही आ रहा है। मौसम परिवर्तन के लिए विनाशकारी विकास और विकसित देश दोषी हैं। विकसित देशों पर जलवायु परिवर्तन का दोषी मानकर हर्जाना लगाना चाहिए।

24. खेती पर जंगली जानवरों के नुकसान की बड़ी भारी मार है। खेतों में खड़ी लहलहाती फसलों को जंगली जानवर भारी क्षति पहुँचाते हैं। सूअर, बंदर, नीलगाय, आदि के आंतक से पूरे देश के किसान परेशान है। वन्यजीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एव पर्यावरणविद् एवं वन विभाग खूब जोर दे रहे है किंतु वन्यजीवों का भोजन बढ़ाने एवं फसल सुरक्षा की सरकार के पास कोई नीति नहीं है। वनीकरण के नाम करोड़ों रूपये खर्च हो रहें है किंतु एक भी सफल उदाहरण मिलना मुश्किल है। जंगली जानवरों से क्षतिग्रस्त फसलों की क्षतिपूर्ति किसानों को तुरंत मिलनी चाहिए।

25. सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली में सिर्फ गेहूँ–चावल ही नही अपितु मोटे अनाजों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। किन्तु यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल लोगों के खान–पान की आदत में शामिल है।

26. खेती के लायक उपजाऊ जमीन में सभी तरह की विनाशकारी परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए क्योंकि

Scanned by CamScanner

इससे उपयोगी जमीन प्रभावित होती है। किसी भी दशा में कृषि भूमि का उपयोग सरकार गैर कृषि कार्य के लिए नही होना चाहिए।

27. अक्सर विशेष आर्थिक क्षेत्र या अन्य उद्देश्यों के लिए सबसे अच्छी, उपजाऊ जमीन को अधिग्रहण कर सरकार यह तर्क दे रही है यह तो नंदीग्राम से ही स्पष्ट हो जाता है। पर यह भी सोचनीय है कि जमीन जैसी स्थाई पूँजी का मूल्य सिर्फ पैसों में किया जाना गलत है। जमीन का जीवन असीमित है और पैसे का जीवन अति अल्प। जमीन किसान की भावी पीढ़ियों की पूँजी है। इसलिए उसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। सेज तो सीधे–सीधे भारतीय संविधान व प्रभुसत्ता का उल्लंघन है। भूमि अधिग्रहण कानून बदलना अति आवश्यक है।

28. किसान व खेती की जमीन को लेकर देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में क्यों डाला जा रहा है? जमीन सिर्फ किसानों के पास नही है। सबसे अच्छी जमीने राजनेताओं, उधोगपतियों, सिने कलाकारों व अन्य पूंजिपतियों ने फार्महाऊस के नाम पर घेर रखी है। पूरे देश में इसका सर्वे कराया जाना चाहिए। इन जमीनों पर सेज क्यों नहीं बनती? यदि सरकार को सेज बनाना ही है तो फार्महाऊसों की जमीनों पर बनाए।

29. सिंचाई और बिजली के लिए बनने वाले बड़े बांधो पूर पूर्ण रोक लगनी चाहिए। इसके बजाय छोटी–छोटी पनबिजली योजनाएं बनाई जानी चाहिए। पनचक्कियों में सुधार ला कर हजारों मेगावाट बिजली प्राप्त की जा सकती है। छोटी नदियों का प्रबंधन कर सिंचाई की योजनाएं बन सकती हैं। जल संचय के पारम्परिक संसाधनों का, तालाबों और कुँओं का व्यापक विस्तार होना चाहिए। सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा का उपयोग सिंचाई के साधनों के रूप में किया

Scanned by CamScanner

प्रकाशक के बारे में एक नजर ....

माउंट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन एक स्वैच्छिक गैर सरकारी सगंठन है, जो सन् 1995 से उत्तराखण्ड प्रदेश के जनपद टिहरी के पर्वतीय क्षेत्र में समुदाय की सहभागिता से ग्रामीण विकास के लिये कार्यरत है। सगंठन सोसाइटी एक्ट 1860 में पंजीकृत है तथा जनपद टिहरी के दो विकास खण्ड भिलंगना, जाखणीधार की 215 ग्राम पंचायतों में पंचायत राज, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धान, शिक्षा, स्वास्थय, आजीविका, महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक संगठन निर्माण का कार्य मुख्य रूप से कर रहा है।

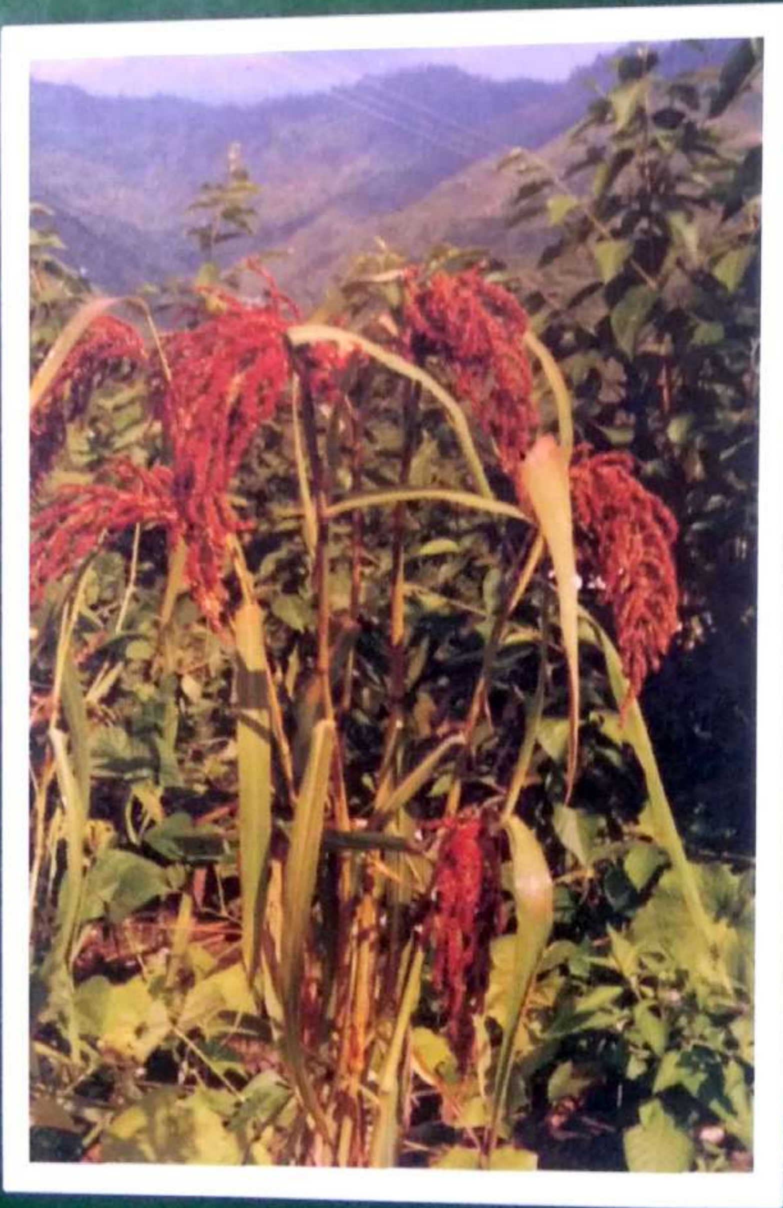

संस्था के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :–

1. समाज में हाशिये पर रहने वाले समुदाय का सशक्तिकरण एंव अधिकारों के लिए पैरवी करना।
2. प्राकृतिक संसाधनों का समुदाय की सक्रिय सहभागिता से उचित प्रबन्धन एंव नियोजन करना।
3. समुदाय के साथ सतत् व टिकाऊ रोजगार के साधनों का विकास करना।
4. लुप्त हो रहे पारंपरिक लोक ज्ञान एंव क्षमताओं संसाधनों पर लोगों की समझ बढ़ाना।

इन्ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम कृत संकल्प हैं।

अवतार सिहं नेगी
सचिव मॉउंट वैली डेवलपमेन्ट एसोसिएशन

Scanned by CamScanner

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून 2005 पर प्रतिवेदन

माउन्ट वैली डेवलेपमेंट एशोसिएशन
टिहरी गढ़वाल

actionaid

एक्शनएड – इण्डिया
लखनऊ

Scanned by CamScanner

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून 2005 पर प्रतिवेदन

प्रस्तुति

माउन्ट वैली डेवलेपमेंट ऐसोसिएशन
टिहरी गढ़वाल

actionaid
India

एक्शनएड – इण्डिया
लखनऊ

Scanned by CamScanner

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून 2005 पर प्रतिवेदन

आलेख, संकलन सरलीकरण एवं सम्पादन

अवतार सिंह नेगी, पूरन बर्त्वाल, दुर्गा प्रसाद,

प्रकाशन वर्ष : दिसम्बर 2010

प्रस्तुति एवं प्रकाशन

माउन्ट वैली डेवलेपमेंट ऐसोसिएशन
दोणी, घनसाली, टिहरी गढ़वाल
दूरभाष : 01379–214094, 214111, 258582, 9412079206, 9627271962
ई–मेल : mvda_tehri@yahoo.co.in,
वेबसाइट : www.mvda.org.in

सहयोग : एक्शन एड इण्डिया

मुद्रक : चारू प्रिंटर्स,
118, पार्क रोड, देहरादून
फोन : 0135–2727591

इस पुस्तक में प्रकाशित सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग किया जा सकता है, यदि स्रोत का उल्लेख करेंगे तो अच्छा लगेगा।

Scanned by CamScanner

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	4
2.	मनरेगा के बारे में	5
3.	शासनादेश एवं अखबार की सुर्खियों से संलग्नक	9
4.	मनरेगा अध्ययन : समाजिक संगठनों के अनुभव	14
5.	मनरेगा की राज्य स्तरीय कार्यशाला ...... 25 मार्च 2010	20
6.	मनरेगा की राज्य स्तरीय कार्यशाला ...... 26 जून 2010	28
7.	प्रतिभागियों की सूची	38

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून 2005 पर प्रतिवेदन

Scanned by CamScanner

❖ प्रस्तावना ❖

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन पर कार्य करने वाले मजदूर संगठनों, जन संगठनों तथा नागर समाज संगठनों के लम्बे संघर्षों के बाद भारत वर्ष की संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 को कुछ लोगों के द्वारा किये जाने वाले विरोध के बावजूद पारित किया गया, हालांकि यह कानून अगस्त 2004 में सरोकार रखने वाले नागरिकों द्वारा तैयार किये गये प्रारूप के अनुरूप नहीं बन पाया है परन्तु फिर भी यह कानून एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग ग्रामीण मजदूर अपने सशक्तीकरण के लिए कर सकते हैं। गारन्टी शुदा रोजगार उन्हें आर्थिक असुरक्षा से बचा सकता है तथा अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए संगठित होने में उनकी मदद कर सकता है।

समाज में गरीब व कमजोर वर्ग को ध्यान में रखकर बने कानूनों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के बीच का अन्तर आज भी सबसे बड़ी समस्या है। प्रत्येक सामाजिक कानून का इतिहास यही रहा है कि कानून बनने के बाद भी लोगों को अपनी हकदारी पाने के लिए लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अन्य राज्यों की भांति उत्तराखण्ड में भी महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी कानून (मनरेगा) के क्रियान्वयन में जमींनी स्तर पर जौब कार्ड बनने, कार्ड धारकों द्वारा रोजगार हेतु आवेदन करने, पंचायत स्तर पर रोजगार योजना तैयार करने, प्रत्येक जौब कार्ड धारक को 100 दिन तक का रोजगार उपलब्ध कराने, स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्यों की पहचान करने, कार्यों की गुणवत्ता, क्रियान्वयन में पारदर्शिता, सोसियल आडिट आदि में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उत्तराखण्ड जन कारवां मंच से जुड़ी स्वैच्छिक संरचनाओं तथा माउन्ट वैली डेवलपमेन्ट एसोसिएसन द्वारा अपने–2 कार्य क्षेत्र में इस कानून पर व्यापक जन जागरूकता, प्रशिक्षण एवं जानकारियों का आदान–प्रदान किया गया तथा इसके क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं तथा नीतिगत मुद्दों की पहचान करने हेतु पांच जिलों के सात विकास खण्डों की 52 ग्राम पंचायतों में एक विस्तृत अध्ययन किया गया। अध्ययन को राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया तथा योजना के क्रियान्वयन में सुधार हेतु एक मांग पत्र तैयार कर मनरेगा प्रकोष्ठ राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया।

यह पुस्तिका मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु माउन्ट वैली डेवलपमेन्ट एसोसिएसन, टिहरी तथा उत्तराखण्ड जन कारवां मंच की अन्य सहयोगी संस्थाओं, जनदेश, चमोली, प्रयास, नैनीताल तथा महिला कल्याण संस्था ऊधम सिंह नगर द्वारा किये गये प्रयासों तथा अध्ययनों व विभिन्न कार्यशालाओं से निकले मांग पत्र व नीतिगत मुद्दों को सम्बन्धित हितगामियों तथा नीतिनिर्धारकों तक पहुंचाने हेतु तैयार की गई है।

Scanned by CamScanner

❖ मनरेगा के बारे में ❖

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून (मनरेगा)

मनरेगा पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो पंचायतों को अपने कार्यक्षेत्र में रहने वाले मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजना है। इससे पंचायतें अपने ढांचागत सुविधाएं जैसे गूल, टैंक, वनीकरण आदि तैयार कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में यह योजना एक वरदान के समान है।

मनरेगा उत्तराखण्ड राज्य के सभी जिलों में लागू है। मनरेगा जब 2006 में लागू हो रहा था, तब केवल बी.पी.एल. परिवारों के लिये लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया था लेकिन उत्तराखण्ड की ओर से केन्द्र स्तर पर सभी के लिये रोजगार देने की पैरवी की गयी जो स्वीकृत होकर आज देश के सभी राज्यों में यह कानून लागू हो गया है।

रोजगार

★ मनरेगा के तहत राज्य में एक परिवार को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार हर स्थिति में उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार वचनबद्ध है जो मजदूर के द्वारा काम के लिये आवेदन करने के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना है।

★ यह योजना मांग पर आधारित है अर्थात लोग सरकार से 100 दिन का काम प्रति परिवार तक मांग सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि मांगने पर लोगों को काम अवश्य दे। इसमें धन की कोई कमी नहीं है।

पंजीकरण

★ रोजगार मांगने के लिए लोगों को काम हेतु पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के 15 दिन के अन्दर 5 किमी. के अन्दर काम मिलेगा। पंजीकरण करने पर

Scanned by CamScanner

कार्यक्रम अधिकारी से रसीद लेनी चाहिए। पंजीकृत व्यक्ति का फोटो ब्लाक द्वारा लिया जायेगा। (इसके लिए 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय ब्लाक को दिया जाता है।)

- ✱ पूरी योजना का 90 प्रतिशत खर्चा भारत सरकार (श्रम का 100 प्रतिशत तथा सामाग्री का 75 प्रतिशत) द्वारा दिया जाता है तथा 10 प्रतिशत राज्य द्वारा (सामाग्री का 25 प्रतिशत)
- ✱ पंजीकरण के 15 दिन के अन्दर काम न दिये जाने पर पंजीकृत व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता का हकदार हो जाता है। बेरोजगारी भत्ता बी.डी.ओ. की जिम्मेदारी है।

रोजगार योजना

- ✱ कानून के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखकर एक रोजगार योजना तैयार की जायेगी। 2 अक्टूबर की खुली बैठक में इस पर चर्चा कर इसको अन्तिम रूप दिया जायेगा तथा 17 अक्टूबर को यह योजना क्षेत्र पंचायत में जमा की जायेगी।
- ✱ विकास खण्ड स्तर पर मानकों के आधार पर परीक्षण के पश्चात पूरे ब्लाक की ग्राम पंचायत वार योजना तैयार की जायेगी तथा नवम्बर अन्तिम सप्ताह तक यह योजना जिला विकास अधिकारी को जमा की जायेगी।
- ✱ जनपद स्तर पर दिसम्बर द्वितीय सप्ताह तक इसमें सुधार किया जायेगा तथा जिला पंचायत के स्वीकृति के पश्चात 31 दिसम्बर तक इसे शासन को भेजा जायेगा।

गतिविधियों एवं कार्य

- ✱ कानून के अन्तर्गत दी गई गतिविधियों तथा कार्यों के दायरे में गांव में सभी तरह के कार्य किये जा सकते हैं। केवल उनका प्रस्तुतीकरण भूमि सुधार जल संग्रहण, जल संरक्षण, अकाल से बचाव, सिंचाई नहरें, जल श्रोतों का नवीनीकरण, भूमि विकास, बाढ़ नियन्त्रण तथा ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण आदि के दायरे में होना चाहिए।

Scanned by CamScanner

* कार्य स्थल पर सब्बल, फावड़े, तसले आदि तथा बोर्ड का खर्चा परियोजना से दिया जाना है न कि मजदूरों के द्वारा किया जाना था।
* राज्य में अभी मनरेगा के मानकों संशोधन करके 02 है. से कम जमीन वाले किसानों के खेतों में भूमि सुधार का कार्य किया जाता है।
* मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यों के लिये कम से कम 60 प्रतिशत मजदूरी और अधिकतम 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय की जाती है। मजदूर के श्रमांश को केन्द्र सरकार व्यय करती है और सामग्री पर होने वाले व्यय 40 प्रतिशत का 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार के द्वारा और 25 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है। इस प्रकर पूरे व्यय का 90 प्रतिशत केन्द्र और 10 प्रतिशत राज्य सरकार का होता है।
* प्रत्येक दिन 9 घन्टे में से 8 घन्टे कार्य तथा 1 घन्टे का आराम मिलेगा।
* कार्य स्थल पर पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, छाया हेतु व्यवस्था तथा बच्चों की देखरेख की व्यवस्था जैसी सुविधाएं आवश्यक हैं।
* काम की गति को ठीक रखने हेतु पीस दर पर भी काम कराया जा सकता है।
* यह ध्यान रखना है कि 100 रू. मजदूरी भुगतान करने पर इतना ही काम अवश्य पूरा हो जाय तथा किये गये काम की गुणवत्ता भी ठीक हो।

भुगतान

* मजदूरी के रूप में खाते में चढ़ाये गये पैसों में से यदि प्रधान या कोई कर्मचारी कुछ पैसे वापस मांगता है तो यह सरासर गलत एवं भ्रष्टाचार है। मजदूरों को इसकी शिकायत करनी चाहिए।
* यदि किसी के खाते में किये गये कार्य दिवसों से अधिक दिनों की मजदूरी चढ़ाई जाती है तथा उनसे बाकी पैसा वापस लौटाने के लिये कहा जाता है। तो यह गलत है इसकी भी शिकायत की जानी चाहिए।
* प्रधान या कर्मचारियों द्वारा काम देने हेतु मना करने, भुगतान में गड़बड़ी या किसी भी अन्य प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार किये जाने पर कानून का उलंघन माना जायेगा तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए जिलाधिकारी या राज्य प्रकोष्ठ में शिकायत की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

- ✶ महिला या बुजुर्ग को भी मजदूरी का भुगतान समान अर्थात 100 रू. प्रतिदिन किया जायेगा। यदि महिलाओं से पैसा वापस करने को कहा जाता है तो इसकी शिकायत करें।

सामाजिक अंकेक्षण (सोशियल ऑडिट)

- ✶ साल में दो बार सोशियल ऑडिट होगा। अप्रैल से सोशियल ऑडिट की तारीखे निकाली जायेगी उनमें राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा भी औचक भ्रमण किया जाता है। सोशियल ऑडिट में रोजगार योजना मस्टरोल तथा अन्य सभी दस्तावेज सार्वजनिक किये जाते हैं तथा इसको कोई भी देख सकता है। अप्रैल से जून के बीच सोशियल ऑडिट की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। यह भी प्रयास किया जा रहा है कि सोशियल ऑडिट किसी बाह्य संस्था के माध्यम से कराया जाय।
- ✶ ग्रामीण विकास मन्त्री (भारत सरकार) सोशियल ऑडिट की समीक्षा करते हैं।

बीमा

- ✶ बी.पी.एल. कार्ड धारकों का जनश्री बीमा सरकार द्वारा किया जाता है जिसमें 18 से 59 वर्ष के उम्र के मजदूरों का 100 रू. राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।
- ✶ काम करते समय किसी भी व्यक्ति को चोट लगने पर उसका इलाज अस्पताल द्वारा मुफ्त किया जायेगा।
- ✶ काम करते वक्त चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज पूरा होने तक आधे दिन की मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।
- ✶ कार्य करते समय चोट लगने से अपंगता होने या मृत्यु हो जाने पर 25 हजार रूपये का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा।

शिकायतें

- ✶ किसी भी प्रकार की शिकायतें कार्यक्रम अधिकारी तथा बी.डी.ओ. कार्यालय में शिकायत रजिस्टर में दर्ज कराने पर 7 दिन के अन्दर उसका निपटारा किया जाता है।

Scanned by CamScanner

संख्या : /8–2/रा0ग्रा0रो0गा0यो0/2009–10

प्रेषक :

सचिव
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषित:

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास विभाग : देहरादून : दिनांक : ,2009

महोदय,

भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 में संशोधन करते हुए लघु एवं सीमान्त कृषकों के स्वामित्व की भूमि पर सिंचाई सुविधाओं के विकास, उद्यानीकरण, वृक्षारोपण तथा भूमि विकास के कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत अनुमन्य किये गये हैं। इस संदर्भ में भारत सरकार के राजपत्र की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है (इसका अंग्रेजी रूप ही पढ़ा जाये)।

सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिकता से अटल आदर्श ग्राम के रूप में अभिज्ञानित ग्रामों में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा धारित भूमि पर उक्त संदर्भित कार्य कराये जाएं।

परियोजना में चयनित ग्रामों का विस्तृत सर्वेक्षण एवं नियोजन का कार्य कृषि विभाग के सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धन द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। परियोजनाओं का आगणन कार्य विशेष के अनुसार संबंधित विभाग की अनुमोदित दरों के अनुरूप होगा। सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धन द्वारा तैयार किये गये ग्रामवार परियोजना सक्षम अधिकारी से तकनीकी अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी को प्रस्तुत किए जायेंगे, जिसे संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति सहित शासन में गठित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

परियोजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु धनराशि परियोजना स्वीकृति के पश्चात संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। इन कार्यों का शत–प्रतिशत सत्यापन कृषि विभाग

Scanned by CamScanner

एवं ग्राम्य विकास विभाग के विकासखण्ड स्तरीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ द्वारा भी उक्त परियोजनाओं का random आधार पर स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित कराया जायेगा।

कृपया समस्त अटल आदर्श ग्रामों में सर्वेक्षण, नियोजन एवं परियोजना स्वीकृति का कार्य प्रत्येक दशा में दिसम्बर 2009 तक पूर्ण किया जाये तथा इस योजना से मार्च 2011 तक अटल आदर्श ग्रामों को आच्छादित करना सुनिश्चित किया जाये। वर्ष 2010–11 में चयनित परियोजनाओं को संतृप्त करने हेतु यथावश्यक लेबर बजट में प्राविधानित कर लिया जाये।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्याः /8–2/रा0ग्रा0रो0गा0यो0/2009–10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मण्डलायुक्त कुमायुं/गढ़वाल मण्डल।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
4. कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. एन0आई0सी0, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

(ओम प्रकाश)
सचिव

Scanned by CamScanner

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2011/पौष 24, 1932
No. 74] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2011/PAUSA 24, 1932

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2011

का.आ. 82(अ).—केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 1 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 1(अ) के अधिक्रमण में, इसे अधिक्रमित करने से पहले किए जाने वाले अथवा नहीं किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के मामले में उक्त अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यरत अकुशल शारीरिक कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी दर को तारीख 1 जनवरी, 2011 से कॉलम (3) के तहत निर्धारित करती है, अर्थात् :—

अकुशल शारीरिक कामगारों के लिए राज्य-वार मजदूरी दर
(रु. प्रति दिन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रति दिन मजदूरी दर
(1)	(2)	(3)
1	असम	130.00 रु.
2	आंध्र प्रदेश	121.00 रु.
3	अरुणाचल प्रदेश	क्षेत्र-I (118.00 रु.) क्षेत्र-II (118.00 रु.)
4	बिहार	120.00 रु.
5	गुजरात	124.00 रु.
6	हरियाणा	179.00 रु.
7	हिमाचल प्रदेश	गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिए 120.00 रु. अनुसूचित क्षेत्र के लिए 150.00 रु.
8	जम्मू व कश्मीर	121.00 रु.
9	कर्नाटक	125.00 रु.
10	केरल	150.00 रु.
11	मध्य प्रदेश	122.00 रु.
12	महाराष्ट्र	127.00 रु.
13	मणिपुर	126.00 रु.
14	मेघालय	117.00 रु.
15	मिजोरम	129.00 रु.
16	नागालैंड	118.00 रु.
17	उड़ीसा	125.00 रु.
18	पंजाब	
18(क)	होशियारपुर	124.00 रु.
18(ख)	जालंधर	124.00 रु.
18(ग)	नवांशहर	124.00 रु.
18(घ)	अमृतसर	130.00 रु.
19	राजस्थान	119.00 रु.
20	सिक्किम	118.00 रु.
21	तमिलनाडु	119.00 रु.
22	त्रिपुरा	118.00 रु.
23	उत्तर प्रदेश	120.00 रु.
24	प. बंगाल	130.00 रु.
25	छत्तीसगढ़	122.00 रु.
26	झारखण्ड	120.00 रु.
27	उत्तराखण्ड	120.00 रु.
28	गोवा	138.00 रु.
29	अंडमान व निकोबार	अंडमान जिला 170.00 रु. निकोबार जिला 181.00 रु.
30	दादर व नगर हवेली	138.00 रु.
31	दमन व दीव	126.00 रु.
32	लक्षद्वीप	138.00 रु.
33	पुदुचेरी	119.00 रु.
34	चंडीगढ़	174.00 रु.

[फा. सं. जे-11011/1/2009-एमजीएनआरईजीए(भाग)]

पी. के. पाधी, मुख्य आर्थिक सलाहकार

132 GI/2011

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2011

S.O. 82(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number S.O. 1(E), dated the 1st January, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies the wage rate payable to the unskilled manual workers under column (3) in respect of the State or the Union Territory mentioned in column (2) of the Schedule given below, working on various Schemes under the said Act, with effect from the 1st day of January, 2011, namely:—

State Wise Wage rate for Unskilled Manual Workers
(Rs. per Day)

S. No.	Name of State/Union Territory	Wage rate in Rs. per Day
(1)	(2)	(3)
1	Assam	Rs. 130.00
2	Andhra Pradesh	Rs. 121.00
3	Arunachal Pradesh	Area-I (Rs. 118.00) Area-II (Rs. 118.00)
4	Bihar	Rs. 120.00
5	Gujarat	Rs. 124.00
6	Haryana	Rs. 179.00
7	Himachal Pradesh	Non-scheduled Areas-Rs. 120.00 Scheduled Areas-Rs. 150.00
8	Jammu and Kashmir	Rs. 121.00
9	Karnataka	Rs. 125.00
10	Kerale	Rs. 150.00
11	Madhya Pradesh	Rs. 122.00
12	Maharashtra	Rs. 127.00
13	Manipur	Rs. 126.00
14	Meghalaya	Rs. 117.00
15	Mizoram	Rs. 129.00
16	Nagaland	Rs. 118.00
17	Orrisa	Rs. 125.00
18	Punjab	
18(a)	Hoshiarpur	Rs. 124.00
18(b)	Jalandhar	Rs. 124.00
18(c)	Nawanshar	Rs. 124.00
18(d)	Amritsar	Rs. 130.00
19	Rajasthan	Rs. 119.00
20	Sikkim	Rs. 118.00
21	Tamil Nadu	Rs. 119.00
22	Tripura	Rs. 118.00
23	Uttar Pradesh	Rs. 120.00
24	West Bengal	Rs. 130.00
25	Chhatisgarh	Rs. 122.00
26	Jharkhand	Rs. 120.00
27	Uttrakhand	Rs. 120.00
28	Goa	Rs. 138.00
29	Andaman and Nikobar	Andaman District Rs. 170.00 Nikobar District Rs. 181.00
30	Dadra and Nagar Haveli	Rs. 138.00
31	Daman & Diu	Rs. 126.00
32	Lakshadweep	Rs. 138.00
33	Punducherry	Rs. 119.00
34	Chandigarh	Rs. 174.00

[F. No. J-11011/1/2009-MGNREGA(Pt)]

P. K. PADHY, Chief Economic Advisor

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून 2005 पर प्रतिवेदन

Scanned by CamScanner

मनरेगा के दिहाड़ी वालों को अब पक्की नौकरी!

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

• बैंक व निजी कंपनियों से ली जाएगी मदद, स्वरोजगार के लिए रियायती ऋण भी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में साल भर में एक सौ दिन का काम पूरा करने वाले नौजवान मजदूरों को सरकार मुफ्त प्रशिक्षण देकर स्थायी नौकरी के लायक बनाएगी। इतना ही नहीं, उन्हें सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में स्थायी नौकरी दिलाने में भी सहयोग करेगी। स्वरोजगार के लिए उन्हें रियायती दरों पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए देश के सभी जिलों में अलग तरह के प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की योजना है। प्रशिक्षण संस्थानों को संचालित करने का पूरा खर्च संबंधित बैंक अथवा संस्थान करेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों में अकुशल मजदूरों को प्रशिक्षण देकर किसी स्थायी नौकरी लायक बनाया जाएगा। इस तरह के संस्थानों को स्थापित करने का दायित्व ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग सरकारी बैंक और भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) को सौंपा गया है। इसमें सबसे पहले मनरेगा के उन युवा मजदूरों को मौका दिया जाएगा, जिन्होंने एक साल में सौ दिन काम किया होगा। इसमें 70 फीसदी बीपीएल परिवार से संबंद्ध युवाओं को लिया जाएगा।

योजना के पहले चरण में देश में 200 ऐसे संस्थानों की स्थापना की जाएगी। यहां से प्रशिक्षित युवाओं की मांग पर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत बैंकों से रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे अपना काम धंधा शुरु कर सकें। उनके स्वरोजगार को सुचारु रुप से चलाने के लिए बैंक व प्रशिक्षण संस्थान निगरानी व तकनीकी मदद भी मुहैया कराएंगे। इसमें खेती व बागवानी के साथ डेयरी, मशरुम उत्पादन और मछली पालन सिखाया जाएगा। इसी तरह उत्पाद प्रोग्राम में कढ़ाई, सिलाई, ड्रेस डिजाइनिंग, अगरबत्ती, फुटबॉल बनाने, बैग, बेकरी समेत ढेर से ऐसे उत्पादों को बनाना सिखाया जाएगा। प्रसंस्करण प्रोग्राम में दो पहिया रिपेयर, रेडियो, टीवी, मोटर रीवाइंडिंग, पंप सेट बनाने, खेती के उपकरणों की मरम्मत, सेल फोन मरम्मत, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग और बिजली के उपकरणों की मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल विकास के तहत ऐसे ही दर्जनों कार्यों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान भी किया जाएगा। मजदूरों को प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित होने वाले इन प्रशिक्षण संस्थानों को संचालित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संचालन समितियां गठित की जाएंगी।

मनरेगा के दिन 100 से बढ़कर होंगे 150

शिमला (एजेंसियां)। केंद्र सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को मंहगाई भत्ते की दो किस्तें व रोजगार के मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय राज्य श्रम मंत्री हरीश रावत ने शिमला प्रवास के दौरान इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए प्रयासरत है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिकों का दूसरे राज्य व शहरों की ओर पलायन रोका जा सके। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। केंद्र देश के 94 फीसद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए मौजूदा श्रम कानून में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है। इनकी संख्या करीब 48 करोड़ है। यूपीए सरकार ठेकेदारी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए श्रमिकों और ठेकेदारों का पंजीकरण करने के साथ-साथ न्यूनतम श्रम मानक का गठन करेगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बीमा योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार से आग्रह करते हुए रावत ने कहा कि राज्य को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत नए अस्पतालों का निर्माण करना चाहिए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके।

▶ अधिकतम लोगों को रोजगार देने का प्रयास

▶ श्रम कानूनों में किया जाएगा संशोधन

PPOINTMENTS, MOVEMENTS, CELEBRATIONS, HONOURS ETC.

workshop

मनरेगा के बारे में दी जानकारी

DEHRADUN : उत्तराखंड जन कारवा मंच के तत्वावधान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत राज्य स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया. इस मौके पर राज्य योजना आयोग के सदस्य एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष सच्चिदानंद भारती ने कहा कि मनरेगा कोई योजना नहीं है जो ठेकेदारी को बढ़ावा दे, बल्कि यह रोजगार सृजन करने के लिए एक सशक्त कानून है. मनरेगा के राज्य कॉ-आर्डिनेटर एसके राजपूत ने कहा कि किसी अधिनियम व योजना को लागू करने में तकनीकी समस्याएं आती हैं.

Dehradun — THE SUNDAY TRIBUNE, CHANDIGARH, JUNE 27, 2010

Delay in payments derailing NREGA projects

NEENA SHARMA
TRIBUNE NEWS SERVICE

DEHRADUN, JUNE 26

Delay in payments, tyranny of Chief Development Officers and lackluster performance by gram pradhans is turning workers against the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), defeating the purpose of the programme that is a safety net against poverty and hunger.

In Tehri, Uttarkashi, Chamoli and Udham Singh Nagar districts, workers are turning against the scheme because they have not been paid for months. Despondent women workers are demanding compensation for the delay.

"The compensation should be paid when wages are paid beyond the mandatory limit of 15 days. It is a major issue and should be given the priority it deserves. Besides funds should be available to gram panchayats so that wage payments are not held up," said Pooran Bartwal, Coordinator, Uttarakhand Jan Karavan Manch, while sharing details of the intensive study at a workshop here today.

The workshop organised today to assess the progress of the NREGA in Uttarakhand saw representatives from NGOs, government officials and gram panchayat members thrashing out issues acting as a stumbling block in the implementation of the programme.

"Much can be done to streamline the disbursement of payments so that wage payments reach the workers. Banking facilities should be increased and post offices should have clear timelines and norms and be held accountable for them," he said.

The study also pointed a startling fact putting to pale the government's claims of providing guaranteed 100 days work to villagers. "During our study, we found out that 10 per cent of the families had only work for the period between 50-80 days, 80 per cent had worked between 25-40 days and remaining 10 per cent were employed for less than 25 days," said Lakshman Singh, member of the study group.

He reiterated that despite lack of work, none of the villagers had been paid unemployment allowance and advocated the creation of labour union of NREGA workers in the state.

The participants also rued at the lack of initiative and creativity in presenting projects at gram panchayat meetings. "No good projects are proposed at the gram panchayat meetings, leaving enough room for the Chief Development Officer (CDO) to come up with unrealistic projects not suitable for the villages. For example, check dams are required in very few areas, but these seem to be proposed at all places.

Lack of awareness about the programme is also one of the reasons for making people dependent on government officials who take them for a ride," said Kavita, a participant from Pokhar village in Bhilangana block.

The issue of lack of transparency in social audit of the programme also came up for discussion and the villagers said it was an exercise in futility and proving to be ineffective.

They also rued that the jobs were given in May and June when the villagers usually go on their farmland, and suggested that the proposals be passed well in advance and also wages be raised from Rs 100 to Rs 200.

State Coordinator AK Rajput, who was also present at the meeting, said as the programme was demand driven. Jobs would be created as per demand, and if there were hurdles in the implementation, it was mainly due to lack of staff, he added.

Scanned by CamScanner

~~अमर उजाला~~ 21 जून 2010 दैनिक जागरण सोमवार

मनरेगा: कार्ड बनाने तक सीमित

जॉब कार्ड धारक और सौ दिन के रोजगार की स्थिति

जिला	जाबकार्डधारक	सौ दिन रोजगार
चमोली	67,365	5449
टिहरी	120974	4604
पौड़ी	103766	141
रुद्रप्रयाग	39469	04
उत्तकाशी	67989	386
कुल	3,99,563	10,504

पांच जनपदों की वर्ष 2009-10 में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा ।

जनपद	अवमुक्त धनराशि	व्यय
चमोली	4538.050 लाख	4399.880
टिहरी	7732.132	6981.810
पौड़ी	3851.400	3276.660
रुद्रप्रयाग	408.213	327.620
उत्तरकाशी	2506,547	2289.29

कुल- 1 अरब 90 करोड़ 36 लाख 3 हजार 3 सौ 3 रुपए की अवमुक्त धनराशि में से 1 अरब 72 लाख 7 हजार 5 सौ 26 रुपये खर्च किए।

- गांव के खाली हाथों को नहीं मिल रहा सौ दिन का काम
- रुद्रप्रयाग जनपद काम देने में फिसड्डी
- बेरोजगारों की आस आज तक नहीं हो सकी है पूरी

पौड़ी गढ़वाल, जागरण कार्यालय: महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना पर करोड़ों रुपये खर्च तो किए जा रहे हैं, लेकिन गांव के खाली हाथों को काम नहीं मिल पा रहा है। गढ़वाल मंडल के पांच पर्वतीय जिलों के आँकड़ों पर नजर दौड़ाएं, तो तीन लाख से अधिक जॉब कार्डधारकों में से मात्र 10,584 लोगों को ही सौ दिन का रोजगार साल में मिला।

1 अप्रैल 2008 को जब इन पांचों जिलों में मनरेगा योजना शुरू हुई तो बेरोजगारों को लगा कि अब उन्हें दो वक्त की रोटी मिल सकेगी, लेकिन कई बेरोजगारों की यह आस आज तक अधूरी ही है। गांव के बेरोजगारों के कार्ड तो बने, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाया। गढ़वाल मंडल के चमोली, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जनपद में 3,99,563 जाब कार्डधारक हैं।

इनमें से सिर्फ 10 हजार 584 लोगों को ही सौ दिन का रोजगार मिला है। इनमें भी जनपद चमोली ने सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिया है, जबकि जनपद रुद्रप्रयाग सौ दिन का रोजगार देने में सबसे फिसड्डी साबित हुआ। जनपद में मात्र चार लोगों को ही सौ दिन का रोजगार मिल पाया।

प्रमुख सचिव ने दिए आदेश

पौड़ी : प्रमुख सचिव सुभाष कुमार ने मनरेगा मंडल मुख्यालय में समीक्षा बैठक में स्पष्ट आदेश दिए हैं कि मनरेगा में सौ दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, लेकिन सौ दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इसे जिलाधिकारी गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि काम देने में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। इस पर तत्काल प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।

डीएम व सीडीओ को आयुक्त ने दिए निर्देश

पौड़ी : मंडल आयुक्त अजय सिंह नबियाल ने गढ़वाल मंडल के जिलों में तैनात डीएम व सीडीओ को आदेश दिए हैं कि मनरेगा में धनराशि का इस्तेमाल में तेजी लाने के साथ ही जॉब कार्डधारकों को सौ दिन का रोजगार दें और इसकी रिपोर्ट हर सप्ताह मंडलीय कार्यालय को प्रेषित करें।

देहरादून, 27 जून 2010 देहरादून

गारंटी छोड़ दीजिए काम की

- उत्तराखंड जन कारवां मंच की ओर से मनरेगा पर कार्यशाला
- पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने गिनाई मनरेगा के राह की मुश्किलें
- लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें मनरेगा की जानकारी देने पर जोर

मनरेगा में गड़बड़ी पर राज्य सरकार को भेजा सुझाव प्रस्ताव

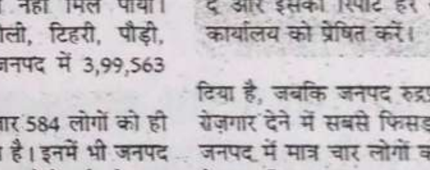

मनरेगा अध्ययन : समाजिक संगठनों के अनुभव

राज्य में किये गये मनरेगा अध्ययन के दौरान उभरे मुख्य बिन्दु

उत्तराखण्ड जन कारवां मंच द्वारा किया गया यह अध्ययन अप्रैल से जून 2010 तक उत्तराखण्ड के पांच जिलों टिहरी, चमोली, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर तथा उत्तरकाशी के 7 विकासखण्डों भिलंगना, जोशीमठ, दशोली, बेतालघाट, खटीमा, गदरपुर तथा नौगांव की 52 पंचायतों के 224 व्यक्तियों (126 महिलाएं तथा 96 पुरूष) के साथ किया गया।

उद्देश्य

अध्ययन का उद्देश्य मनरेगा कानून के व्यवहारिक क्रियान्वयन की प्रक्रिया को समझना तथा कठिनाइयों को दूर करने हेतु पैरवी करना है।

अध्ययन क्रियाविधि

अध्ययन में उत्तराखण्ड जन कारवां मंच की सहयोगी संस्थाओं माउन्ट वैली डेवलपमेन्ट एसोसिएशन टिहरी, जनदेश चमोली, प्रयास नैनीताल तथा महिला कल्याण संस्था ऊधम सिंह नगर से सक्रिय भागीदारी निभाई है। इसके अतिरिक्त हींसर उत्तरकाशी तथा अन्य नेटवर्क से जुड़ी संस्थाओं द्वारा भी सर्वेक्षण में सहयोग प्रदान किया गया। प्रत्येक सहयोगी संस्था द्वारा 10 पंचायतों में सर्वेक्षण किया गया। प्रत्येक पंचायत में 5 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया तथा पंचायत प्रधानों से भी जानकारी प्राप्त की गई। सर्वेक्षण हेतु मजदूरों तथा पंचायत प्रधानों के लिए अलग–2 फार्मेट तैयार किये गये।

❑ मनरेगा क्रियान्वयन के सकारात्मक पहलू

* सामुदायिक एवं बेरोजगार मजदूरों के अनुसार मनरेगा एक अच्छी योजना है, जिसमें काम की गारन्टी है।

Scanned by CamScanner

- सर्वेक्षित क्षेत्र में अधिकांश मजदूरों एवं बेरोजगारों के जौबकार्ड बन चूके हैं। सर्वेक्षित 224 व्यक्तियों में से 220 व्यक्तियों के जौब कार्ड बने हैं जबकि 4 व्यक्तियों के जौब कार्ड नहीं बन पाये।
- इनमें से 73 प्रतिशत लोगों के पास जौब कार्ड अपने पास हैं। शेष 27 प्रतिशत लोगों के जौब कार्ड प्रधान, सचिव या वार्ड मेम्बर के पास है।
- मनरेगा के तहत स्थानीय लोगों से ही कार्य करवाया गया है।
- मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों की मजदूरी का 95 प्रतिशत से अधिक भुगतान चैक द्वारा बैंक एकाउन्ट के माध्यम से किया जा रहा है।
- मनरेगा के क्रियान्वयन के लिये विकासखण्ड स्तर पर एक विशेष टीम का गठन हो चुका है।
- जनपद चमोली के अर्न्तगत विकासखण्ड जोशीमठ ग्राम टंगड़ी तल्ली में पूर्ण रूप से मजदूरों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध होना पाया गया है।

मनरेगा क्रियान्वयन के नकारात्मक पहलू

- समुदाय में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को योजना की व्यापक जानकारी नहीं है।
- लोगों के द्वारा काम के लिये जब आवेदन किया जा रहा है तो ग्राम पंचायतों तथा विकासखण्डों के द्वारा आवेदन की प्राप्ति–रसीद मजदूर को उपलब्ध नहीं करायी जा रही है जिसके कारण अधिकांश मजदूर काम के लिये आवेदन नहीं कर रहे हैं।
- ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के लिये बनाये गये नियोजन/प्लानों को सहभागी रूप से नहीं बनाया गया है जिसमें गांव के अनुरूप होने वाले कार्यों की कमी है।
- मनरेगा के तहत जमीनी स्तर पर कराये जा रहे कार्यों में ज्यादातर कार्यों में चैकडैम के ही कार्य कराये जा रहे है जो पहाड़ के लिये तर्कसंगत नहीं है।
- मजदूरों के समय के अनुरूप भी कार्य उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
- मनरेगा के तहत हर परिवार को 100 दिन की काम की उपलब्धता कराने

Scanned by CamScanner

की जगह सर्वेक्षित लोगों में केवल 10 प्रतिशत परिवारों को ही औसतन केवल 50 से 80 दिन का काम मिल पाया है, 80 प्रतिशत परिवारों को औसतन 25 से 40 दिन का काम मिला है। बाकी 10 प्रतिशत लोगों को 25 से कम दिन का काम मिला है।

- ✶ उपस्थिति : रोजगार में सम्मिलित व्यक्तियों में से 65 प्रतिशत उपस्थिति कच्चे कागज पर ली जा रही है। शेष 35 प्रतिशत मस्टर रोल या जौब कार्ड पर ली जाती है।
- ✶ काम के दौरान दी जाने वाली साइड सुविधायें जैसे :– पानी, मेडिकल किट, क्रेच, छायाग्रह आदि सुविधाओं में से मजदूरों को पानी ही उपलब्ध कराया गया है बाकि सुविधाओं को कहीं भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- ✶ मजदूरी के भुगतान में लगने वाला समय योजना में दिये गये समय की अपेक्षा कई अधिक लग रहा है जो एक माह से लेकर आठ माह तक भी है।
- ✶ मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर किये जा रहे सामाजिक अकेंक्षण की स्पष्ट व्यवस्था तथा क्रियाविधि के होने के कारण सामाजिक अकेंक्षण अधिक प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा है।
- ✶ बेरोजगारी भत्ता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बेरोजगारी भत्ता मिलता है पता है। लेकिन इसके लिये कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

❑ राज्य में मनरेगा के सफल क्रियान्वयन के लिये नागर समाज, पंचायत प्रतिनिधियों तथा मजदूरों के सुझाव

- ✶ समुदाय के स्तर पर योजना के बारे में व्यापक जागरूकता की जाय।
- ✶ मजदूरों को काम मांगने पर रसीद उपलब्ध करायी जाय।
- ✶ मनरेगा के समय के अनुसार कार्य दिया जाय।
- ✶ राज्य में दैनिक मजदूरी की दर को 100 रू. से बढाकर 150 रू. की जाय।
- ✶ मजदूरों को भुगतान समयानुसार दिया जाय।
- ✶ काम के दौरान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय।

Scanned by CamScanner

* मनरेगा में पर्यावरण एवं जल संरक्षण, भूमि सुधार, चारा विकास, महिला कार्यबोझ कम करने एवं आजीविका सम्र्बधन करने वाले कार्यों को करवाया जाना चाहिये।
* सामाजिक अकेंक्षण को प्रभावी बनाने के लिये व्यापक कदम उठाया जाय।

पैरवी हेतु प्रमुख मुद्दे

❑ पंचायत प्रस्ताव एवं नियोजन प्रक्रिया की मजबूती

पंचायतों में दूरगामी समझ एवं योजना न बन पाने के कारण मनरेगा कार्य हेतु ठोस प्रस्ताव नहीं बन पा रहे हैं। अधिकांश पंचायतें प्रस्ताव तैयार करने हेतु ग्राम विकास अधिकारी पर निर्भर रहते हैं। कार्य बोझ अधिक होने तथा गांव की बैठकों की भागीदारी न मिल पाने के कारण ग्राम विकास अधिकारी भी ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे में पंचायतों में माह अगस्त–सितम्बर में अभियान के रूप में व्यापक बैठक एवं चर्चा आयोजित करने की आवश्यकता है। जिससे मनरेगा हेतु वर्ष में प्रत्येक कार्ड धारक को 100 दिन के रोजगार हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा सके।

❑ जल एवं पर्यावरण सम्बन्धी गतिविधियों को प्राथमिकता

प्रस्ताव तैयार करते समय वन क्षेत्र, चारागाह एवं सामुहिक एवं व्यक्तिगत भूमि की चराई तथा कृषि भूमि की जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु दीवाल बन्दी एवं धेरबाढ़ की योजनाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससे चारागाहों, वन पंचायतों एवं सामुहिक भूमि पर से चराई के दबाव को कम किया जा सकता है तथा वनों एवं चारागाहों में लगभग समाप्त हो चुकी पुर्नजनन की प्रक्रिया को फिर से जीवित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त इन्हीं क्षेत्रों में नमी एवं जल संरक्षण हेतु जल तलैयो/तालाबों का निर्माण कर वर्षा जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। महिलाओं के कार्य बोझ को कम करने हेतु चारा विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

❑ न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना

हालांकि सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए मनरेगा के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी 100 रू. प्रतिदिन तय किया गया है। परन्तु पिछले वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 20 से लेकर 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। ऐसे में पूरा दिन मजदूरी करने के बावजूद परिवार के लिए दो वक्त का खाना न जुटा पाना मजदूरों के साथ अन्याय ही कहा जायेगा। अतः न्यूनतम मजदूरी को 100 रूपये से बढ़ाकर 150 रूपये प्रतिदिन किया जाना उचित रहेगा। मजदूरी की दर कम होने के कारण ग्रामवासियों द्वारा मनरेगा हेतु प्रस्ताव तैयार करने या कार्य में सम्मिलित होने में विशेष रूचि नहीं दिखाई जा रही है।

❑ योजना स्वीकृति में तेजी

योजना तैयार कर स्टीमेट बनाने तथा विकासखण्ड से जिला स्तर पर स्वीकृति हेतु भेजने तथा स्वीकृति के पश्चात वापस पहुंचने में काफी लम्बा समय लग जाता है। कई बार जिला स्तर पर प्रस्ताव सम्बन्धी फाइलों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है योजना स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल एवं तेज किया जाना चाहिए।

❑ लोगों के सुविधाजनक समय पर काम उपलब्ध करवाना

पर्वतीय ग्रामीण कृषकों के पास नवम्बर से मार्च तक के पांच महीनों में रोजगार सम्बन्धी कार्यों में भागीदारी हेतु पर्याप्त समय रहता है। जबकि इस दौरान कार्य उपलब्ध नहीं हो पाता है। दूसरी ओर भारत सरकार से योजना स्वीकृति में मार्च तक का समय लग जाता है अतः अधिकांश कार्य मार्च से जून के बीच उपलब्ध होते हैं। जबकि खेती का काम भी जोरों पर रहता है जुलाई–अगस्त में वर्षा तथा पुनः सितम्बर–अक्टूबर में खेती का काम होता है। अतः रोजगार गारन्टी योजना सम्बन्धी कार्य नवम्बर से मार्च के बीच उपलब्ध कराये जाने चाहिए। जबकि अप्रैल से जून तक किये गये कार्यों का आडिट किया जाना चाहिए तथा जुलाई से सितम्बर तक नये वर्ष की योजना हेतु बैठकों का आयोजन तथा प्रस्ताओं को अन्तिम रूप देने का कार्य होना चाहिए, ताकि अक्टूबर में पंचायतों की खुली बैठकों में प्रस्तावों को पास किया जा सके।

Scanned by CamScanner

❑ भुगतान प्रक्रिया को तेज करना

अधिकांश मजदूर वर्ग यही अपेक्षा करता है कि यदि उसे रोज का भुगतान रोज नहीं भी मिल पा रहा है तो एक से दो सप्ताह के अन्दर अवश्य भुगतान मिल जाय परन्तु इससे अधिक समय लगने पर उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भुगतान में देरी का मुख्य कारण जूनियर इन्जीनियर का समय पर एम. बी. न कर पाना है। इस प्रक्रिया को सरल कर भुगतान शीघ्र किया जाना चाहिए।

❑ सोशियल ऑडिट को सहभागी एवं पारदर्शी बनाना

सोशियल ऑडिट के बारे में अभी भी कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं बन पाई है। सोशियल ऑडिट को अधिक सहभागी एवं पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही बाह्य आडिटर के माध्यम से सोशियल ऑडिट की प्रक्रिया का फैसिलिटेसन करवाया जाना चाहिए। सोशियल ऑडिट से प्राप्त परिणामों को सभी लोगों को बताया जाना चाहिए।

❑ बेरोजगारी भत्ता

राज्य में अभी तक किसी व्यक्ति को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाया है। इसका मुख्य कारण लोगों को कार्य हेतु पंजीकरण की प्राप्ति रसीद नहीं मिल पाना है। प्राप्ति रसीद के अभाव में 15 दिन से अधिक समय तक काम न मिल पाने के बावजूद भी लोग बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन करने में असमर्थ रहते हैं। रोजगार हेतु पंजीकरण के पश्चात प्राप्ति रसीद देने को अनिवार्य किया जाय।

❑ कार्य स्थल पर सुविधाएं उपलब्ध कराना

अधिकांश गांवों में कार्य स्थल पर पानी के अतिरिक्त अन्य कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मजदूरों के लिए कानून द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उन्हें छायागृह, बच्चों की देख–रेख की व्यवस्था तथा प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

Scanned by CamScanner

मनरेगा की राज्य स्तरीय कार्यशाला की तैयारी बैठक
25 मार्च 2010, द्रोण होटल देहरादून
आयोजक माउॅट वैली डे. एसो. दोणी टिहरी गढ़वाल व उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच देहरादून
सहयोग : एक्सन एड इण्डिया

1. पृष्टभूमि

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून 2005 पूरे देश के साथ उत्तराखण्ड राज्य में 2007 से लागू है जिसके तहत राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी बेरोजगार महिला एवं पुरूष को 100 दिन का रोजगार देने की वचनबद्धता सुनिश्चित की गयी है लेकिन इस कानून के लागू होने के तीन साल बाद भी ग्रामीण क्षेत्रो में मजदूरो को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विगत तीन वित्तीय सालो में मनरेगा के अनुभवो वर्तमान समय में मजदूरो की मुख्य समस्याओं और मनरेगा के प्रभावी कियान्वयन हेतु सहयोगी संगठनो तथा उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच के सहयोग से राज्य सरकार एवं जन संगठनो के साथ एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया ।

राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन से पहले राज्य में मनरेगा की वर्तमान स्थिती को जानने के लिये 25 मार्च 2010 को एक पूर्व तैयारी बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया गया यह बैठक उत्तराखण्ड जन कारॅवा जुड़े संगठनो के साथ की गयी।

2. बैठक का उद्‌देश्य

★ मनरेगा की राज्य स्तरीय कार्यशाला की रणनीती बनाना ।

Scanned by CamScanner

- ✶ राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा पर किये जा रहे कार्यो व कानून/जारी शासनादेश के बारे में जानना ।
- ✶ मनरेगा के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर साझी समझ विकसित करना।

3. प्रक्रिया

- ✶ मनरेगा में कार्यरत राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा ।
- ✶ राज्य अलग–अलग जनपदो में कार्यरत साथी संगठनो के मरनेगा पर किये गये कार्यो के आधार अनुभवों का आदान–प्रदान।
- ✶ समूह चर्चा के द्वारा भावी रणनीति का नियोजन ।

4. तैयारी बैठक की आख्या

प्रथम सत्र 25 मार्च 2010

बैठक का शुभारम्भ उत्तराखण्ड जन कारॅवा के राज्य समन्वयक श्री पूरन बर्त्वाल जी के द्वारा सभी प्रतिभागियों के स्वागत व मनरेगा राज्य प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन के राज्य समन्वयक श्री ए. के. राजपूत के स्वागत से किया गया उसके बाद सभी उपस्थित प्रतिभागियों के द्वारा अपना और अपने संगठन का विस्तृत परिचय दिया गया ।

कार्यशाला की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुये उत्तराखण्ड जन कारॅवा के सदस्य और माउॅट वैली के कार्यक्रम समन्वयक दुर्गा प्रसाद के द्वारा कार्यशाला की पृष्टभूमि से अवगत कराते हुये कहा कि उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच स्वैच्छिक संगठनो और सामुदायिक संगठनो का एक गठबन्धन है जो राज्य स्तर पर रोजगार के अधिकार, विस्थापन से प्रभावित लोगो के हितो की पैरवी तथा महिला एवं शिक्षा के अधिकार पर मुख्य रूप से कार्य कर रहा है। मनरेगा के लिये भी उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच

Scanned by CamScanner

के द्वारा जो कार्य किया गया वह इस प्रकार है :–

* मनरेगा कानून को पूरे देश में लागू करने के लिये सन 2003 से 2005 तक केन्द्र सरकार पर हस्ताक्षर अभियान एवं जन्तर–मन्तर पर धरना देकर दबाव बनाया गया ।
* सन 2005 में कानून लागू होने के बाद से सन 2007 तक स्वैच्छिक संगठनो के साथ समझ विकसित करने के कार्य किये गये ।
* सन 2007 से 2009 तक उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच से जुड़े संगठनो ने साथी संगठनो के द्वारा समुदाय स्तर पर मजदूरो के जौब कार्ड बनाने से लेकर जागरूकता और काम के लिये आवेदन कराने कार्य किया गया जिससे मिले अनुभवों और सीखो के आधार पर अब 2010 में राज्य स्तरीय कार्यशाला करने का निर्णय लिया गया है ।

कार्यक्रम को आगे बढाते हुये जनदेश चमोली से आये नरेगा फेलो ने चमोली के अनुभव के आधार पर कहा कि चमोली में कई ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पर 08 माह से लोगो का भुगतान नही किया गया है इसी जनदेश से बीद्या जीना ने भी नरेगा पर कई समस्याओं को रखा जो मुख्य समस्यायें थी वह इस प्रकार है :–

1. लोगो को आवेदन करने के लिये अभी भी ग्राम पंचायत प्रधान पर निर्भर रहना पड़ता है।
2. चमोली दशोली विकासखण्ड में एक ग्राम पंचायत में विना काम के भुगतान किया गया ।
3. महिलाओं को कार्य पर आने के लिये रोक दिया जा रहा है ।
4. महिलाओं को कहा कि तुम कुशल कारीगर नहीं है और यदि आप नरेगा में कार्य करती है तो कुशल कारीगरों का भुगतान तुम्हे अपनी मजदूरी से करना पड़ेगा और महिलायें कुशल मजदूरो का भुगतान अपनी मजदूरी से कर रही है।

इसी प्रकार नैनीताल व उधमसिंह नगर से आये प्रतिभागी आशा ने नरेगा में मशीनों के द्वारा कराये जा रहे कार्यो के मुद्दे को उठाये तथा सुन्दरमणि टिहरी ने काम समय पर उपलब्ध न कराने तथा बेरोजगारी भत्ता का भी न दिये जाने के मुद्दे को उठाया।

इसके बाद राज्य सरकार के नरेगा राज्य प्रकोष्ठ के राज्य समन्वयक श्री ए. के.

Scanned by CamScanner

राजपूत द्वारा सभी उपस्थित प्रतिभागियों को इस प्रकार अवगत कराया गया :–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून पंचायतों के माध्यम से कियान्वित की जाने वाली भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो पंचायतों को अपने कार्यक्षेत्र में रहने वाले मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजना है। इससे पंचायते अपने ढांचागत सुविधाएं जैसे गूल, टैंक, वनीकरण आदि तैयार कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में यह योजना एक वरदान के समान है।

मनरेगा कानून राज्य के सभी जिलो में लागू है । मनरेगा जब 2006 में लागू हो रहा था तब केवल बी.पी. एल. परिवारों के लिये लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया था लेकिन उत्तराखण्ड की ओर से केन्द्र स्तर पर सभी के लिये रोजगारी देने की पैरवी की गयी जो स्वीकृत होकर आज देश के सभी राज्यो में यह नियम लागू हो गया है।

रोजगार

- ★ मनरेगा के तहत राज्य में एक परिवार को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार हर स्थिति में उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार वचनबद्ध है जो मजदूर के द्वारा काम के लिये आवेदन करने के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना है ।
- ★ मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यो के लिये कम से कम 60 प्रतिशत मजदूरी और अधिकतम 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय की जाती है, जिसके लिये जो मजदूर का श्रमांश है उसको केन्द्र सरकार व्यय करती है और सामग्री पर होने वाले व्यय 40 प्रतिशत का 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार के द्वारा और 25 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है इस प्रकार केन्द्र का 90 प्रतिशत और राज्य सरकार का 10 प्रतिशत होता है ।

Scanned by CamScanner

* यह योजना मांग पर आधारित है अर्थात लोग सरकार से 100 दिन का काम प्रति परिवार तक मांग सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि मांगने पर लोगों को काम अवश्य दे। इसमें धन की कोई कमी नही है।

पंजीकरण

* रोजगार मांगने के लिए लोगों को काम हेतु पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के 15 दिन के अन्दर 5 किमी. के अन्दर काम मिलेगा पंजीकरण करने पर कार्यक्रम अधिकारी से रसीद लेनी चाहिए। पंजीकृत व्यक्ति का फोटो ब्लाक द्वारा लिया जायेगा। (इसके लिए 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय ब्लाक को दिया जाता है)
* पूरी योजना का 90 प्रतिशत खर्चा भारत सरकार (श्रम का 100 प्रतिशत तथा सामाग्री का 75 प्रतिशत) द्वारा दिया जाता है तथा 10 प्रतिशत राज्य द्वारा (सामाग्री का 25 प्रतिशत)
* पंजीकरण के 15 दिन के अन्दर काम न दिये जाने पर पंजीकृत व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता का हकदार हो जाता है। बेरोजगारी भत्ता बी. डी. ओ. की जिम्मेदारी है।
* प्रत्येक दिन 9 घन्टे में से 8 घन्टे कार्य तथा 1 घन्टे का आराम मिलेगा।
* कार्य स्थल पर पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, छाया हेतु व्यवस्था तथा बच्चों की देखरेख की व्यवस्था जैसी सुविधाएं आवश्यक हैं।
* काम की गति को ठीक रखने हेतु पीस दर पर भी काम कराया जा सकता है। राज्य में सभी कार्यो की एम. बी पीस रेट से की जा रही है और एम. बी के आधार पर भुगतान किया जा रहा है ।
* यह ध्यान रखना है कि 100 रू. मजदूरी भुगतान करने पर उतना ही काम अवश्य पूरा हो जाय तथा किये गये काम की गुणवत्ता भी ठीक हो।

भुगतान

* मजदूरी के रूप में खाते में चढ़ाये गये पैसों में से यदि प्रधान या कोई कर्मचारी कुछ पैसे वापस मांगता है तो यह सरासर गलत एवं भ्रष्टाचार है। मजदूरों को इसकी शिकायत करनी चाहिए।

Scanned by CamScanner

* यदि किंसी के खाते में किये गये कार्य दिवसों से अधिक दिनों की मजदूरी चढ़ाई जाती है तथा उनसे बाकी पैसा वापस लौटाने के लिये कहा जाता है, तो यह गलत है इसकी भी शिकायत की जानी चाहिए।
* प्रधान या कर्मचारियों द्वारा काम देने हेतु मना करने, भुगतान में गड़बड़ी या किसी भी अन्य प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार किये जाने पर कानून का उलंघन माना जायेगा तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए जिलाधिकारी या राज्य प्रकोष्ठ में शिकायत की जा सकती है।
* महिला या बुजुर्ग को भी मजदूरी का भुगतान समान अर्थात 100 रू. प्रतिदिन किया जायेगा। यदि महिलाओं से पैसा वापस करने को कहा जाता है तो इसकी शिकायत करें।

रोजगार योजना

* कानून के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखकर एक रोजगार योजना तैयार की जायेगी। 2 अक्टूबर की खुली बैठक में इस पर चर्चा कर इसको अन्तिम रूप दिया जायेगा तथा 17 अक्टूबर यह योजना क्षेत्र पंचायत में जमा की जायेगी।
* विकासखण्ड स्तर पर मानको के आधार पर परीक्षण के पश्चात पूरे ब्लाक की ग्राम पंचायत वार योजना तैयार की जायेगी तथा नवम्बर अन्तिम सप्ताह तक यह योजना जिला विकास अधिकारी को जमा की जायेगी।
* जनपद स्तर पर दिसम्बर द्वितीय सप्ताह तक इसमें सुधार किया जायेगा तथा जिला पंचायत से स्वीकृति के पश्चात 31 दिसम्बर तक इसे शासन को भेजा जायेगा।

गतिविधियां एवं कार्य

* कानून के अन्तगत दी गई गतिविधियों तथा कार्यो के दायरे में गांव में सभी तरह के कार्य किये जा सकते हैं। केवल उनका प्रस्तुतीकरण भूमि सुधार जल संग्रहण, जल संरक्षण, अकाल से बचाव, सिंचाई नहरें, जल स्रोतों का नवीनीकरण, भूमि विकास, बाढ़ नियन्त्रण तथा ग्रामीण इलाको को जोड़ने के लिए पक्की सड़को का निर्माण आदि के दायरे में होना चाहिए।

Scanned by CamScanner

- कार्य स्थल पर सब्बल, फावड़े, तसले आदि तथा बोर्ड का खर्चा परियोजना से दिया जाना है न कि मजदूरो से।
- राज्य में अभी मनरेगा के मानको संशोधन करके 02 है. से कम जमीन वाले किसानो के खेतो में भूमि सुधार का कार्य किया जाता है ।

बीमा

- बी. पी. एल. कार्ड धारकों का जनश्री बीमा सरकार द्वारा किया जाता है जिसमें 18 से 59 वर्ष के उम्र के मजदूरों का 100 रू. राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।
- काम करते समय किसी भी व्यक्ति को चोट लगने पर उसका इलाज अस्पताल द्वारा मुफ्त किया जायेगा।
- काम करते वक्त चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज पूरा होने तक आधे दिन की मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।
- कार्य करते समय चोट लगने से अपंगता होने या मृत्यु हो जाने पर 25 हजार रूपये का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा।

सामाजिक अंवेक्षण (सोशियल ऑडिट)

- साल में दो बार सोशियल ऑडिट होगा। अप्रैल से सोसियल ऑडिट की तारीखे निकाली जायेगी उनमें राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा भी औचक भ्रमण किया जाता है। सोशियल ऑडिट में रोजगार योजना मस्टरोल तथा अन्य सभी दस्तावेज सार्वजनिक किये जाते हैं तथा इसको कोई भी देख सकता है। अप्रैल से जून के बीच सोशियल ऑडिट की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। यह भी प्रयास किया जा रहा है कि सोशियल ऑडिट किसी बाह्य संस्था के माध्यम से कराया जाय।
- ग्रामीण विकास मन्त्री (भारत सरकार) सोशियल ऑडिट की समीक्षा करतें हैं

शिकायतें

- किसी भी प्रकार की शिकायतें कार्यक्रम अधिकारी तथा बी. डी.ओ.

Scanned by CamScanner

कार्यालय में शिकायत रजिस्टर में दर्ज कराने पर 7 दिन के अन्दर उसका निपटारा किया जाता है।

दूसरा सत्र

पहले सत्र की समीक्षा के साथ उपस्थित प्रतिभागियों के द्वारा उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच के द्वारा मनरेगा पर की जाने वाली राज्य स्तरीय कार्यशाला की कार्ययोजना की रणनीति पर चर्चा की गयी जो इस प्रकार है :–

1. मनरेगा की स्थिति का अध्ययन के लिये अधिक से अधिक ग्राम पंचायतो का अध्ययन किया जाय ।
2. जो भी टेस्ट मनी राज्य स्तर कार्यशला में प्रस्तुत की जायेगी वह स्पष्ट और तथ्यो व सबूत के साथ होनी चाहिये ।
3. टेस्ट मनी को तैयार करने के लिये माउॅट वैली डे. एसो. की ओर से एक प्रश्नावली तैयार की गयी इसी के आधार पर टेस्ट मनी तैयार की जायेगी।

इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुये टेस्ट मनी के लिये तैयार प्रश्नावली का सभी प्रतिभागियों के साथ चर्चा करके पुनः संशोधन कर आगे की कार्ययोजना बनायी गयी ।

5. भावी कार्ययोजना

क्र. स.	कार्यक्रम गतिविधि	कार्य पूर्ण करने की अन्तिम तिथि
01.	साथी संगठनो को राज्य संसाधन केन्द्र से टेस्ट मनी हेतु प्रश्नावली प्रपत्र भेजना	31 मार्च 2010
02.	साथी संगठनो के द्वारा राज्य संसाधन केन्द्र को समुदाय ओर पंचायत से टेस्ट मनी प्रश्नावली प्रपत्र भर कर व संकलन कर भेजना	25 अप्रैल 2010
03	मनरेगा पर राज्य स्तरीय कार्यशाला	30 जून 2010 तक

अन्त में सभी के धन्यवाद के साथ कार्यशाला का समापन किया गया

Scanned by CamScanner

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून मनरेगा पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

26 जून 2010, स्थान – होटल कमला पैलेस देहरादून
आयोजक : उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच देहरादून, सहयोगः माउॅट वैली डे. एसो. दोणी टिहरी गढवाल व एक्सन एड इण्डिया

कार्यशाला की पृष्टभूमि

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून 2005 पूरे देश के साथ उत्तराखण्ड राज्य में 2007 से लागू है जिसके तहत राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी बेरोजगार महिला एवं पुरूष को 100 दिन का रोजगार देने की वचनबद्धता सुनिश्चित की गयी है लेकिन इस कानून के लागू होने के तीन साल बाद भी ग्रामीण क्षेत्रो में मजदूरो को तमाम समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है जिसके लिये विगत तीन वित्तीय सालो में मनरेगा के अनुभवो व मजदूरो की वर्तमान समय में मुख्य समस्याओं और मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सहयोगी संगठनो तथा उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच के सहयोग से राज्य सरकार एवं जन संगठनो के साथ एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया ।

उपरोक्त राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन से पहले राज्य में मनरेगा की वर्तमान स्थिति को जानने के लिये एक पूर्व तैयारी बैठक 25 मार्च 2010 को उत्तराखण्ड जन

Scanned by CamScanner

कारॅवा जुड़े संगठनो के साथ होटल द्रोण में आयोजित की गयी। बैठक के बाद उभर कर आया कि सभी संगठनो को अपने कार्यक्षेत्र में समुदाय एवं श्रमिको के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है। जिसके बाद श्रमिको और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ राज्य के पॉच जिलो के सात विकासखण्ड के 52 ग्राम पंचायतो में 10 –10 श्रमिको के साथ अध्ययन करने के बाद मनरेगा की दिशा और दशा पर एक दस्तावेज बनाया गया। अध्ययन से मनरेगा की स्थिति पर उभरे मुद्दो पर समझ बनाने के लिये 26 जून 2010 को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया । संलग्नक–1 प्रतिभागियों की सूची

कार्यशाला का उद्देश्य

* मनरेगा कानून के व्यवहारिक क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर आपसी समझ बनाने के साथ, कठिनाइयों को दूर करने हेतु शासन /प्रशासन स्तर पर पैरवी करना
* राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा पर किये जा रहे कार्यो व कानूनो/जारी शासनादेश के बारे में जानना ।

प्रतिभागियों का विवरण

कार्यशाला मे सरकारी प्रतिनिधि, सामुदायिक संगठनो के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठनो के प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि सहित कुल 116 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सरकारी प्रतिनिधि	सामुदायिक संगठनो के प्रतिनिधि	गैर सरकारी संगठनो के प्रतिनिधि	पंचायत प्रतिनिधि	मीडिया प्रतिनिधि	कुल
03	34	30	20	29	116

कार्यशाला की प्रकिया

* राज्य में मनरेगा पर किये अध्ययन को मीडिया, शासन/प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तुतीकरण किया गया।

Scanned by CamScanner

- मनरेगा में कार्यरत राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा ।
- राज्य के अलग –अलग जनपदो में कार्यरत साथी संगठनो के मरनेगा पर किये गये कार्यो, अनुभवों का आदान –प्रदान करना ।
- समूह चर्चा के द्वारा मनरेगा के प्रभावी कियान्वयन के लिये भावी रणनीती का नियोजन।
- मनरेगा पर उभरी समस्याओं को सुनने के लिये एक पैनल बनाया गया जिसमें राज्य योजना आयोग व प्रमुख समाजसेवी श्री सच्चिदानन्द भारती जी, मनरेगा के राज्य प्रकोष्ठ के समन्वयक श्री ए. के . राजपूत तथा सम्बन्ध नेटवर्क के रोबिन फुटार्टो, श्री विरेन्द्र पैन्यूली थे तथा पैनल का संचालन उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच के राज्य समन्वयक पूरन वर्त्वाल जी के द्वारा किया गया।

कार्यशाला की आख्या

प्रथम सत्र कार्यशाला का शुभारम्भ उत्तराखण्ड जन कारॅवा के राज्य समन्वयक श्री पूरन बर्त्वाल जी के द्वारा सभी प्रतिभागियों के स्वागत से किया गया तथा प्रथम सत्र के पैनल हेतु वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री विरेन्द्र पैन्यूली, रोबन फुर्टाटो, उत्तरकाशी नौगॉव से आये पंचायत प्रतिनिधि ग्राम पंचायत प्रधान छमरोटा श्री राम प्रसाद सेमवाल, भिलंगना सखी संगठन टिहरी की सचिव श्री बीरा देबी, फते सिंह राणा, चमोली के हुकम सिंह फस्वार्ण को मॅच पर आमन्त्रित किया गया, उसके बाद सभी उपस्थित प्रतिभागियों के द्वारा अपना और अपने संगठन का परिचय दिया गया।

Scanned by CamScanner

कार्यवाही को आगे बढाते हुये श्री पूरन बर्त्वाल जी के द्वारा कार्यशाला की पृष्टभूमि व उद्देश्य से अवगत कराते हुये कहा कि उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच एक स्वैच्छिक संगठनो और सामुदायिक संगठनो का एक गठबन्धन है जो राज्य स्तर पर रोजगार के अधिकार, विस्थापन से प्रभावित लोगो के हितो की पैरवी तथा महिला एवं शिक्षा के अधिकार पर मुख्य रूप से कार्य कर रहा है और पिछले तीन सालो से मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जनजागरण कार्यक्रम के साथ क्रियान्वयन के दौरान आ रही बाधाओं पर दूर करने के लिये पैरवी कर रहा है।

अध्ययन का प्रस्तुतीकरण

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुये माउॅट वैली के कार्यक्रम समन्वयक दुर्गा प्रसाद के द्वारा मनरेगा की स्थिति पर किये गये अध्ययन के मुख्य सारांश का प्रस्तुतीकरण किया।

टेस्टमनी

मनरेगा पर किये गये अध्ययन के दौरान समुदाय स्तर पर मिली मुख्य टेस्टमनियों के द्वारा मनरेगा पर अपने अनुभवों का आदान –प्रदान किया गया जो इस प्रकार है ।

Scanned by CamScanner

टेस्टमनी का नाम	जनपद का नाम	मनरेगा पर मुख्य समस्या
कमला देबी	ग्राम छैली, वि खण्ड भिलंगना, टिहरी गढवाल	मनरेगा के तहत वर्ष 2009 में एक बार व 2010 में दो बार काम के लिये आवेदन किया है लेकिन हर बार हमें धरना प्रदर्शन के बाद से कार्य मिला। कानून के अनुसार कभी आसानी से कार्य उपलब्ध नहीं हुआ है ।
गौफरी देबी	ग्राम त्रिकोट वि खण्ड भिलंगना, टिहरी गढवाल	मेरे द्वारा मनरेगा में पिछले साल एक दिन कार्य किया गया और जिसका भुगतान मेरे को रू. 73 दिया गया जब कि मेरे खाते में रू 700 का भुगतान किया गया है बाकि पेसे प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के द्वारा वापस लिये गये है ।
गौविन्द लाल	ग्राम चडोली, वि खण्ड भिलंगना, टिहरी गढवाल	मनरेगा में बिना काम किये मेरे नाम से मस्टरोल भरा गया और बैंक खाते से मजदूरी उडरोल की गयी ऐसा केवल सहकारी मिनी बैंको में हो रहा है मजदूरो के खाते स्टेट वैक में खोले जाय ।
मदन सिंह पंवार	ग्राम मेन्डू सिन्दवाल गॉव वि खण्ड भिलंगना, टिहरी गढवाल	ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम सभा की बैठकों में नहीं आते हैं। गांव से विकास खण्ड की दूरी 35 कि.मी. है जब ग्राम पंचायत से विकासखण्ड कार्यालय में आते है वहां पर पहुचने के बाद भी ग्राम विकास अधिकारी नहीं मिल पाता हैं जिससे लोगो के भुगतान आदि में महिनो लग रहे है। मनरेगा के तहत जो भी कार्य होता है सामग्री के भुगतान की धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी अपने नाम से आहरित करता हैं जिससे ग्राम पंचायत में पारदर्शिता का अभाव बना रहता है ।
लक्ष्मण सिंह नेगी	जोशीमठ चमोली	विभाग के पास जल संरक्षण और चारा विकास, उद्यानीकरण जैसे कार्यो के लिये इस्टमेटो का अभाव है जिससे लोगो की अपेक्षानुसार कार्य नहीं हो पा रहे है ।
अवतार सिंह नेगी	ग्राम दोणी पल्ली, वि खण्ड भिलंगना टिहरी गढवाल	मनरेगा में किये जा रहे कार्यो के लिये खरीदी जा सामग्री का अधिकतर भुगतान सम्बन्धित फर्म को नकद किया जा रहा है तथा 80 प्रतिशत कार्य चैकडैम के हो रहे है जिनकी गुणवत्ता भी घटिया है जनपद टिहरी में वित्तिय वर्ष 2007–2008 से 2009–2010 तक तीन वर्षो में 25469 चैकडैम बने है जबकि पेयजल समस्या से परेशान गॉवो में जल संरक्षण के लिये मात्र 6142 चहलो का निमार्ण किया गया है 79 पेयजल निमार्ण कार्य कराये गये है ।
कमला देवी	उधम सिंह नगर	मनरेगा कार्य के तहत मेरे गॉव में एक मछली तालाब बनाया था जिसका अभी तक आधा भुगतान नकद किया गया है और आधा भुगतान के लिए विकास खण्ड के कर्मचारी कहते हैं कि बजट समाप्त हो गया है जिसके कारण नहीं हो पायेगा।
नागेन्द्र दत्त	तरूण पर्यावरण विज्ञान संस्थान ढुन्डा उत्तरकाशी	जनपद टिहरी के प्रतापनगर विकासखण्ड के अर्न्तगत ग्राम पंचायत गढ सिन्दवाल गॉव में मनरेगा के तहत कार्य का तीन सालो से भुगतान नहीं हुआ है ।

Scanned by CamScanner

कार्यशाला के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों के वक्तव्य

श्रीमती कमला देवी, ग्राम छैली भिलंग टिहरी गढवाल : श्रीमती कमला देवी का कहना था कि ग्राम छैली की महिलायें जब मनरेगा के अन्तर्गत कार्य के लिए आवेदन के लिए खण्ड विकास कार्यालय गयी तो ग्राम पंचायत अधिकारी और खण्ड विकास के कर्मचारियों ने उन्हें आवेदन की प्राप्ति रसीद नहीं दी। मनरेगा को 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं लेकिन अभी तक कामगारों को 100 दिन का रोजगार भी प्राप्त नहीं हुआ है, साथ ही कामगारों के जॉब कार्ड नहीं भरे जा रहे हैं ।

श्री हुक्म सिंह फरस्वाण, उर्गम जनपद चमोली : श्री फरस्वाण का कहना था कि हमारे यहां पर गांव स्तर पर प्रस्ताव बनाये जाते हैं और हमने प्रस्ताव देकर वृक्षारोपण का कार्य किया हैं जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है।

श्रीमती चम्पा देवी, नैनीताल : हमने मौखिक रूप से मनरेगा के तहत कार्य की मांग की तो हमे कार्य मिला है लेकिन कतिपय पंचायतों में मनरेगा के तहत कार्य नहीं हुआ है और साथ ही जॉब कार्डो में उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है।

श्री लक्ष्मण नेगी, उर्गम, जनदेश, चमोली :– श्री नेगी ने कहा कि मनरेगा के तहत जो अवर अभियन्ता भर्ती किये गये हैं उन्हें खाल और चहल का ज्ञान नहीं हैं जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाय। साथ ही गांव स्तर पर 10–10 लोगों का समूह बना कर रोजगार के लिए आवेदन किया जाय। ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।

Scanned by CamScanner

श्री फते सिंह राणा, हिन्दाव टिहरी गढवाल : श्री राणा ने कहा कि जब 22 करोड़ 71 लाख टिहरी जिले के लिए आवंटित है तो क्यो जिले में मनरेगा के कार्यों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जबकि विकासखण्ड के कर्मचारी कह रहे है कि विकासखण्ड में मनरेगा के तहत किये गये कार्यो के भुगतान के लिये धनराशि उपलब्ध नहीं है, शासन का कहना है कि मनरेगा की धनराशि खर्च नहीं हो पा रही है।

श्रीमती बीरा देवी, आली, ग्यारह गांव, टिहरी गढवाल : श्रीमती बीरा देवी ने कहा कि भिलंगना ब्लाक में पंचायत प्रतिनिधियों में 50 प्रतिशत महिलायें हैं जिसमें से मात्र 4 या 5 महिलायें ही स्वतन्त्र रूप से खण्ड विकास कार्यालय में जा पाती हैं। अन्य सभी महिला पंचायत प्रतिनिधि अपने पुरूष सहयोगियों के साथ ही कार्यालयों में जाती हैं।

श्रीमती मीरा कैंतुरा, सचिव मैत्री संस्था रूद्र प्रयाग : श्रीमती कैंन्तुरा ने कहा कि राज्य स्तर पर मनरेगा के कार्यों के सफल संचालन, सहयोग, मल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए।

श्री सचिदानन्द भारती, राज्य योजना आयोग सदस्य : श्री भारती ने अपने वक्तव्यों में कहा कि मनरेगा एक कानून है जहां लागू नहीं होता वहां दण्ड का प्राविधान है। यह हमारा हक है। हमें संगठित होकर इसका लाभ उठाना चाहिए।

श्री ए.के. राजपूत, राज्य समन्वयक मनरेगा : श्री राजपूत ने कार्यशाला की सभी शिकायतों और सुझावों को सुनने के पश्चात अपने वक्तव्य में कहा कि मनरेगा की सभी शिकायतों के निराकरण एवं सुचारू रूप से संचालन तथा शिकायतो के लिए जनपद स्तर पर एक लोक पाल की नियुक्ति की जा रही है। साथ ही समय पर कामगारों का भुगतान किया जा सके इसके लिए बैंकों की नई ब्रांचों को खोला जा रहा है और डाक विभाग को अग्रिम धनराशि भी दी गई है जिससे विभाग धनराशि की कमी का बहाना न बना सके। साथ ही श्री राजपूत ने कहा कि यदि तब भी कामगारों की शिकायतें रहती हैं तो राज्य सरकार ने मनरेगा की शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर खोल रखे हैं जिन पर कोई भी कामगार कार्यालय समय में वार्ता कर सकता हैं।

राज्य का टोल फ्री नम्बर — 18001804120

Scanned by CamScanner

जनपद टिहरी का टोल फ्री नम्बर – 18001804112
जनपद पौड़ी का टोल फ्री नम्बर –
जनपद उत्तरकाशी का टोल फ्री नम्बर –

कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों द्वारा निम्न सुझाव आये

- ✶ गांव स्तर पर सूक्ष्म नियोजन कर समस्याओं के अनुसार प्रस्ताव बना कर विकास खण्ड कार्यालय को प्रस्तुत किये जायें।
- ✶ मनरेगा के सात चरणों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें।
- ✶ कामगारो को नियत समय पर कार्य मिलना चाहिए।
- ✶ जिस समय खेती का कार्य अधिक होता है उस समय कार्य नहीं मिलना चाहिए
- ✶ सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाय।
- ✶ ग्राम्य विकास के अधिकारी एवं कर्मचारी गांव स्तर पर जाकर कार्य की प्रगति देख कर समय पर भुगतान करवायें।
- ✶ मनरेगा के कार्यो की देखरेख व कियान्वयन के लिये स्थानीय कर्मचारी न रहे।
- ✶ कुशल और अकुशल कामगारों की मजदूरी अलग–अलग होनी चाहिए।
- ✶ कम से कम 200 दिन का रोजगार मिलना चाहिए और मजदूरी रू0 200.00 होनी चाहिए।

मांग पत्र

❑ पंचायतों में प्रस्ताव तथा रोजगार योजना बनाने की प्रकिया को मजबूत किया जाय।

अध्ययन से प्राप्त सूचनाओं तथा मीडिया रिर्पोटो के अनुसार राज्य स्तर पर मनरेगा हेतु उपलब्ध धनराशि का केवल 50 प्रतिशत ही उपयोग हो पाया है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार भी केवल 50 प्रतिशत जौबकार्ड धारको द्वारा ही रोजगार हेतु आवेदन किया गया है। इसका मुख्य कारण वार्ड स्तर तथा पंचायत स्तर पर बैठकों का अभाव है। बैठकों के न हो पाने के कारण लम्बे समय हेतु योजनाएं नही निकल पाती हैं। फलस्वरूप मनरेगा प्रस्तावों हेतु प्रधानों की निर्भरता ग्राम विकास अधिकारी पर बढ़ती जा रही है। गांव की स्पष्ट समझ के अभाव में ग्राम

Scanned by CamScanner

विकास अधिकारी द्वारा भी चैकडैम निर्माण जैसी सामान्य योजनाएं ही सुझाई जाती हैं। अतः माह अगस्त सितम्बर में ग्राम स्तरीय बैठकों के आयोजन का एक अभियान चलाया जाना चाहिए। जहां आवश्यक हो पंचायतों को सहयोग प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाय तथा प्रत्येक जौब कार्ड धारक को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने हेतु बृहद रोजगार योजना तैयार की जाय।

❑ पर्यावरण एवं जल संरक्षण सम्बन्धी कार्यो को प्राथमिकता दी जाय।

मौसम परिवर्तन के बढ़ते हुए प्रभावों तथा जल के बढ़ते हुए संकट को घ्यान में रखते हुए पूरे देश में विशेषतौर पर उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में पर्यावरण एवं जल संरक्षण जैसे कार्यो को बढ़ाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में इसकी पर्याप्त सम्भावनाएं एवं संसाधन उपलब्ध हैं। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में इन कार्यो को प्राथमिकता दी जाय।

❑ प्रकियाओं में सुधार कर भुगतान में लगने वाले समय को कम किया जाय

मनरेगा के कियान्वयन में कई प्रकार की प्रकियात्मक खामियां है जैसे रोजगार हेतु आवेदन किये जाने पर प्राप्ति रसीद न दिया जाना, कार्य स्थल पर मस्टरोल के स्थान पर कच्चे कागज या डायरी में उपस्थिति लिया जाना। जूनियर इंजीनियर की उपलब्धता न होने पर किये गये कार्य की मापी (एम. बी.) में लम्बा समय लगना तथा भुगतान में देरी होना। उपरोक्त प्रक्रियात्मक खामियों में सुधार किया जाय तथा भुगतान में लगने वाले समय को कम किया जाय।

❑ न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया जाय

पिछले दो वर्षो में आवश्यक वस्तुओं के दाम 20 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। ऐसी परिस्थितियों में एक मजदूर दिन भर काम करने के पश्चात भी अपने परिवार के लिए दो वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता है। जोकि सरासर अन्याय है। अतः न्यूनतम मजदूरी की दर को बढ़ाकर 200 रूपये किया जाय।

Scanned by CamScanner

❑ वार्षिक समय सारणी में सुधार

अक्टूबर माह में खुली बैठकों के पश्चात नवम्बर अन्तिम सप्ताह तक विकासखण्ड स्तर ग्राम पंचायत वार योजनाएं जिलाधिकारी को जमा की जाती है। तथा 31 दिसम्बर तक जिला पंचायत से स्वीकृति के पश्चात शासन को भेज दी जाती है। फिर माह जनवरी में सभी जनपदों की योजनाओं को संकलित कर राज्य योजना तैयार कर राज्य परिषद की स्वीकृति के बाद फरवरी तक केन्द्र सरकार को भेज दी जाती है। इस प्रकार कार्य मार्च अन्त या अप्रैल से प्रारम्भ हो पाता है। दूसरी ओर अप्रैल से जून तक खेती के कार्यो में व्यस्तता के कारण ग्रामवासी रोजगार योजना में अधिक रूचि नहीं दिखा पाते जुलाई अगस्त में बरसात तथा सितम्बर–अक्टूबर में पुनः फसल कटाई का कार्य हो जाता है। नवम्बर से मार्च तक के पांच महीनों में लोगों के पास पर्याप्त समय होता है। अतः रोजगार योजना का कार्य इन्ही महीनों में कराया जाय।

❑ कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाएं

सामान्यतया यह देखा गया है कि कार्य स्थल पर पीने के पानी के अतिरिक्त कोई भी सुविधा प्रदान नही की जाती है। कई जगहों पर पीने का पानी भी लोगों को घर से खुद ही लेकर जाना पड़ता है। कानून के अनुसार कार्य स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा किट, छोटे बच्चों की देखभाल की व्यवस्था तथा छाया की व्यवस्था अवश्य की जाय।

❑ सोशियल ऑडिट में सुधार

सोशियल ऑडिट की स्पष्ट व्यवस्था न हो पाने के कारण इसे प्रभावशाली तरीके से नहीं किया जा रहा है। अधिकतर स्थानों पर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा ही सोशियल ऑडिट किया जा रहा है अतः सोशियल ऑडिट पर ब्लाक एवं पंचायत स्तरीय स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा सोशियल ऑडिट किसी बाह्य व्यक्ति के माध्यम से किया जाय। सोशियल ऑडिट में स्वैच्छिक संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जाय।

Scanned by CamScanner

संलग्नक–1

प्रतिभागियों की सूची

क.सं.	प्रतिभागी का नाम	पद	संस्था का नाम	पता
1	श्री आर.आर. फुर्टाडो	निदेशक	समता	एस.के.सी.सी. होस्टल विकास नगर देहरादून।
2.	श्री सचिदानन्द भारती	सदस्य राज्य योजना आयोग	–	कक्ष संख्या 3 विधान सभा भवन देहरादून।
3	श्री पूरन बर्त्वाल	राज्य सलाहकार	जन कारवां मंच	क्लेमन टाउन देहरादून।
4	श्री ए.के. राजपूत	राज्य समन्वयक	ग्राम्य विकास विभाग	ग्राम्य विकास मन्त्रालय देहरादून।
5.	श्री यशपाल	–	प्रयास	रामगढ रोड, भवाली, नैनीताल
6.	कु. इन्दु	कार्यकर्ता	प्रयास	रामगढ रोड, भवाली, नैनीताल
7.	श्रीमती चम्पा देवी	संगठन सदस्य	प्रयास	रामगढ रोड, भवाली, नैनीताल
8.	श्री राम प्रसाद सेमवाल	प्रधान	–	ग्राम पंचायत छमरोटा पो. भमोली उत्तरकाशी
9.	श्री फते सिंह राणा	सा0कार्यकर्ता	–	ग्राम पंगरियाणा हिन्दाव टि0 गढवाल
10.	श्री प्रेम सिंह नेगी	सा0कार्यकर्ता	–	ग्राम अखोड़ी ग्यारह गांव टि0 गढवांल
11.	श्री मदन सिंह पंवार	ग्राम प्रधान	–	ग्राम सभा मेंडू सेंदवाल गांव भिलंग टिहरी गढवांल
12.	श्री संजय कुमार	सचिव	बसुधैव कुटम्बकम	नागणी टिहरी गढवाल
13.	श्री लक्ष्मण सिंह नेगी	सचिव	जनदेश	कल्प क्षेत्र भर्की उर्गम जोशीमठ
14.	श्री रणजीत सिंह जाखी	सचिव	अदन संस्थान	जाखी डागर कीर्ति नगर टि0 गढवाल।
15.	जितेन्द्र कुमार	सचिव	लोक जागृति विकास संस्था कर्ण प्रयाग।	प्रेम नगर कर्ण प्रयाग।
16	सीमा असवाल	क्षेत्रीय कार्यकर्ता	जनदेश	कल्प क्षेत्र भर्की उर्गम जोशीमठ
17.	विजय पाल सिंह	सदस्य	बसुधैव कुटम्बकम	ग्राम पलास, नागणी टि0ग0
18.	हुकमी मंडवाल	क्षेत्रीय कार्यकर्ता	युवक मंगल दल निजमुला	निजमुला जोशीमठ
19.	कुंवर सिंह	शिक्षा समिति सदस्य	–	ग्राम दुर्मी जोशीमठ चमोली।
20.	राम शाह	क्षेत्रीय कार्यकर्ता	जनदेश	उर्गम जोशीमठ ।
21.	हुकम सिंह	अध्यक्ष	शिक्षा विकास समिति	दुर्मी जोशीमठ।
22.	बीरा देवी	ग्राम प्रधान	–	ग्राम आली,ग्यारह गांव टि0ग0
23.	बक्षु देवी	वार्ड सदस्य	–	ग्राम गड़ेथा टि0गढवाल
24	सरस्वती देवी	संगठन सदस्य	भिलंगना सखी संगठन	ग्राम गड़ेथा टि0गढवाल
25.	सुलोचना देवी	संगठन सदस्य	भिलंगना सखी संगठन	ग्रम ढुंग,ग्यारह गांव टि0ग0
26.	बहादुर सिंह रावत	वन पंचायत सरपंच	वन पंचायत	ग्राम स्यूंण जोशीमठा चमोली
27.	राजेन्द्र सिंह	वार्ड सदस्य	–	उर्गम जोशीमठ।
28.	मातबर सिंह	वार्ड सदस्य	–	उर्गम जोशीमठ।
29.	गोबरी देवी	संगठन सदस्य	भिलंगना सखी संगठन	ग्राम त्रिकोट भिलंग टि0ग0
30.	आशा	समन्वयक	एम.के.एस.	दिनेश पुर, गदर पुर, उधम सिंह नगर।
31.	संगीता मौर्या	–	एम.के.एस.	दिनेश पुर, गदर पुर, उधम सिंह नगर।
32.	बसन्ती मेवाड़ी	क्षेत्रीय समन्वयक	एम.के.एस.	दिनेश पुर, गदर पुर, उधम सिंह नगर।
33.	गीता देवी	–	–	मदपुरी,पो0 मझरा,उधम सिंह नगर
34.	कमला देवी	–	–	भजपुरी, उधम सिंह नगर

Scanned by CamScanner

35.	देवकी देवी	–	–	भजपुरी, उधम सिंह नगर
36.	मंगल सिंह	–	–	चन्दाययन,गूलरभोज, उधम सिंह नगर
37.	रतन सिंह	–	–	चन्दाययन,गूलरभोज, उधम सिंह नगर
38.	गोबिन्द लाल	वार्ड सदस्य	–	ग्राम चडोली, भिलंग, टि०ग०
39	बच्चू	–	–	ग्राम चडोली, भिलंग, टि०ग०
40	गब्बर लाल	–		ग्राम त्रिकोट, भिलंग, टि०ग०
41	दीपक आर्य	–	–	ग्राम ढुंग,ग्यारह गांव,टि०ग०
42	गंगा देवी	–	–	खटीमा,पो० खटीमा उधम सिंह नगर।
43	शांती देवी	–	–	खटीमा,पो० खटीमा उधम सिंह नगर।
44	बिन्दी लाल	संगठन सदस्य	शिल्पकार संगठन भिलंगना।	ग्राम बडियार,हिन्दाव,टि०ग०
45	स्वत्रंत्री बधानी	सचिव	हिसर	नौ गांव बडकोट उत्तरकाशी।
46	आसिता डोभाल	सदस्य	हिसर	नौ गांव बडकोट उत्तरकाशी।
47	अजय कुमार	–	–	ग्राम दोणी,ग्यारह गांव,टि०ग०।
48	दर्शन लाल	–	–	ग्राम बडियार,हिन्दाव,टि०ग०
49	मंगल दास	वार्ड सदस्य	–	ग्राम गड़ेथा,ग्यारह गांव,टि०ग०।
50.	मनोज डंगवाल	....	....	अजब पुर कला देहरादून
51.	पंकज	कार्यक्रम समन्वयक	सोसाइटी फार इन्वायरनमेंट डेवलपमेंट	धर्मपुर देहरादून।
52.	कुसुम	उपाध्यक्ष	यू०वी.एच०ए०	नेहरू कालोनी देहरादून।
53.	प्रेम पंचोली	पत्रकार	जन मंच	रायपुर देहरादून।
54.	अवतार सिंह नेगी	सचिव	माउंट वैली	ग्राम दोणी,पो. मैगाधार टि०ग०
55.	जयेन्द्र पाल सज्जवाण	समन्वयक	माउंट वैली	ग्राम बहेड़ा, घनसाली,टि०ग०।
56.	उम्मेद सिंह रावत	क्षेत्रीय समन्वयक	माउंट वैली	कोठियाडा,चमियाला,टि०ग०।
57.	दिनेश जयाड़ा	सदस्य	हि०क०म०वि०एवं शिक्षा समिति	पौड़ी पौड़ी गढवाल
58.	राकेश अग्रवाल	–	–	देहरादून
59.	श्री देवव्रत पात्रा	क्षेत्रीय अधिकारी	एक्शन एड इण्डिया	लखनऊ।
60.	बसन्ती देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य	–	ग्राम तिलवाड़ी
61.	सुषमा शाह	अध्यक्षा	भिलंगना सखी संगठन	ग्राम ढुंग पे० अखोड़ी टि०ग.।
62.	समराज राणा	प्रधान प्रति०	–	ग्राम पालर, पो० गंगनानी उत्तरकाशी।
63	विरेन्द्र पैन्यूली	–	–	बल्लू पुर रोड देहरादून।
64.	डा. राजेन्द्र कोश्यारी	एस.पी.ए.	हिमोत्थान सोसाइटी	बसन्त विहार देहरादून।
65.	धीरेन्द्र नेगी	कम्प्यूटर आपरेटर	माउंट वैली	ग्राम दोणी,पो. मैगाधार टि०ग०
66.	अजय जोशी	प्रशिक्षण समन्वयक	लोक विज्ञान संस्थान	बसन्त विहार देहरादून।
67.	एस.एन गोस्वामी	कार्यक्रम समन्वयक	लोक विज्ञान संस्थान	बसन्त विहार देहरादून।
68.	नागेन्द्र दत्त	अध्यक्ष	टी.पी.वी.एस.	डुण्डा उत्तरकाशी।
69.	दुर्गा प्रसाद	कार्यक्रम समन्वयक	माउंट वैली	ग्राम दोणी,पो. मैगाधार टि०ग०
70.	विक्रम सिंह	–	जन कारवां मंच	साकेत कालोनी देहरादून।
71.	हिमांशु बहुगुणा	–	राष्ट्रीय सहारा	पटेल नगर देहरदून।
72.	उत्तम सिन्हा	लेखाकार	एक्शन एड इण्डिया	विनय खण्ड गोमती नगर लखनउ।
73	शालिनी गुप्ता	कार्यकम अधिकारी	एक्शन एड इण्डिया	विनय खण्ड गोमती नगर लखनउ।

Scanned by CamScanner

76.	मीरा कैन्तुरा	–	मैत्री	टर्नर रोड देहरादून।
77.	आर.एस. रावत	समन्वयक	मैत्री	टर्नर रोड देहरादून।
78	कविता रावत	प्रेरक	माउंट वैली	ग्राम दोणी,पो. मैगाधार टि०ग०
79	सैन सिंह पंवार	प्रेरक	रैक्त्र विकास समिति	प्रताप नगर टिहरी गढवाल।
80.	कीर्ति सिंह राणा	सचिव	रैक्त्र विकास समिति	प्रताप नगर टिहरी गढवाल।
81.	रेखा भण्डारी	क्षेत्रीय समन्वयक	माउंट वैली	ग्राम दोणी,पो. मैगाधार टि०ग०
82.	पंचम सिंह	लेखाकार	माउंट वैली	ग्राम दोणी,पो. मैगाधार टि०ग०
83.	महाबीर सिंह	–	–	ग्राम दोणी,पो. मैगाधार टि०ग०
84.	कमला देवी	संगठन सदस्य	भिलंगना सखी संगठन	ग्राम छैली,पो. देवट टि०ग.।
85	सरोज बाला	सामुदायिक कार्यकर्ता	माउंट वैली	ग्राम दोणी,पो. मैगाधार टि०ग०
86.	नितिला	सदस्य	हिसर	नौगांव उत्तरकाशी।
87.	अनिल	–	इण्डिया टाइम्स	छेहरादून
88.	सुक्कम	–	बी.ओ.ओ.आर.वी.आई.एस.एम.	देहरादून।
89.	अहमद	–	जैन टी.वी.	देहरादून।
90.	हितेश	–	देव दिशा	देहरादून।
91.	नवीन	–	दून दैनिक	देहरादून।
92.	राजेश	–	दैनिक जागरण	देहरादून।
93.	दीपक	–	जन भारत	देरादून।
95.	राजकुमार	–	दैनिक टाइम्स	देहरादून।
96.	अनूप	रिर्पोटर	दैनिक जागरण	देहरादून।
97.	नवीन	रिर्पोटर	सहारा न्यूज	देहरादून।
98.	अवधेश	रिर्पोटर	टाइम्स न्यूज	देहरादून।
99.	शंकर	रिर्पोटर	जैन टी०वी०	देहरादून।
100.	त्रिलोक	रिर्पोटर	पंजाब केसरी	देहरादून।
101.	नीना	रिर्पोटर	जैन टी.वी.	देहरादून।
102	सुकान्त ममगांई	रिर्पोटर	दैनिक हिन्दुस्तान	देहरादून।
103.	अनिल नेगी	–	सहारा टी०वी०	देहरादून।
104.	दिनेश कुकरेती	रिर्पोटर	दैनिक जागरण	देहरादून।
105.	केदार दत्त	रिर्पोटर	दैनिक जागरण	देहरादून।
106.	शिवानी भण्डारी	रिर्पोटर	जन भारत मेल	देहरादून।
107	सुनीता भटट	रिर्पोटर	एन.एन.आई.	देहरादून।
108.	सूर्य मणी	–	–	नौगांव, उत्तरकाशी
109.	जानकी	कार्यक्रम समन्वयक	प्रयास	रामगढ रोड नैनीताल ।

Scanned by CamScanner

संस्था के बारे में ....

माउन्ट वैली डेवलपमेंट एशोसिएशन (MVDA) एक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है तथा विगत 10 वर्षों से उत्तरांचल हिमालय के गढ़वाल मण्डल के टिहरी जनपद में अपने उदभव काल से ही तृणमूल स्तर पर समुदाय के स्तर पर जल जंगल जमीन से जुड़े मुद्दों पर कार्य कर रही है।

हमारी सोच

पर्वतीय ग्रामीण समुदाय के साथ चिरंतर विकास, आजीविका संवर्द्धन का कार्य करें ताकि समुदाय का सतत चिरंतर विकास किया जा सके।

अपनी सोच को धरातल पर परिणित करने हेतु संस्था निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुदाय में कार्यरत है :

- ग्राम्य विकास से जुड़े सामुदायिक संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों के साथ तालमेल स्थापित करना।
- प्राकृतिक संसाधनों के नियोजन एवं प्रबन्धन में जन सहभागिता को प्रभावी बनाकर एक पर्वतीय माडल विकसित करना।
- आजीविका संवर्द्धन से सम्बन्धित माडलों को कार्यक्षेत्र में सामुदायिक स्तर पर स्थापित करना।
- सूचना प्रसारण के माध्यम से समुदाय विशेषकर महिलाओं को जागरूक करना ताकि वह विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके परिणामस्वरूप निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- विकास प्रक्रिया में जन समुदाय, शासकीय कर्मचारियों की जबावदेही सुनिश्चित करने हेतु पहल करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने हेतु संस्था निम्न कार्य सम्पादित कर रही है।

1. महिला व बच्चों का सामाजिक एवं राजनैतिक सशक्तीकरण, 2. सूचना के अधिकार को जन–जन पहुंचाने हेतु जन जागरण करना, 3. कृषि प्रसार, 4. समुदाय के सफल कार्यों का दस्तावेजीकरण, 5. नियोजन प्रक्रिया में जन समुदाय की भागीदारी।

हमारे सहयोगी जिन्होंने हमें मजबूती प्रदान की

ग्यारहगांव महिला मंच, सेम गधेरा जलागम संघ मैगाधार, टिहरी, ग्राम विकास समिति, क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सहायता समूह, एकीकृत जलागम संघ, छैली, कैठार एवं सैड़, देवंज तथा देवट न्यायपंचायत के ग्रामीण समुदाय।

हमारे सहयोगी

एक्शन एड, सर रतन टाटा ट्रस्ट,सर दौराब टाटा ट्रस्ट, आक्सफेम हांगकांग, आई.जी.एस.एस., कपार्ट, नाबार्ड, वाणी, सम्बन्ध, अखिल भारतीय महिला किसान महासंघ, सी.एन.आर.आई. नई दिल्ली, लोक विज्ञान संस्थान (पी.एस.आई.), हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर (हार्क), स्वास्थ्य विभाग, नई टिहरी आदि।

Scanned by CamScanner